लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit ... Fumigated ... Parliament Library

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 28 गुरुवार, 23 सितम्बर, 1965/1 आश्विन, 1887 (शक)

No. 28—Thursday, September 23, 1965/Asvina, 1 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
792	चौथी योजना	Fourth Plan	2753–57
793	गोआ का औद्योगीकरण	Industrial of Goa . .	2757–58
794	औद्योगिक आवास सम्बन्धी व्यय की अधिकतम सीमा	Ceiling on Expenditure on Industrial Housing	2759–60
795	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात का वहन शुल्क	Freight on P.L. 480 Imports .	2760–62
796	खाद्य सम्बन्धी विधियां	Food Laws .	2762–63
797	14 कैरेट के सोने का मूल्य	Price of 14 Carat Gold . .	2763–65
798	मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices . .	2765–69
800	जीवाणु संक्रामण	Bacterial Infections . . .	2769–71
801	प्रति व्यक्ति ग्राम्य-आय	Per Capital Rural Income .	2771–72

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
10	सैनिक कर्मचारियों के परिवारों का पालन पोषण	Maintenance of Families of Army Personnel	2772–78
11	आपात शुद्ध जोखिम बीमा योजना	Emergency War Risks Insurance Scheme	2778–79

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
799	विदेशों को ऋण	Loans to Foreign Countries .	2779-80
802	दिल्ली में सरकारी मकान	Government Accommodation in Delhi	2780
803	एक्स-रे फिल्मों की कमी	Shortage of X-Ray Films .	2781
804	थ्रोम्बौटिक रोग के बारे में अनुसन्धान	Research on Thrombotic Disease	2781
805	ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा	Life Insurance in Rural Areas .	2781–82

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बातका द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
806	नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी की कमी	Water Shortage in Netaji Nagar, New Delhi	2782
807	फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का जलमग्न होना	Submergence of Fatehpur Sikri area	2782–83
808	बाढ़ों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Floods.	2783
809	परिवार नियोजन	Birth Control	2783
810	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की अनुसन्धान योजनायें	Research Schemes of C.S.I.R. .	2784
811	पाकिस्तानी हथियार और गोला-बारूद ले जाती हुई मालगाड़ी	Goods Train carrying Pakistani Arms and Ammunition. .	2784
812	मशीनों और पुर्जों का आयात	Import of Machinery and Components	2784–85
813	परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये सहायता	Non-Project Aid . .	2785

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2678	मैसूर की खनिज तथा वन सम्पत्ति	Mineral and Forest Wealth of Mysore	2785
2679	त्रिचूर जिले में हैजा	Cholera in Trichur District .	2786
2680	वंशधारा परियोजना	Vamsadhara Project . .	2786
2681	साझे मकानों की विभाज्यता	Divisibility of Joint Houses .	2787
2682	विठ्ठलभाई पटेल भवन	Vithalbhai Patel House . .	2787
2683	मध्य प्रदेश में ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम	Village Industries Project Programme in M.P. . . .	2787–88
2684	सेवाग्राम (महाराष्ट्र) में चिकित्सीय कालिज	Medical College at Sevagram (Maharashtra) . . .	2788
2685	बूढ़ी गंडक बांध	Boorhi Gandak Dam .	2788–89
2686	उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in U.P.	2789
2687	संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions .	2789
2688	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये जल विद्युत परियोजनायें	Hydel Project for Hilly Areas of U. P.	790
2689	सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में प्रगति	Progress in Backward Areas on Borders	790
2690	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	Rural Electrification Programme in West Bengal . . .	790
2691	लू लगने से मृत्यु	Deaths due to Heat Wave	2791
2692	जीवन बीमा निगम कर्मचारियों द्वारा 'काम न करो' हड़ताल	Pen-down strike by L.I.C. Employees .	2791
2693	नेहरू की स्मृति में जारी किये गये सिक्के	Nehru Commemorative Coins .	2791–92

तारा० प्र० संख्या U. O. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2694	परिवार पेंशन योजना तथा गृह-निर्माण ऋण योजना	Family Pension and House-Building Loan Schemes . . .	2792
2695	दिल्ली मे बागवानी के लिये निस्यन्दित पानी के उपयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on use of filtered water for gardening in Delhi . .	2792–93
2696	राजस्थान मे चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारी	Medical and Health Personnel in Rajasthan . . .	2793
2697	मजदूरों की मजूरी	Wages of Workers . . .	2793
2699	स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ	U.S. Experts on Stock Exchanges	2794
2700	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries . .	2794–95
2701	गन्दी बस्ती हटाने की योजना के अन्तर्गत मकान	Houses under slum clearance scheme	2795
2702	छिपा धन	Unaccounted Money . .	2795–96
2703	पाकिस्तान को चोरी छिपे अवैध रूप से माल भेजना	Smuggling of Goods to Pakistan	2796
2704	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र मे सरकारी इमारतों को आगे किराये पर देना	Sub-letting of Government owned Buildings in the Union Territory of Delhi	2796–97
2705	जवाई बांध (राजस्थान)	Jawai Bundh (Rajasthan) . .	2797
2706	भारत में चीनियों द्वारा सोने को चोरी छिपे लाना	Smuggling of Gold in India by the Chinese	2797
2707	नेपाल में कमला-बालान नदी पर बांध	Barrage across Kamla-Balan River in Nepal	2797
2708	जीवन बीमा निगम के क्षेत्र अधिकारी	L.I.C. Field Officers. . .	2798
2709	फरक्का बाध	Farakka Barrage . . .	2798–99
2710	केरल में औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projectsin Kerala .	2799
2711	मनुष्यों द्वारा उपयोग के लिये ऊंटनी तथा गधी का दूध	Camel's and Donkey's Milk for Human Consumption . .	2799
2712	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरीय में मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा	Treatment of Diabetes Patients in C.G.H.S. Disposal . .	2800
2713	सरकारी मुद्रणालयो में—कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmation of Staff in Govt. of India Presses . . .	2800
2714	जिला हजारीबाग में तापीय बिजली घर	Thermal Power Stations in Hazaribagh District . . .	2800
2715	केरल को बिजली का सम्भरण	Electricity Supply to Kerala .	2801
2716	श्री लंका को ऋण	Credit to Ceylon . . .	2801–02
2717	दिल्ली में दुकानों पर छापे	Raids on Shops in Delhi .	2802

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2718	निर्माण और आवास मंत्रालय का प्रशासनिक ढांचा	Administrative set up of works and Housing Ministry . .	2802
2719	अशोक होटल लि०, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	2803
2720	दिल्ली में धोबियों के लिये आवास	Housing for Washermen in Delhi .	2803–04
2721	उत्तर बिहार में जल मार्ग आधिकार का अध्ययन करने वाली इंजीनियरों की समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee of Engineers to study Waterways, etc. in North Bihar	2804
2722	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय द्वारा दवाइयों का दिया जाना	Issue of Medicines by C.G.H.S. Dispensaries	2804
2723	दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने सम्बन्धी न्यायालय का स्थानान्तरण	Shifting of Delhi Slum Clearance Court	2804–05
2724	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वार्टर	Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi	2805
2725	छिपा धन	Unaccounted Money . .	2805
2726	दिल्ली की गन्दी बस्ती सफाई अदालत में लम्बित बेदखली के मामले	Eviction Cases pending in slum clearance Court, Delhi . .	2805–06
2727	राष्ट्रीय आय	National Income . . .	2806
2728	तीसरी योजना म आवास योजनायें	Housing in Third Plan . .	2806–07
2729	आयकर अधिकारी प्रशिक्षण कालिज, नागपुर का हैदराबाद को स्थानान्तरण	Shifting of I.T. Officers' Training College, Nagpur to Hyderabad.	2807
2730	बाघ सिंचाई परियोजना	Bagh Irrigation Project . .	2807
2731	महाराष्ट्र में इतियादाद सिंचाई परियोजना	Itiadah Irrigation Project in Maharashtra	2807–08
2732	नागपुर में अति तापीय बिजलीघर	Super Thermal Power Station at Nagpur	2808
2733	नागपुर नगर का दर्जा ऊंचा करना	Upgrading of Nagpur City .	2808
2734	केरल में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Kerala . .	2808–09
2735	गाजीपुर अफीम फैक्टरी	Ghazipur Opium Factory . .	2809
2736	पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Hilly Areas .	2809
2737	तिब्बती लोगों से स्वर्ण तथा मुद्रा का पकड़ा जाना	Alleged Seizure of Gold and Currency from Tibetans . .	2810
2738	विकलांगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Handicapped .	2810–11
2738–क	"हिंदुस्तान टाइम्स" के सम्पादक द्वारा प्राप्त धन	Money received by Editor of "Hindustan Times" . .	2811
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अमृतसर में नागरिकों पर बम-बारी—		Bombing on civilian population in Amritsar—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	2811, 2834–36
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2811, 2835–36
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re : Point of Privilege .	2811–13
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table. .	2813–16
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
अट्ठारहवीं बैठक के कार्यवाही–सारांश	Minutes of Eighteenth sitting .	2816
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sitting of the House. . . .	2817–19
सभा का कार्य तथा अन्तर्सत्रावधि के दौरान परामर्श सम्बन्धी व्यवस्थाओं के बारे में	Re : Business of the House and Consultative Arrangements during Inter Session Period .	2819–21
पंजाबी सूबे की मांग के बारे में वक्तव्य—	Statement Re : Demand for Punjabi Suba—	
श्री नंदा	Shri Nanda	2821
प्रेस काउंसिल विधेयक—	Press Council Bill—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman .	2824–25
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar .	2825–26
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . .	2827–28
श्री वारियर	Shri Warior . .	2828–29
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar .	2829–30
श्री जोकिम आल्वा	Shri Joachim Alva .	2830–31
श्री शिवमूर्ती स्वामी	Shree Sivamurthi Swamy	2831
श्री च० क० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	2832
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh .	2832–33
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	2833–34
श्री नारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	2834–37
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi	2837
कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion Re : Circular Railway in Calcutta—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	2837-39
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil .	2840–41

2—41 L. S./65

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 23 सितम्बर, 1965/1 आश्विन, 1887 (शक)
Thursday, September 23, 1965/Asvina 1, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चौथी योजना

+

792. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री दाजी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री रा० बरुआ :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री बासप्पा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेध :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री वारियार :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री चाण्डक :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तन सिंह :

3—41 L. S./65

श्री वाडीवा :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री हेम राज :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री 11 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 386 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल ही में की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने योजना संबंधी राशि नियतन पर पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किये गये हैं।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दिनांक 5 और 6 सितम्बर, 1965 की बैठक में जो प्रस्ताव पास किया उसके अनुसार योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सलाह लेकर इस बात की जांच कर रही है कि संकट कालीन स्थिति का सामना करने तथा देश की सुरक्षा एवं दीर्घकालीन हितों कि रक्षा करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना और सालाना योजना 1966-67 का किस प्रकार पुनर्निर्धारण किया जाय।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि चौथी योजना के अन्तिम परिव्यय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सामान्य रुप से सिफारिश की गई है, क्या सरकारने योजना आयोग के समक्ष चौथी योजना के आकार के बारे में अपना दृष्टिकोण रखा था और क्या वह प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से चौथी योजना के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद के दृष्टिकोण से सहमत है ?

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना का आकार राष्ट्रिय विकास परिषद द्वारा स्वीकार किया गया था, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय देखेंगे, संकल्प में उसने परिषद के प्रधान अर्थात् प्रधान मंत्री को यह अधिकार दिया है कि वह आपातकाल को दृष्टि में रखते हुए जो कुछ भी समंजन आवश्यक समझें, उनके बारे में सुझाव दे सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री महोदय ने कोई तरीका बताया है जिसके आधार पर इस चौथी योजना का पुनर्निधारण किया जा सकता है ?

श्री ब० रा० भगत : इसलिये योजना आयोग इन सभी प्रश्नों की जांच कर रहा है और उसने राज्य-सरकारों को एक पत्र भेजा है जिसमें कुछ विशेष मार्गदर्शन करने के तरीके निर्धारित किये गये है, जिनके आधार पर पुनर्समंजन करना पड़ेगा।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : जब चौथी योजना प्रतिरक्षा-प्रधान बन रही है, तो क्या कृषि को, यदि वैसी वरीयता नहीं, तो सर्वोच्च वरीयता देने के सम्बन्ध में अपेक्षित सोच-विचार किया गया है ताकि देश के आर्थिक विकास के लिए प्रतिरक्षा तथा कृषि साथ साथ चल सकें ?

श्री ब० रा० भगत : कृषि, विशेषत: खाद्योत्पादन को वही सर्वोच्च वरीयता प्राप्त है।

Shri Tulsidas Jadhav : May I know whether the plan, which has been prepared includes any programme for meeting out the defence requirements and if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor?

Shri B. R. Bhagat : The Planning Commission has examined this question and prescribed a guide-line on which the adjustment has to be made. A communication has also been sent to State Governments regarding adjustment of agricultural or other programmes.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं, परमाणु हथियारों तथा अन्य परंपरागत हथियारों के उत्पादन द्वारा हमारी मांग को और अधिक सुदृढ़ बनाने की मांग को चौथी योजना में कहां तक पूरा किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये प्रतिरक्षा योजना सम्बन्धी परिव्यय में कितनी वृद्धि की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक प्रतिरक्षा योजना का सम्बन्ध है, हथियारों तथा अन्य शस्त्रों की आवश्यकता के प्रश्न पर प्रतिरक्षा मंत्रालय जांच करेगा, किन्तु जहां तक उनके लिए संसाधनों तथा अन्य मामलों का सम्बन्ध है, योजना आयोग इस सम्बन्ध में निश्चित रुप से जांच करेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : आगामी योजना में 1 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों के रोजगार तथा 2 करोड़ 30 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर लगाने की समस्या को देखते हुए चौथी योजना में रोजगार मिलने की कितनी गुंजाइश है ?

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में पता लगाया जा रहा है।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether the Government have consulted defence experts in connection with our defence requirements before the final size of the Fourth Five Year Plan was drawn up and if not, when does it propose to do so; and whether there is adequate provision of foreign exchange required for defence works in the Fourth Plan?

Shri B. R. Bhagat : As for the defence requirements, the programmes are prepared by the Defence Ministry, and so for as the foreign exchange required for the purpose is concened it is apparent that they will get top priority.

Shri K. N. Tiwari : May I know the nature of the guide-lines recently communicated to the State Governments and whether it has been indicated therein that priority should be given to agriculture?

Shri B. R. Bhagat : It will not be proper to make a mention thereof at this stage, because the guide-lines have been sent to them for their guidance and the programme drawn thereafter would be made known.

श्री दासप्पा : क्या योजना परिव्यय का समंजन इस तरीके से किया जायेगा जिससे कि शीघ्र लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को पहिले आरम्भ किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जी, हां। ऐसी परियोजनाओं का काम पहिले आरम्भ किया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या चौथी योजना में यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये जायेंगे कि सम्पत्ति केवल चन्द लोगों के हाथों में ही एकत्रित न होने पाये और योजना से सभी समुदाय के लोगों को समानरुप से लाभ पहुंचाये जाएं ?

श्री ब० रा० भगत : योजना के उद्देश्यों में यह भी एक उद्देश्य है किन्तु यह एक दीर्घ कालीन उद्देश है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि तीसरी योजना में जहाजरानी का लक्ष्य दुगुना हो गया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि जहाजरानी के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और जहाजरानी तथा "शिपयार्डों" के किए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है। मेरे पास आंकड़े नहीं है।

श्री स० चं० सामन्त : संसद सदस्यों को चौथी योजना की प्रारुप-रुपरेखा कब तक प्राप्त हो जायेगी और सभा की राय जानने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने एक विशेष प्रयोगात्मक कार्यक्रम बनाया है किन्तु पुनर्निधारण के कारण उसमें उलट फेर हो सकती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether any thought has been given and attempt made to see that the Fourth Plan is labour-oriented and plan outlay brought down?

Shri B. R. Bhagat : There are also some programmes which are labour-oriented.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के उप-प्रधान श्री अशोक मेहता के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि योजना से अवकाश लेने का अर्थ होगा मृत्यु-चुम्बन; और यदि हों, तो उनके इस प्रक्रम के कथन के क्या कारण हैं; और क्या मंत्री महोदय, साधारणत: चुम्बनों से डरने वाले मुझ जैसे सभी व्यक्तियों को दाढ़ी रखने की सलाह देंगे ?

श्री ब० रा० भगत : हम दाढ़ी बढा भी सकते हैं और उसको साफ भी कर सकते हैं ।

Shri Yashpal Singh : May I know the amount likely to be spent on defence requirements out of the total allotment of Rs. 21,500 crores allocated for the plan?

Shri B. R. Bhagat : Defence plan is separate and defence expenditure is outside the plan.

Shri Bagri : In view of the fact that it is very difficult in the present circumstances to solve the food problem, may I know whether the maximum amount of money will be spent on or allocated to agriculture with a view to solve the food problem?

Shri B. R. Bhagat : Yes, it is being attempted to be done.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुलत:, वर्तमान संकट पैदा होने से पूर्व, चौथी योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, क्या इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि किसी भी प्रकार का पुनर्निधारण किये जाने पर भी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता को अधिक नहीं बढ़ने दिया जायेगा, अथवा उसमें वृद्धि होने की संभावना है ?

श्री ब० रा० भगत : इसके अतिरिक्त चाहे इसकी बढ़ने की संभावना हो अथवा नहीं, हम यथा संभव इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य केवल आयात-स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा स्वदेशी निर्माण कार्य-को अधिकतम् सीमा तक प्रोत्साहन देने का ही नहीं है, अपितु इसके भुगतान के लिए भी अपने आयात में भी वृद्धि करने का लक्ष्य है ।

श्री दाजी : क्या कम से कम इस बात का निर्णय कर लिया गया है कि योजना का चाहे जैसे भी पुनर्निधारण किया जाये, किन्तु योजना की निर्धारित सीमा वही रहेगा अथवा इसे और बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

श्री ब० रा० भगत : यह आकार राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया है । चाहे जैसे भी समंजन की आवश्यकता पड़े, हम इसी के अन्तर्गत उसे कर लेंगे ।

श्री दाजी : श्रीमान, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । एक आकार पहले ही निश्चित किया गया है । क्या आपात काल अथवा योजना पर पुनर्विचार के परिणाम स्वरुप किया जा रहा पुनर्निधारण केवल उसी सीमा के अन्तर्गत होगा अथवा उस सीमा की भी बढ़ने की संभावना है ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस सीमा को मान लिया गया है। वर्तमान समय में हम उसी के अन्तर्गत समंजन कर रहे हैं किन्तु आकर बढ़ जाने पर उसके लिये और अधिक व्यापक संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके बिना आकार बढाना संभव नहीं है।

श्री अल्वारेस : प्रतिरक्षा-प्रधान का तात्पर्य खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा विदेशी सहायता पर कम निर्भर रहना आदि का कुछ भी हो सकता है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि प्रतिरक्षा परिव्यय योजना में शामिल नहीं है, क्या प्रतिरक्षा-प्रधान का तात्पर्य वर्तमान योजना का आकार बढ़ाना होगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा है कि योजना का आकार बढ़ाने का मतलब अतिरिक्त साधन जुटाना होगा।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों को, जो भारत अयेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में फिर से बसाने के लिए कोई रकम नियत की है ?

श्री ब० रा० भगत : इसकी व्यवस्था की गई है किन्तु यह योजना-व्यय नहीं है।

श्री लीलाधर कटकी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चौथी पंचवर्षीय योजना प्रतिरक्षा-प्रधान है और 1962 के चीनी आक्रमण के बाद सरकार की नीति प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ देश का विकास करने की भी है, क्या सरकार ने चौथी-पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षा तथा विकास की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं पर विचार किया है ?

श्री ब० रा० भगत : जिस सीमा तक कुछ सामाजिक और आर्थिक अपर के खर्चों की आवश्यकता थी, उनकी व्यवस्था कर दी गई है।

श्री दे० जी० नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने पिछड़े वर्गों के अध्ययन दल की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। यदि नहीं, तो क्या मैं इस के कारण जान सकता हूँ ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे मालूम नहीं है कि किस सीमा तक सिफारिशों को मंजूर किया गया है। यह बात मैं अभी नहीं बता सकता। परन्तु निश्चित ही पिछड़े वर्गों के लिये सामाजिक सेवाओं के लिये नियतन को बढा दिया गया है।

Shri Bibhuti Mishra : In view of the past experience and the experience gained during the present conflict with Pakistan, may I know whether Government is considering to make arrangements for allocating more funds for food production, defence and factories in the fourth five year plan?

Shri B. R. Bhagat : These things are being considered. It is also being considered as to how far we can accomplish this by depending on our own resources.

गोआ का औद्योगीकरण

\+

***793. श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री मरंडी :**

श्री झागड़ी : **श्री उदिया :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन उद्योग को छोड़कर अन्य विविध क्षेत्रों में गोआ के औद्योगीकरण के लिये एक योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना परिव्यय होगा तथा उसमें सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना योग होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रंखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4959/65 ।]**

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या मैं जान सकता हूं कि गोआ में रोजगार की वर्तमान संभावना क्या है और औद्योगीकरण योजना के पश्चात इस में कितनी वृद्धि होगी।

श्री ब० रा० भगत : गोआ के लिये अलग से इन बातों का हिसाब नहीं लगाया गया है। सारे देश के संबंध में इस का हिसाब लगाया गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : हम बहुत दिनों से गोआ मे एक इस्पात संयंत्र लगाये जाने के बारे में सुन रहे हैं, परन्तु विवरण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चौथी योजना में गोआ में कोई इस्पात कारखाना लगाया जाने वाला है ?

श्री ब० रा० भगत : गोआ के लिये कोई इस्पात संयंत्र मंजूर नहीं किया गया है।

Shri Bagri : May I know whether the scheme for the expansion of industries in Goa has been prepared, treating Goa as a separate unit or with view to merge it with Maharashtra?

Shri B. R. Bhagat : It has been prepared from the point of view of Goa.

श्री शिकरे : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि औद्योगीकरण के लिये अत्यावश्यक पूर्व अपेक्षाओं में से एक पूर्व-अपेक्षा सस्ती विद्युत की उपलब्धि है और गोआ में अभी विद्युत की बहुत कमी है और कि गोआ को महाराष्ट्र सरकार और मैसूर सरकार की तुलना में केवल मौखिक वचन ही दिये जा रहे हैं ? उन्होंने गोआ में उचित लागत पर विद्युत देने के क्या उपाय सोचे हैं ताकि वहां के उद्योगपति उस का प्रयोग कर सकें ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है। मेरे साथी, सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री इस पर विचार करेंगे।

श्री शिकरे : सुझाव कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सब सूचना दे दी है। अब इस पर विचार करना सरकार का काम है।

श्री शिकरे : क्या उन्होंने इस पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सब सूचना दे दी है। अब इस पर विचार करने के लिये उन्हें कुछ समय मिलना चाहिये।

श्री बूटा सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गोआ खनिज पदार्थ के आयात करने वाले प्रसिद्ध केन्द्रों में से एक है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का वहां पोतों की मरम्मत तथा उनके निर्माण का कारखाना लगाने का विचार है, ताकि सभी पोत बन्दरगाह में प्रवेश पा सकें ?

श्री ब० रा० भगत : शायद गोआ के लिये चौथी औद्योगिक योजना के कार्यक्रम में इस को शामिल कर लिया जाये।

औद्योगिक आवास सम्बन्धी व्यय की अधिकतम सीमा

*794. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक आवास योजनाओं, विशेषत: केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा खनिज उपक्रमों की आवास योजनाओं पर व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य बातें विचाराधीन हैं ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकारी प्रतिष्ठान समिति ने हाल ही में सिफारिश की थी कि सरकार को बस्तियों पर किये जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये।

(ख) और (ग) : यह मामला विचाराधीन है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have considered the suggestion that the housing arrangements may be made for the lower income group employees first and thereafter for the high officers?

Shri B. R. Bhagat : We will consider it in future.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have made such arrangements that no air-conditioned house will be built hereafter, because the country is in a state of war to-day?

श्री वारियर : सारी परियोजना की कुल लागत में खर्चे की प्रस्तावित अधिकतम सीमा की कितने प्रतिशत होगी ?

श्री ब० रा० भगत : हाल ही में प्रधान मन्त्री ने निदेश दिया है कि खर्चे की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत या उस से कम होनी चाहिये। कुछ मामलों में इस को सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। परन्तु इस से अधिक नहीं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : औद्योगिक परियोजनाओं के समीप नगरों का निर्माण करते समय क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी साधारण औद्योगिक कार्यकर्ताओं को आवास के विषय में बड़े लोगों की अपेक्षा अधिक सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री ब० रा० भगत : हां, श्रीमन्। इस बात पर ध्यान दिया जायेगा।

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether any housing arrangements will be done for the labour of the opium factory at Ghazipur under this scheme, because no such arrangement for them exists at present?

Mr. Speaker : It will be difficult to give information for each and every factory.

Shri Sarjoo Pandey : That factory also belorgs to Central Government. There is no housing arrangement for the labourers of that factory. Will this also be considered?

Mr. Speaker : That will definitely be considered.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या औद्योगिक संयंत्रों के बारे में अधिकारियों और औद्योगिक कार्यकर्ताओं के बारे में भी अलग अलग प्रतिशतता के आधार पर खर्चे को सीमित करने का विचार है ? यदि हां, तो प्रत्येक के लिये क्या प्रतिशतता नियत की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : हमने टाउनशिप (बस्तियों) पर खर्च होने वाली कुल राशि की जिस में प्रत्येक चीज शामिल है, कुल प्रतिशतता नियत कर दी है।

Shri Gulshan : May I know whether the Government will take into account those scheduled caste people in this scheme for whom no housing arrangements have been made so far?

Shri B. R. Bhagat : All workers will be taken into consideration.

श्री दाजी : क्या सरकार इस विषय के इस पहलू पर भी ध्यान दे रही है, कि जो उपक्रम नगरों से बहुत दूर स्थापित किये गये हैं, उन में काम करने वाले औद्योगिक कार्यकर्ताओं पर आवास की कमी के रूप में इस अधिकतम सीमा का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री ब० रा० भगत : अधिकतर नये उपक्रम नगरों से बाहर स्थापित किये गये हैं, और इसी लिये 10 प्रतिशत रखा गया है।

श्री दाजी : श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि खर्चे की यह अधिकतम सीमा ऐसे क्षेत्रों में, जहां कि औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये बिल्कुल नई बस्तियां बनाई गई हैं, बुरा प्रभाव नहीं डालेगी।

श्री ब० रा० भगत : इसी लिये 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा रखी गई है। अपवाद के मामलों में 15 प्रतिशत तक ध्यान दिया जायेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को यह बात मालूम है कि विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्धकों के पास आवास के अपने अपने डिजाइन हैं और कोई समान डिजाइन नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : हो सकता है पहले कुछ ऐसे मामले हुए हों। भविष्य में समानतः सुनिश्चित करने के लिये समन्वय किया जायेगा।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात का वहन शुल्क

+

***795. श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री मधु लिमये :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री 25 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1964 में अमरीकी पब्लिक ला 480 में संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप आयात के लिये जहाजों के भाड़े का भुगतान विदेशी मुद्रा में किये जाने के उपबन्ध के बारे में भारत सरकार ने विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस संशोधन का विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारे दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : हमने संयुक्त राज्य अमरिका की सरकार को बता दिया है कि इस उपबन्ध के कारण हमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपनी वर्तमान स्थिति में और भी ज्यादा कठिनाई होगी। चूंकि यह संशोधन सांविधिक उपबन्ध है जो सभी देशों पर लागू होता है, इसलिए इस उपबन्ध से छूट नहीं मिल सकती।

(ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अतिरिक्त दायित्व का ठीक ठीक रकम पब्लिक ला 480 के अंतर्गत आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर होगी। अभी तक केवल एक ही ऐसा करार है जिस पर यह उपबन्ध लागू होता है और इस करार के सम्बन्ध में, जो 10 लाख मेट्रिक टन गेहूं के आयात के लिए है, विदेशी मुद्रा संबंधी अतिरिक्त दायित्व लगभग 3 करोड़ रुपया है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether we will have to pay the freight of the ships which bring foodgrains here under PL 480 in foreign exchange according to the new agreement which has been reached with America?

Shri B. R. Bhagat : In that very connection it has been done.

Shri Madhu Limaye : The question is as to how much foreign exchange India will have to pay under the new agreement?

Shri B. R. Bhagat : I have just told 3 crores for ten lakh tonnes.

Shri Madhu Limaye : You have told about only ten lakh tons . . .

Mr. Speaker : That only is affected and he has given the information.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह भी सच है कि पब्लिक ला 480 में नवीनतम संशोधन न केवल डालर के रुप में भाड़े का भुगतान किये जाने से सम्बन्धित है, परन्तु पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत कमाई का कुछ भाग विदेशों से आने वाले अमरीकी पर्यटकों के लिये रखा जाना है, और यदि हां, तो इस पर्यटक व्यापार से होने वाली विदेशी मुद्रा की हमारी कमाई पर किस हद तक बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह बिलकुल ही अलग बात है। चाहे वे किन्हीं निधियों से लें, यह 26 लाख डालर तक सीमित है। हम को अपने विदेशी मुद्रा के साधनों से भाड़े का भुगतान करना है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : माननीय मन्त्री ने बताया है कि संशोधन पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत केवल 10 लाख टन गेहूं पर लागू होगा। शेष 50 लाख टन गेहूं के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी कोई करार नहीं हुआ है।

श्री रंगा : उत्तर क्या है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत पिछले प्रबन्ध के अनुसार भाड़े के लिये कितनी राशि का भारतीय रुपये में भुगतान किया जा चुका है और क्या मैं जान सकता हूं कि यदि कोई अवशिष्ट राशि है तो क्या उसका भुगतान भी नवीन करार के अन्तर्गत किया जायेगा।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास जानकारी नहीं है। पिछले प्रबन्ध के अन्तर्गत जो कोई राशि शेष रह गई होगी, उस पर नये करार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार का यह मत नहीं है कि इस संशोधन के फलस्वरूप होने वाले अधिक विदेशी मुद्रा के दायित्व से कुछ समय में ही पब्लिक ला 480 से होने वाला लाभ बहुत हद तक समाप्त हो जायेगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में ऐसा नहीं होगा क्योंकि भाड़े की राशि प्राप्त माल की तुलना में कम होगी। यदि वास्तव में इस में से काफी मात्रा कम हो जायेगी तो हमें पब्लिक ला 480 से लाभ नहीं होगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अमरीका से उन के पोतों के एकाधिकार के स्थान पर हमारे पोतों द्वारा गेहूं ढोये जाने के बारे में कोई करार हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : केवल 50 प्रतिशत अमरीकी भाड़े के अन्तर्गत ढोया जायेगा।

खाद्य सम्बन्धी विधियां

*796. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पोषाहार समिति के खाद्य स्वास्थ्य प्रभाग (फूड हाइजीन डिवीजन) की सिफारिशों के अनुसार खाद्य सम्बन्धी समान विधियां बनाने की सलाह दी है ; और

(ख) राज्यों ने सब प्रकार के अन्तर को दूर करने तथा समूचे देश के लिये समान संहिता स्वीकार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) राष्ट्रीय पोषण सलाहकार समिति के अधीन गठित खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान कार्यवारी वर्ग द्वारा तैयार किये गये होटल एवं रेस्ताराओं तथा अन्य खान पान के स्थानों की स्वच्छता के आदर्श उप नियम हाल ही में महत्वपूर्ण शहरों की नगरपालिकाओं और निगमों, पर्यटनीय तथा धार्मिक स्थानों को विचारार्थ तथा क्रियान्विति के हेतु भेज दिया गया है। इन उपनियमों की प्रतियां राज्य सरकारों को भी भेजी गई हैं।

(ख) चूंकि ये उप नियम सम्बन्धित प्राधिकारियों को हाल ही में भेजे गये हैं अतः उन्होंने इस पर क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाना चाहते हैं यह बतलाना इतनी जल्दी सम्भव नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से कुछ सुझाव राज्य सरकारों को कार्यान्वित करने के लिये भेज दिये गये हैं और उन को किस हद तक कार्यान्वित किया गया है ?

डा० सुशीला नायर : कुछ समय पूर्व हैदराबाद में निगम की बैठक हुई थी, जिस में कुछ आदर्श उप-नियम बनाये जाने की इच्छा प्रकट की गई थी। इस के बाद हम ने दिल्ली, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और बंगलौर के स्वास्थ्य अधिकारियों की एक समिति बनाई थी जिस के संयोजक डा० के० मित्रा थे। ये लोग विभिन्न स्थानों पर गये थे और इन्होंने आदर्श उपनियम बनाये थे। इन पर इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वहां की राज्य सरकारों तथा लोगों से चर्चा की थी। इस समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को भज दी गई हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जलपान गृहों के सर्वेक्षण से पता लगता है कि इन में 50 प्रतिशत बहुत ही गन्दी हालत में हैं। इन जलपान गृहों को स्वास्थ्य प्रद लाइनों में चलाया जाये या बन्द कर दिया जाये इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : मैं इस से भी आगे जाती हूँ और कहती हूं कि 50 प्रतिशत से बहुत अधिक जलपान गृहों की हालत असंतोषजनक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ने यह समिति बनाई थी

समिति की सिफारिशों को 3 अगस्त को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हमने इन सिफारिशों को नगरपालिकाओं तथा राज्य सरकारों, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन अधिकारियों को भेज दिया है। अब इन पर विचार करना उन का काम है।

Shri K. N. Tiwary : Hygienic food is also needed in villages. What is being done for that? Is there any scheme to associate public men, important personalities and social workers?

Dr. Sushila Nayar : There are block development committees in villages and public men are associated with them. This work is supervised through the blocks.

श्री हरि विष्णु कामत : प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर सूचना एकत्र की गई है या नहीं ? क्या मंत्री महोदय निश्चित रूप से यह बता सकते हैं कि भारत के 16 राज्यों में से किस किस राज्य में खाद्य में मिलावट की स्थिति बहुत भीषण हो चुकी है ?

डा० सुशीला नायर : यह प्रश्न खाद्य में मिलावट से सम्बन्धित नहीं है। अपितु खाद्य की स्वच्छता के बारे में है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, क्या मैं सूछ सकता हूं कि क्या यह प्रश्न इतना ही सीमित है ? क्या आप इस पर निर्णय देंगे ? खाद्य में मिलावट के कारण ही खाद्य नियम बनाये गये हैं, अन्यथा इन का कोई लाभ नहीं है। यदि खाद्य शुद्ध होगा तो हम सब बहुत प्रसन्न होंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रत्यक्षरूप से मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इस लिये उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : उनको मालूम नहीं है।

14 कैरेट के सोने का मूल्य

*797. **श्री बागड़ी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 कैरेट के सोने का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) to (c). The price of 14-caret or any other gold has not been fixed by Government. The question of raising it does not therefore arise.

Shri Bagri : May I know whether the government is considering to fix the price of gold in the near future?

Shri Rameshwar Sahu : No, Sir.

Shri Bagri : May I know whether the Government is aware that price of the pure gold is affected due to the non-fixation of price of this kind of gold, if so, what action is being taken by the Government to prevent it?

Planning Minister (Shri B. R. Bhagat) : We do not increase or decrease prices. Their prices are governed by open market prices.

Mr. Speaker : The hon. member says that non-fixation of the price of this kind of gold affects the price of the other kind of gold. Keeping this in view what does the Government propose to do?

Shri B. R. Bhagat : Government does not propose to fix the prices of gold at present.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है :

"Price has not been fixed, so the question does not arise".

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण विधेयक जो अब अधिनियम बन गया है, के बाद बम्बई, कानपुर या दिल्ली में सोने का भाव वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक है और यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ताकि सोने का भाव वही रहे जो होना चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने यह नहीं कहा कि सोने का मूल्य बढ़ा नहीं है। मैंने कहा था कि हम इस पर नियंत्रण नहीं करते। हम मूल्यों पर नियंत्रण करने का कोई कारण भी नहीं देखते।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the Government is aware of the fact that the price of gold has gone upto Rs. 160. Who has increased it and whether the Government propose to control it?

Mr. Speaker : That is what he is saying that the Government does not control it.

Shri B. R. Bhagat : We want that the pure gold should not be sold.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Much gold is available.

Shri B. R. Bhagat : That is sold in black market (Interruptions)

श्री शिंकरे : माननीय वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी को यह समझने में कि यह स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम बेकार है तथा सभा को स्पष्ट रूप में यह बताने में कि वह उसे रद्द करना चाहते हैं कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): श्रीमन्, जब तक यह संसद् है, मैं इस प्रकार कुछ कहने का इरादा नहीं रखता हूं।

श्री श्याम लाल सर्राफ : स्वर्ण नियंत्रण विधेयक इस सभा में पुर:स्थापित किये जाते समय यह आश्वासन दिया गया था कि सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था।

श्री श्यामलाल सर्राफ : यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है ; यह वित्त मंत्री का प्रश्न है। जब वित्त मंत्री महोदय ने यह विधेयक सभा में पुर:स्थापित किया था तो इस बारे में उन्होंने आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड देखने के बाद वह मुझे लिख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था अथवा नहीं। माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसा आश्वासन दिया गया था। माननीय मंत्री कहते हैं कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। मैं इस सम्बन्ध में अब क्या कर सकता हूं ? इसका

एक यही इलाज है कि वह रिकार्ड देखें। इसके बाद वह मुझे लिखें और साथ रिकार्ड की एक प्रति भी भेजें कि क्या स्थिति है और मैं इसकी जांच करूंगा।

Shri Bagri : Mr Speaker, I will take only one minute

Mr. Speaker : I have called Shrimati Renuka Ray now ; I will call you afterwards.

श्रीमती रेणुका राय : क्या सरकार को मालूम है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश को इसके वर्तमान् रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के कारण भी अनाज की जमाखोरी जारी है क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों तथा मुद्रास्फीति के कारण कोई अन्य स्थिर चलार्थ नहीं है जिस पर ग्रामीण जनता निर्भर कर सकें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अनाज के जमाखोरी के कई कारण हैं। यह भी एक कारण हो सकता है परन्तु यह मुख्य कारण नहीं है।

Shri Bagri : Mr. Speaker, I would like to seek a clarification from the hon. Finance Minister. He replied to Shri Shyam Lal Saraf that no such assurance was given. I would like to know whether only the present Finance Minister has some responsibility for the assurance or the previous Finance Minister was also responsible for it.

Mr. Speaker : This was not the question.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the introduction of control would also affect the taxes?

Shri B. R. Bhagat : I am afraid this question has no connection with taxes.

मूल्यों में वृद्धि

*798 **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मा० ला० जाधव :
श्री जेधे :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई 1965 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित योजना आयोग के उपप्रधान के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि "दस वर्षों तक भाव ऊंचे रहेंगे"; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने नई दिल्ली में 12 जुलाई 1965 को अनाज के व्यापारियों के, सातवें अखिल भारतीय सम्मेलन को चेतावनी दी कि गरीबी को समाप्त करने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिये आगामी दस वर्षों में जबरदस्त विकास प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। सम्भव है कि इस प्रकार के तीव्र प्रयत्नों के दौरान कीमतों पर वर्तमान दबाव बना रहे, अत: व्यापारी समुदाय को मुद्रास्फीति के कारण बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये सरकारी नीतियों के अनुसार काम करना होगा।

(ख) इस सम्बन्ध में जो सरकारी नीति है और जो आगे भी रहेगी वह यह है कि मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले पूंजी विनियोजन से बचकर तथा समय समय पर आवश्यक प्रशासनिक कारवाई कर, कीमतों पर पड़नेवाले अत्याधिक दबाव को दूर किया जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : घाटे की अर्थव्यवस्था कम करने अथवा इसे पूरी तरह बन्द करने के अतिरिक्त जिसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया है, सरकार मूल्य बढ़ने पर रोक लगाने के लिये प्रशासनिक नियन्त्रण के अलावा और क्या उपाय कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : सब से महत्वपूर्ण उपाय खाद्यान्न का सम्भरण बढ़ाना है। परन्तु कमी के दौरान खाद्यान्न के लिये धन दिये जाने पर नियन्त्रण, राजकोषीय नियन्त्रण और जैसे उपाय तथा खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा घोषित किये गये कुछ अन्य उपाय, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों में राशन व्यवस्था भी शामिल है, इस बारे में किये जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वोपाय के रूप में सरकार खाद्यान्न में सट्टा बिल्कुल बन्द कर देने का विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : सट्टे के सभी पहुलुओं पर रोक लगाई जा रही है। फिर बैंकों के लिये क्या कारोबार रह जायेगा ?

श्री जेधे : क्या यह सच है कि योजना आयोग के उप-सभापति द्वारा कहीं दिये गये वक्तव्य के कारण व्यापारियों ने मूल्य बढा दिये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : नहीं, श्रीमान्।

श्री अ० प्र० शर्मा : सरकार द्वारा देश तथा जनता को दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी खाद्यान्न विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ रहे हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कौन से घोर उपाय कर रही है ताकि यदि मूल्य कम न हो तो जितने वे आजकल हैं, उतने ही रहें ?

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में जो उपाय हैं उनकी सूचना पहले ही सभा को दी जा चुकी है। अब पता नहीं माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री एक या दो उपायों के बारे में बतायें।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार जल्दी में तथा बिना सोचे समझे वक्तव्य देकर मूल्य नियंत्रण में लोगों के विश्वास को भंग करता है तो क्या माननीय वित्त मंत्री अथवा योजना आयोग के सभापति यह कहेंगे कि वह व्यक्ति भविष्य में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देगा जो कि मूल्य सम्बन्धी दशा में सुधार करने के बजाय उसमें गिरावट लाता है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं पहले ही बता चुका हूं की उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा है और मेरे विचार में वह वक्तव्य जल्दी में तथा बिना सोचे समझे नहीं दिया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री को ज्ञात ही है कि गत कुछ सप्ताहों में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान, उदाहरण के लिये दिल्ली में सभी अत्यावश्यक वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य दुकानदारों तथा व्यापारियों द्वारा अनुचित तरीके से बढा दिये गये। उनसे अपील करने के अतिरिक्त सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे मूल्य न बढ़ायें, कौन से साधन, यदि कोई हैं, अपनायें और वे इतनी बुरी तरह क्यों असफल रहें।

श्री ब० रा० भगत : सप्लाई कम होने के कारण आरम्भ के कुछ दिनों में मूल्य बढ़ गये होंगे परन्तु बाद में स्थिति यही नहीं रही।

श्री हेम बरूआ : मैं माननीय मंत्री का ध्यान आज सुबह के समाचार पत्र की खबर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में मूल्य अस्थिर हैं और एक ही स्थान में भिन्न भिन्न दूकानों

में भिन्न भिन्न मूल्य है और क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान मूल्यों को बढने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : भारत प्रतिरक्षा नियम।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे स्थिर नहीं हैं तो वे कम भी हो जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : इन दिनों में मूल्य बढ़े ही हैं और एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न दुकानों में भिन्न-भिन्न मूल्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक ही ओर झुकाव है तो मूल्यों को "अस्थिर" कैसे कहा जा सकता है? मुझे अधिक अंग्रेजी नहीं आती।

श्री हेम बरूआ : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न में से "अस्थिर" शब्द निकाल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उत्तर दें कि क्या मूल्य बढ़े हैं।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : निस्संदेह यह सच है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़े परन्तु यह जान कर प्रसन्नता होती है कि एक अथवा दो बुनियादी वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। निस्संदेह मूल्य अनुचित रूप से बढ़ा दिये गये हैं और निश्चय ही इसके लिये कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र श्री हेम बरुआ ने कहा यह भिन्न-भिन्न दूकानों में भिन्न-भिन्न मूल्य होने का प्रश्न है। ऐसे मामलों में सरकार क्या कर सकती है? यह कारोबार गैर-सरकारी उपक्रम के हाथ में है। इसका इलाज यही है कि घोर उपाय किये जायें जिसके लिये शायद हम तैयार न हों।

Shri Tulsidas Jadhav : As the prices of commodities go up, besides foodgrains, the people do not get other commodities of day-to-day necessity also. Has Government made any arrangements for making available to the people other commodities also along with foodgrains?

Shri B. R. Bhagat : It would not be possible for us to do so, unless consumer cooperative store was opened everywhere.

श्री प्रभात कार : क्या मैं जान सकता हूं कि रिज़र्व बैंक द्वारा उधार कम करने की नीति अपनाये जाने के बावजूद अधिकांश बैंकों में जमा राशि के विरुद्ध दिये गये अग्रिम धन असाधारणतया अधिक प्रतिशत दिया जाता रहा है। वास्तव में यह कोई 75 से 80 प्रतिशत दिया जाता रहा है और यदि हां, तो अग्रिम धन के इतने अधिक अनुपात को, जो अधिक मूल्यों के होने का एक कारण है, बन्द करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार ने कम व्यवस्था समय में अग्रेतर अग्रिम धन देने पर रोक लगाई थी। हमारा इरादा अग्रिम धन को 2,144 करोड़ रूपये से, जो व्यस्थ समय में अधिकतम आंकड़ा होता है, 200 करोड़ रूपये कम करने का था। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि पेशगियों पर रोक लगाने के विरुद्ध हमें कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यह कहा गया कि इससे कारोबार को हानि हो रही है। इस बात के बावजूद कि हम इस में 200 करोड़ रुपये की कमी करना चाहते थे, हम 200 करोड़ की कमी नहीं कर सके हैं और हम उसे घटा कर केवल 2,028 करोड़ रुपये तक ला सके हैं। यह अवस्था थी जब सरकार ने 26 जून को बैंकों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को वापिस ले लिया क्योंकि ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उन लोगों को धन नहीं मिल रहा है जिनको उद्योग और व्यापार के लिये इसकी आवश्यकता है।

श्री प्रभात कार : मैं माननीय मंत्री से केवल एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह जो शिकायत थी वह इसलिये थी कि 26 जून की तारीख मनमाने तौर से निश्चित की गई थी। इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई थी जिसके फलस्वरुप पेशगियों को कम करने का निर्णय किया गया हो। शिकायत यह थी कि 26 जून से ही क्यों पेशगियों को कम करने का निश्चय किया गया था। इन सभी शिकायतों का यही कारण था। क्या यह सच नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न के सम्बन्धी माननीय सदस्य को मेरे से भी अधिक जानकारी है। परन्तु वास्तविकता यह है कि उस विशेष प्रकार के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया था। अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध अब भी लागू हैं। बैंकों को रिज़र्व बैंक से तब तक पुन: बट्टा देने की सुविधाये नहीं मिलती हैं जब तक कि उनका अनुपात लगभग 28 प्रतिशत तक सीमित नहीं होता है।

श्री शशि रंजन : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि मूल्यों पर कारगर रोक तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उपभोक्ता सहकारी भंडारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और उनको उन स्थानों पर नहीं खोला जाता जहां उन्हें अभी नहीं खोला गया है। क्या सरकार यह जानती है कि राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों को कुछ प्रतिशत पेशगियों के लिये आश्वासन दिया था परन्तु रिज़र्व बैंक ने उनकी इस प्रस्थापना को स्वीकार नहीं किया है जिसके फलस्वरुप सहकारी बैंक इस स्थिति में नहीं हैं कि सहकारी भंडारों की पर्याप्त सहायता कर सकें और जहां कहीं भी यह भंडार खुले हुए थे वह बेकार पड़े हुए हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं ? क्या मैं जान सकता हूं माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त किया गया यह विचार रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध से कैसे मेल खाता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां कहीं भी अपेक्स बैंक अच्छा कार्य करते है तो उन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिये उधार की व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न प्रयोजनों के लिये सुविधायें दी जाती है। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य का अनुभव कुछ दुर्भाग्य-पूर्ण है। इन में से यह भी एक मामला है जिसमें हम एक अन्य संस्था को स्थापित करने की बात पर विचार कर रहे है जो कि वर्तमान संगठन की जिम्मेदारी को सम्भाल लेगी और हम सभा के समक्ष एक ऐसा विधेयक ला रहे है जिससे सरकार रिज़र्व बैंक से पांच राज्यों में इस प्रकार की संस्थायें स्थापित करने के लिये कह सके ताकि सहकारी उधार आन्दोलन को प्रोत्साहन मिले।

श्री शशि रंजन : मैंने सहकारी बैंकों के बारे में नहीं परन्तु सहकारी उपभोक्ता भंडारों के बारे में पूछा था यदि वह समझते हैं कि सहकारी बैंक उपभोक्ता सहकारी भंडारों को उधार देने की स्थिति में नहीं हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार उपभोक्ता सहकारी भंडारों को उधार देने के लिये क्या प्रबन्ध करने जा रही है ताकि वह अच्छी प्रकार से कार्य कर सकें और मूल्यों पर कारगर रोक लगा सकें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस प्रकार सामान्यकरण करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य मुझे कोई विशिष्ट जानकारी देंगे तो मैं इस सम्बन्ध में जांच करुंगा।

श्री बुटा सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार मूल्यों को घटाकर उस स्तर पर लाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करना चाहती है जो 5 अगस्त को था जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरम्भ होने के बाद मूल्यों में वृद्धि हुई थी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी सम्बन्ध में सरकार के पास सीमित शक्ति है। यह प्रश्न मुख्यता उधार नियंत्रण से है जिससे मेरा मंत्रालय सबन्धित है और वह रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो अन्य उपाय किये जाने की आवश्यकत है वह है थोक विक्रय अथवा विक्रय पर अधिक नियंत्रण किया जाना।

श्री रंगा : मुद्रास्फीति को क्यों न बन्द किया जाये ।

श्री प्रिय गुप्त : यह इस सभा में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सरकार मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगाने में असफल रही है और ऐसा कई वर्षों तक के लिये नहीं किया जा सकता है। क्या वित्त मंत्रालय ने मूल्यों में हुई वृद्धि को प्रभावशून्य बनाने के लिये वेतन के साथ महंगाई में वृद्धि को जोड़ने के प्रश्न पर तथा सहकारी भंडारों द्वारा रियायती राशन देने पर विचार किया है जैसा कि श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में माननीय मंत्री के क्या विचार हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न के सार को नहीं समझ सका हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि इस में कई मामले उठाये गये हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : निश्चित कथन यह रहा है कि महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है चूंकि सरकार ने कहा है कि मूल्यों में हो रही वृद्धि पर रोक लगाना सम्भव नहीं है तो वास्तविक मजूरी के साथ महंगाई भत्ते को जोड़ने के लिये एक फार्मूला तैयार करने के बारे में सरकार क्या प्रबन्ध करना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है। अगला प्रश्न ।

जीवाणु संक्रामण

*800. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने साइबेरिया और भारत में निरंतर जीवाणू, संक्रमण फैलाने वाली पांच प्रकार की जंगली बतखों सम्बन्धी ब्यौरा बम्बई के वैज्ञानिकों को भेजा हैं;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रम के अन्तर्गत ओमस्क तथा बम्बई के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से इन बतखों के संक्रामण फैलाने के तरीकों के बारे में कोई अनुसंधान किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी ने यह बतलाया है कि पश्चिमी साइबेरिया और भारत के बीच बाहर से आए हुए पक्षियों की पांच जातियां कुछ वाइरसों के प्रतिजनों के प्रति क्रियात्मक पाई गई हैं। खंजनों की तीन जातियां (मेटासिल फूलवा, एम साइट्रिओला और एम० एलवा) बाहर से आए हुए गौरेया (पासरकोमैस्टिक्स पारकिनी) तथा सामान्य बत्तख (अनास क्रेका) ही ये पक्षी हैं। भारत में आने वाले पक्षी और साइबेरिया तथा भारत में उनके केन्द्रों के बीच कतिपय आथ्र पिौड-उत्पन्न वाइरसों के संचरण एवं फैलाव में भ्रमणशील पक्षियों का कितना हाथ है इसके बारे में यह सोसायटी विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुदान की सहायता से छानबीन करने के काम में लगी हुई है। यह सोसायटी पतझड़ तथा वसंत के दिनों में उन विभिन्न स्थानों में जहां कि शीतकाल में आने वाले पक्षी और विशेषतया रूससे आने वाले पक्षी पकड़े जाते हैं और उनकी प्रवास सम्बन्धी गतिविधियों के अध्ययन के लिये उन पर पहिचान चिन्ह अंकित कर दिया जाता है, क्षेत्रीय शिबिर चलाती है। पहिचान के लिये तथा निश्चित रूप से यह जानने के लिये कि ये जातियां स्थानीय है या विदेशों से पक्षियों के मार्ग में रुकने के स्थानों से ली हुयी हैं। इन पक्षियों से चीचड़ एकत्र किये जाते हैं। ओम्स इन्स्टीट्यूट आफ डिजीज़िज़ विद नेचुरल फांसी द्वारा सीरमीय अध्ययन करने के

लिये यह सोसायटी इन प्रवासी पक्षियों से रक्त के नमूने भी एकत्र करती आ रही है। ओम्स इन्स्टीट्यूट द्वारा दोनों देशों में उपलब्ध बहुतसी चुनी हुयी जातियों से एकत्र किये हुये रक्त तथा साइबेरिया में गर्मियों में तथा उनके भारतीय शिशिर क्वाटरों में उनके उत्पत्ति स्थानों के बारे में एक तुलनात्मक परीक्षण किया जाता है। भारत में एकत्र किये गये रक्त के नमूनों के बारे में पहली रिपोर्ट हाल ही में इस सोसायटी से प्राप्त हुई है और उस का अध्ययन किया जा रहा है।

Shri Raghunath Singh : The 'Khanjan' Birds which came from the U.S.S.R. to India, get poisoned, according to the statement. I want to know the reasons thereof.

Dr. Sushila Nayar : It is not so. The statement mentions the existence of a Nature History Society at Bombay, which, in collaboration with their counterpart in Russia have studied this phenomenon of bird migration. They have examined the blood etc. of the migratory birds and after studying this, they are trying to find out whether certain virus diseases are not carried and spread by these migratory birds.

Shri Raghunath Singh : Whether it has been examined as to what kind of diseases are caused by the infections bacteria, which has developed in them.

Dr. Sushila Nayar : Sir, there are three kinds of viruses. इन जीवानुओं का संबंध मुख्यत: रूस के बसन्त और ग्रीष्म कालीन "एन्सीफेलाइटिस कॉम्पलेक्स" ओमस्क रक्तस्रावी ज्वर और कैसानुर वन रोगों से है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या इन रोगों से पीड़ित पक्षियों में फ्लैमिंगोज़ भी शामिल हैं?

डा० सुशीला नायर : मुख्य प्रश्न में जंगली बत्तखों का उल्लेख था। कुछ अन्य प्रकार के पक्षी भी इनमें शामिल हैं, जो प्रवासी स्वभाव वाले हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of ducks coming in India and whether any antidote has been prepared or not?

Dr. Sushila Nayar : It will be very difficult to tell their number but out of them we undertake the study of a few birds.

Shri Yashpal Singh : Whether any antidote has been prepared?

Mr. Speaker : There could be no other antidote except the supplementary here.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या जमा किये गये रक्त के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या संकेत मिले हैं? और किस प्रकार लोगों को इन जंगली बत्तखों से सावधान किया जाएगा क्योंकि श्री रघनाथसिंह सहित अनेक लोग इन पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट समझते हैं और वे इन्हे प्राप्त करते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं कट्टर शाकाहारी हूं।

डा० सुशीला नायर : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिला दूं कि जंगली बत्तखों को खाने से लोगों में यह रोग नहीं होगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या माननीय मंत्री जानती हैं कि काश्मीर के विख्यात स्थानों में विशेषकर सायबेरिया से जंगली बत्तखें आती हैं और कुछ समय तक वहां रहने के पश्चात लौट जाती है, तो क्या इन रोगों को फैलने से रोकने के लिये कोई सावधानी बरती जाती है अथवा कोई सलाह दी जाती है?

डा० सुशीला नायर : यह तो केवल प्रारंभिक अध्ययन मात्र है जो भारत तथा रुस की एक चुनी हुई संस्था में साथ साथ किया जा रहा है। अध्ययन संबंधी विवरण एक दूसरे को दिये जा रहें हैं और वैज्ञानिक लोग इनका अध्ययन कर रहे हैं। इनके अन्तिम प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मुख्य प्रश्न के भाग (क) में सायबेरिया की बत्तखों का उल्लेख है। क्या इस बात का भी कोई अनुमान लगाया गया है तथा परीक्षण किया गया है कि क्या चीन और पश्चिमी देशों से आदि बत्तखें आदि भारत में आती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो हम प्रारंभिक अवस्था में ही हैं।

Shri Sheo Narain : I want to know whether the poison is in their eyes or in the blood?

Mr. Speaker : What will be the benefit of knowing that?

प्रति व्यक्ति ग्राम्य-आय

+

*801. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
श्री मोहन स्वरूप : **श्री दे० शि० पाटिल :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति व्यक्ति ग्राम्य-आय के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण किस अभिकरण के द्वारा करवाया गया तथा उसने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये क्या तरीके अपनाये; और

(ग) क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) प्रति व्यक्ति ग्राम्य-आय के सम्बन्ध में किसी भी सरकारी एजेन्सी ने सर्वेक्षण नही किया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : कुछ समय पहले यह समाचार छपा था कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने 1965 संबंधी उपलब्ध सूचना के आधार पर एक सर्वेक्षण किया है जिस से पता चला है कि ग्राम्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दैनिक आय 68 पैसे है। क्या सरकार इस समाचार को ठीक मानती है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि इस संस्था ने एक सर्वेक्षण किया था, परन्तु वह सरकारी संस्था नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यदि सरकार ने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं करवाया है तो फिर सरकार के पास कौन से तथ्य और आंकड़े हैं जिनके आधार पर उन्होंने ग्राम्य क्षेत्रों के लिये विकास योजनाएं तथा पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की हैं ?

श्री वं० रा० भगत : हमारे पास प्रति व्यक्ति आय की सारे देश की जानकारी है, जिसमें नागर और ग्राम्य-आय दोनों ही शामिल हैं। मैं ने तो केवल यही कहा था कि हमने केवल ग्राम्य क्षेत्रों में इसकी सरकारी रुप से कोई जांच नहीं करवाई है।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसके महत्व की दृष्टिसे ग्राम्य लोगों की प्रति व्यक्ति आय की जांच करवाने का विचार रखती है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने सर्वेक्षण के पश्चात जो आंकड़े प्रकाशित किये हैं, उन्हें देखते हुए बड़ी चिन्ता होती है। क्या सरकार अपनी जानकारी के आधार पर इन आंकड़ों को गलत समझती है अथवा ग्रामीणों की दशा को इतनी ही खराब समझती है जैसी कि इस जांच से प्रतीत होती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस मामले में मैं भी माननीय सदस्य के समान ही चिन्तित हूं। मैं ने ही इस परिषद को यह विषय हाथ में लेने का सुझाव दिया था। यद्यपि ऐसी संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण में कुछ न्यूनताएं रह जाती हैं परन्तु इस के द्वारा तैयार किये गये मुख्य तथ्यों से काफी गलत फहमी उत्पन्न होती है। सरकार को इस विषय पर आगे विचार करना पड़ेगा और सम्भवत: उन क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जहां इस परिषद ने पहले सर्वेक्षण किया था और फिर दोनों आंकडों का मिलान किया जाएगा। इस रिपोर्ट से जो असंतुलन दृष्टिगोचर होता है उसे चौथी योजना में दूर करने की ओर ध्यान दिया जाएगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार ने इस राष्ट्रीय परिषद की रिपोर्ट का अध्ययन किया है जो एक गैर-सरकारी संस्था है जिसका गठन विख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा हुआ है ? क्या उन्हें इस रिपोर्ट के विश्वासनीय अथवा ठीक न होने के प्रमाण मिले हैं अथवा वे इसे विश्वासनीय और सच्ची मानते हैं यद्यपि यह एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा निकाली गई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैंने पहले कहा मैंने स्वयं ही यह सर्वेक्षण करवाया था। मेरे विचार से नमूना सर्वेक्षण के आधार पर निकाले गये सभी आंकड़ों में कुछ त्रुटियां हैं परन्तु उनसे कुछ तथ्य ऐसे निकलते हैं जिन की और जांच की आवश्यकता है। मेरे विचार में सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये और सरकार तथा योजना आयोग इसमें जुटे हुये हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What is the basis of determining the per capita income of those farmers who attend to all their work themselves?

Shri B. R. Bhagat : As has been stated by the hon. Finance Minister, the matter will be looked into and some remedy found.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What is the basis of assessing his income?

Shri B. R. Bhagat : This has not so far been found. When the survey is done, the basis will also be found.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

सैनिक कर्मचारियों के परिवारों का पालन-पोषण

अ० सू० प्र० 10. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में मारे गये सशस्त्र सेना के अफसरों और सैनिकों के परिवारों के उचित पालन-पोषण की व्यवस्था कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन लोगों के परिवारों के लिये क्या व्यवस्था की गई है जो युद्ध में घायल होने के फलस्वरूप स्थायी तौर पर विकलांग और असमर्थ हो गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने फैसला किया है कि 5 अगस्त 1965 से जैसे कि नीचे पैरा 3 और 4 में बताया गया है, वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत देय, सशस्त्र सेवाओं के अफसरों और सेविवर्ग के पेन्शनी अधिकार संशोधित किए जाएंगे, जो संक्रिया में मारे जाएं और संक्रिया में आए घावों के कारण निर्योग्य हो कर सेवा से विमुक्त किए जाएं।

2. किए गए फैसलों के अन्तर्ग्रस्त है अफसर और सेविवर्ग जो पाकिस्तान के विरुद्ध वर्तमान संक्रियाओं अग्रिम क्षेत्रों में मारे जाएं अथवा घायल हों। कोई व्यक्ति संक्रिया में अग्रिम क्षेत्र में मारा गया अथवा घायल हुआ माना जाएगा, अगर उसकी मृत्यु अथवा घाव (पाकिस्तान के छातावरदारों और घुसपैठियों की कार्यावाही सहित) सीधे शत्रु की कार्यवाही के परिणामस्वरूप हों जब वह अपना कर्तव्य-पालन पर डटे हो।

3. संक्रिया मे मारे गये सशस्त्र सेवाओं के अफसर और जवान

सैनिक पेन्शन नियम इन अदायगियों के लिए उपबन्ध करते हैं : (क) अफसरोंकी विधवाओं और अफसरों से निम्न पदों के सेविवर्ग के अधिकारी कुटुम्बियों को विशेष कुटुम्ब पेन्शन ; (ख) मृतकों के अल्प वयस्क बच्चोंको बच्चा भत्ता (जो अफसरों के मातृहीन बच्चों की हालत में उच्चतर दरों पर दिए जाते है) ; (ग) अफसरों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता ; (घ) एक यकमुश्त उपदान । अब लिए गए निर्णय के अनुसार इन अफसरों और जवानों के संबंध में अदायगिएं इस प्रकार की जाएंगी :—

(1) पहले सात वर्षों के लिये—विशेष कुटुम्ब पेन्शन, बच्चा भत्ते और शिक्षा भत्ते के स्थान मृतक द्वारा अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन का दो तिहाई–

(2) तदुपरान्त, अफसरों की हालत में वर्तमान दरों से डेढ़ गुणा दरों पर कुटुम्ब पेन्शन और बच्चा भत्ता, और वर्तमान शिक्षा भत्ते की सीमा में 50 प्रतिशत बढ़ौती; और अफसर पद से नीचे सेविवर्ग की हालत में वर्तमान दरों की दुगनी दरों पर विशेष कुटुम्ब पेन्शन और बच्चा भत्ता । तदपि, कुल अदायगी मृतक द्वारा अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन की दो तिहाई से अधिक न होगी ।

(3) अफसरों के मातृहीन बच्चों की हालत में बच्चा भत्ता और शिक्षा भत्ते की सीमा में 50 प्रतिशत बढौती की जाएगी, परन्तु इस शर्त से कि कुल अदायगी मृतक द्वारा अंतिम प्राप्त आधारभूत वेतन के दो तिहाई से अधिक न हो।

(4) वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत पुरस्कृतिएं तभी अदा की जाएंगी अगर वह मृतक द्वारा अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन के दो-तिहाई से अधिक हों।

(5) अब की तरह उपदान इन सब के अतिरिक्त दिया जाता रहेगा।

4. संक्रिया घायल हुए सशस्त्र सेवाओं के अफसर और जवान

सैनिक पेन्शन नियमों के अन्तर्गत यह अफसर और जवान पद, सेवावधि और निर्योग्यता के स्तर के निर्धारण पर आधारित निर्योग्यता पेन्शन के अधिकारी हैं अब लिए गए निर्णय के अनुसार इन अफसरों और जवानों को निर्योग्यता पेन्शन इस प्रकार दी जायगी :—

(1) उन लोगों की हालत में जिन की निर्योग्यता 80 प्रतिशत या उससे अधिक निर्धारित की जाए :—

(क) पहले 7 वर्षों के लिए—अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन की दो तिहाई ;

(ख) तदुपरान्त, वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत दर का डेढ़ गुणा, परन्तु इस शर्त के साथ कि अधिकाधिक अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन का दो-तिहाई हो ।

(2) उन लोगों की हालत में जिन की निर्योग्यता 20 प्रतिशत और उससे अधिक परन्तु 80 प्रतिशत से कम हो, वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत दर का डेढ़ गुणा, परन्तु इस शर्त के साथ कि अधिकाधिक अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन का दो-तिहाई हो ।

(3) सभी हालतों में अदायगी वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत देय दर पर की जाएगी, अगर वह अन्तिम प्राप्त आधारभूत वेतन के दो-तिहाई से अधिक हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का प्रस्ताव युद्ध में मरे अथवा नाकारा जवानों के बच्चों और परिवारों के शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां, मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था, भूमि देने आदि की सुविधायें देने का प्रस्ताव है जैसा उन्होंने पहले राजनीतिक पीड़ितों के लिये की थी और यदि हां तो क्या सरकार का प्रस्ताव लाल फीते से मुक्त ऐसी प्रक्रिया बनाने का है जिसके द्वारा यह लाभ उन शहीदों अथवा सदा के लिये अपंग बना दिये गये जवानों के परिवानों को बिना विलम्ब उपलब्ध हो सकेगा ?

डा० द० स० राजू : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि यह पेन्शनें बिना विलम्ब जारी कर दी जाएंगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हुआ ।

डा० द० स० राजू : यह नए परिवार पेंशन विनियम पुराने विनियमों से कहीं अधिक अच्छे हैं और इन में कई सुधार किये गये हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : वे सुधार क्या हैं ? हमें कुछ विवरण दिया जाए ।

श्री द० स० राजू : यह एक लम्बी रिपोर्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख दें ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यदि माननीय सदस्य कुछ तुलनात्मक आंकड़े चाहते हैं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं । मैं एक अथवा दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं । वर्तमान दरों के अनुसार एक 'सेकेण्ड लेफ्टीनेंट' को 150+10 रुपये मिलते है जबकि नई योजना के अन्तर्गत पेन्शन की पुनरीक्षित दर के अनुसार यह न्यूनतम 267 रुपये होगी । एक 'मेजर' को वर्तमान दर के अनुसार 180+10 रुपये मिलते है जबकि नई योजना के अन्तर्गत उसे कम से कम 560 रुपये मिलेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : भूमि के संबंध में क्या योजना है ?

श्री प्रिय गुप्त : यह तो अधिकारियों के बारे में था । जवानों के बारे में क्या योजना है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह जानकारी मैं देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव हैं कि इसे सभा-पटल पर रख दिया जाए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अच्छा श्रीमान् ।

श्री प्रिय गुप्त : एक जवान का न्यूनतम वेतन क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : विवरण यहां रख दिया जाएगा जिसमें आपको यह सूचना मिल जाएगी ।

श्री प्रिय गुप्त : एक जवान का पुनरीक्षित वेतन क्या है इसकी घोषणा की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी विवरण में दी जाएगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि हाल ही में अधिकारियों के कुछ वर्गों के वेतन में वृद्धि की गई थी जो उचित ही है? और यदि हां तो युद्ध क्षेत्र में साधारण जवानों द्वारा प्रदर्शित की गई वीरता को स्वीकार करते हुए क्या निकट भविष्य में इनके वेतनों में भी वृद्धि करने का भी सरकार का प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कुछ सुझाव रखे हैं । इन पर अवश्य ही विचार किया जाएगा ।

श्री करनीसिंहजी : क्या घायल जवानों तथा शहीद हुये जवानों के परिवारों को राजस्थान नहर तथा चम्बल से सिंचित होने वाले क्षेत्रों में फिर से बसाने का कोई सुझाव है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : घायल जवानों के पुनर्वास की योजना बनाई गई हैं । आपने विशेष क्षेत्रों में उनके पुनर्वास का सुझाव दिया है जिसपर विचार किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का विशेषकर उन अधिकारियों तथा जवानों की विधवाओं के लिये कुछ समय के लिये आवास प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है ताकि जब तक वे अपना पुनर्वास करने योग्य हों उन्हें रहने का कोई तो स्थान दिया जा सके क्योंकि उन्हें मकान आदि नहीं मिलते ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले पर सहानभूतिपूर्ण विचार किया जाता है और जहां भी सम्भव होता है इसकी व्यवस्था भी की जाती है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार जानती है कि निम्न वर्गों के कर्मचारियों, जैसे हविलदार आदि, को आवास तथा अपने बच्चों की शिक्षा की सुविधाओं के मामले में बहुत कठिनाई का सामना है ? क्या सरकार इन को यह सुविधायें उपलब्ध करने की किसी योजना की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, हमने बना रखी है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस मामले पर विचार हो चुका है और सरकार को इसकी चिन्ता है । माननीय निर्माण और आवास मंत्री और इनका विभाग यह आवश्यकता पूरी करने का प्रयत्न कर रहा है । जहां तक पेंशन और अन्य देनदारियों का संबंध है हम अपने अधिकारी प्रभावित व्यक्तियों के पास भेज रहे हैं ताकि धन उन्हें शीघ्र दिया जा सके और सहायता मिलने में उन्हें कोई कठिनाई न हो ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में से आयकर अब भी काटा जा रहा है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : निम्न वर्गों से आयकर नहीं लिया जाएगा ।

श्री बूटा सिंह : हाल ही में कुछ कर्मचारियों के पदों के नामों में कुछ परिवर्तन किया गया था जैसे जमादार का नायब सुबेदार—तो क्या इस परिवर्तन से कोई वेतन वृद्धि आदि भी हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह केवल नामावली में परिवर्तन है और कुछ नहीं है ।

श्री जोकीम आल्वा : जबकि विभिन्न असैनिक मंत्रालयों के लिये विशालकाय भवन बन रहे हैं जो स्वयं संसद् भवन से भी ऊंचे है क्या 'विक्टोरिया मेस' 'किंग्स मेस' आदि जर्जर स्थानों को गिराने के लिये भी कोई कार्यवाही की गई है जहां अधिकारी तथा उनके परिवार वर्षों से रह रहे हैं ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि निर्माण मंत्रालय द्वारा कोई भी भवन संसद् भवन से ऊंचा नहीं बनाया गया। वास्तव में दो अथवा तीन वर्ष पूर्व प्रतिरक्षा मुख्यालय के लिये एक भवन लगभग वैसा ही बनानेका प्रस्ताव था परन्तु इस स्वर्गीय प्रधान मंत्री के समय ही अस्वीकार कर दिया गया था। जहां तक इन 'मेसों' का संबंध है, हम पुराने स्थानों को पहले ही गिरा रहे हैं और यह 'मेसें' भी इन का ही भाग हैं। हम नए आवास स्थान घौला कुआं छावनी और दुसरे स्थानों पर बना रहे हैं और मुझे आशा है कि आगामी दो तीन वर्षों में ही गत महायुद्ध में बने इन स्थानों को दिल्ली में नहीं रहने दिया जाएगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Whether 'Victory Medals' would be awarded to all those soldiers who took part in this war?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह भी एक सुझाव है जिस पर विचार किया जाएगा।

श्री इकबाल सिंह : चीनी आक्रमण के दौरान मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने वीर गति प्राप्त और घायल जवानों के परिवारों के पुनर्वास के लिये 1 लाख एकड़ भूमि देने का वचन दिया था परन्तु इस संबंध में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करेगी कि एक वर्ष के अंदर अंदर यह भूमि उनसे लेकर वितरित कर दी जाए क्योंकि तीन वर्ष बात जाने के पश्चात भी कोई प्रगति नहीं हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले पर आगे कार्यवाही करने को कह रहे हैं ।

Smt. Sahodra Bai Rai : Whether M. P. Government.....

Mr. Speaker : She should not put question without being called.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सैनिक तथा पब्लिक स्कूलों में सभी वर्गों तथा श्रेणियों के सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिये स्थान रक्षित रखे जाएगे और क्या इस के लिये उन्हें अधिछात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी ? क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहा है कि 'आई० ए० एस०', 'आई० पी० एस०' और 'आई० एफ० एस०' के लिये भी प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये कुछ स्थान रक्षित रखे जाए ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो सैनिक स्कूलों के बारे में बता सकता हूं कि कुछ स्थान रक्षित रखे जाते हैं और कुछ स्थान ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये भी रखे जाते है जहां उनके लाभार्थ कुछ छात्रवृत्तियां भी स्वीकृत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और आई०एफ०एस० में कुछ स्थानों के आरक्षण का संबंध है एमर्जेंसी कमीशंड अधिकारियों के बच्चों के लिये भी कुछ स्थान रक्षित रखने पर विचार किया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार के पास रक्षा कोष में राष्ट्रभक्त भारतीयों द्वारा दिये गये दान में से कोई सहायता निधि बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि उन जवानों के परिवारों अथवा स्वयं अपंगु जवानों को सहायता दी जा सके जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में बलिदान दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राष्ट्रीय रक्षा कोष में से काफी धन इस मनोरथ के लिये रखा गया और प्रत्येक राज्य बोर्ड को कुछ निश्चित राशि दी गई है। सम्बद्ध राज्य सरकारों ने भी इसके लिये कुछ तुलनात्मक अनुदान स्वीकृत करना मान लिया है।

श्री हेम बरुआ : क्या वे पथक रूप से रख दी गई हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां ।

श्री हेम बरुआ : इसका प्रयोग क्या है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस का प्रयोग विभिन्न राज्यों की योजनाओं पर निर्भर है। प्रत्येक राज्य की अलग अलग योजनायें हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि उन जवानों के पुत्रों को, जो इस कार्यवाही के दौरान मारे गये है आयुध कारखानों में शिल्पकार या पर्यवेक्षी प्रशिक्षार्थी के तौर पर नियुक्ति के लिये अधिमान दिया जायेगा ताकि वे नियमित शिल्पकार बन सके और देश की रक्षा में सहायता दे सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक और सामान्य सुझाव है। निश्चय ही इस पर बड़े सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या मैं जान सकता हूं कि जनता ने अपने बहादुर जवानों के लिये, जैसा कि सुबेदार राजू जो कि विमान भेदी तोप चलाता रहा है, अमृतसर और दूसरे स्थानों से जो दान एकत्र किया है क्या उनको ऐसा करने की आज्ञा है और क्या सरकार जवानों को यह दान स्वीकर करने की आज्ञा देगी ? (**अन्तर्बाधायें**)

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इन पुरस्कारों का सम्बन्ध है कुछ नागरिक कुछ जवानों को देने के लिये मुझे भी चैक भेज रहे हैं। हम यह करते हैं कि इन चैक या दानों को कुछ शहीद हुये जवानों के परिवारों या विधवाओं को भेज देते हैं। कुछ विमान चालकों के मामले में मैं यह चैक उन के पक्ष में पृष्ठांकन करके उन को भेज रहा हूँ। परन्तु मुझे पता लगा है कि वे इन चैकों को अपनी सेवा की विशेष निधियों में जमा करा रहे हैं।

Shri Bagri : May I know whether the policemen, as of Punjab Armed Police, who have been killed on the border in Punjab and Kashmir would be treated at par with the jawans in regard to pension etc.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह विशेष आदेश प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये है। चाहे वह घुसपैठियों के या छातासैनिकों या देश के अन्दर किसी और के विरुद्ध लड़ाई में शहीद हुये हों, वे अवश्य ही लड़ाई में शहीद हुये हैं। विषय पर अलग से विचार करना पड़ेगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्योंकि अधिकतर युवक हताहत हुये हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि उन व्यक्तियों के, जो अविवाहित थे, आश्रितों को लाभ होगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह आश्रितों और परिवार की आम हालत पर निर्भर करता है। इस विशेष विषय के लिये कुछ नियम हैं और वही लागू होते हैं।

श्री रंगा : यह जानकार हमें प्रसन्नता हुई कि वित्त मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री इकट्ठे इस विषय में इतनी सहानुभूति से काम कर रहे हैं। क्या मैं यह आश्वासन ले सकता हूँ कि यह सब रियायतें उन लोगों को भी दी जायेंगी जिन्हें चीनी आक्रमण के समय नुकसान हुआ था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे यह प्रश्न वित्त मंत्री के साथ उठाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस मामले में वित्त मन्त्री हमारा समर्थन करेंगे।

Shri Gulshan : Those families who got more than two of their members enlisted in the armed forces during the British regime were given lands and other properties. May I know whether even now Government will stick to this tradition?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह फिर एक आम सुझाव है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं कि सभा पटल पर रखे गये विवरण को सदस्यों में आज या कल बांट दिया जाये क्यों कि सभा कल स्थगित हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस को आज या कल बांट दिया जायेगा। श्री बाल्मीकी।

श्री जी० भ० कृपलानी : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार का जनता की ओर से दुःखी परिवारों के लिये दी गई निधियों को अलग रखने का प्रस्ताव है और क्या सरकार यह बतायेगी कि इस निधि के लिये कितनी अतिरिक्त राशि रखी गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा और सरकार का निर्णय बता दिया जायेगा।

Shri Parkash Vir Shastri : The persons who have been permanently disabled may also be included in the suggestions made by Acharya ji.

Shri Priya Gupta : The pension given to the persons of lower grade is too less. They get even less than the living wages. This aspect may also be considered and the relevant rule should be relaxed.

Shri J. B. Kriplani : My question has not been answered.

Mr. Speaker : I have asked him to give the answer after consideration.

Shri Onkar Lal Berwa : The ex-servicemen who have rendered cooperation during this action should also be given consideration under this.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार है कि आप ने सुझाव दिया था कि इस पर विचार किया जाये और जानकारी दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने यही सुझाव दिया था।

आपात युद्ध जोखिम बीमा योजना

अ० सू० प्र० 11. श्री बाल्मीकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू युद्ध के दौरान नागरिक सम्पत्ति को पाकिस्तान द्वारा पहुंचाई गई क्षति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आपात युद्ध जोखिम योजना का क्षेत्र विस्तृत करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर दी गई हैं अथवा जारी किये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या कारखानों, दुकानों, रिहायशी मकानों और सिनेमा घरों को भी इस के अन्तर्गत लिया गया है अथवा उन्हें इसके अन्तर्गत लेने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : आपात जोखिम (गुडस) तथा (फैक्ट्रीज़) बीमा योजनाओं में बिक्री के लिये रखी गई वस्तुओं, चाय की खड़ी फसलों, कारखानों, अन्तर्देशीय जल-यानों, खानों की मशीनों तथा संयन्त्रों, तेल की खानों, गैस और बिजली तथा पन-बिजली उत्पन्न करने वाले उपक्रमों के बीमा की व्यवस्था है। इन योजनाओं के क्षेत्र को विस्तृत करने का कोई विचार नहीं है।

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य यह प्रभाव बना लें कि सरकार कुछ वर्ग के लोगों से बिलकुल उपेक्षा का व्यवहार करती है जिन को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। जब भी कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो उनकी सहायता पर विचार किया जायेगा।

Shri Balmiki : Both the countries have agreed to ceasefire and there is every possibility of peace but even then we have to keep our selves ready in view of the continuous threat from Pakistan and China keeping in view the situation and what our Prime Minister has said regarding the continuation of defence efforts in full vigour. May I know the difficulties faced by you in its expansion and propagation?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने बताया यह निधि विशेष तौर पर विशेष प्रयोजनों के लिये बनाई गई है। मैंने यह भी कहा था कि कुछ और भी मामले हैं जहां सहायता वांछनीय ही नहीं परन्तु सहायता की आवश्यकता है। इन मामलों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जायेगा।

श्री इकबाल सिंह : क्योंकि अधिकतर नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है और वहीं अधिक लोग शहीद हुये हैं क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों में जहां कि नुकसान हुआ, रहन वाले लोगों को कोई प्रतिकर दिया जायेगा?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने जो कुछ कहा है उसी को दोहराता हूं। इन मामलों पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत की जायेगी और निश्चय ही कुछ सहायता उन लोगों को दी जायेगी।

श्री दाजी : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस लड़ाई के दौरान सेना के कर्मचारियों को दी जा चुकी पालिसियों को जीवन बीमा निगम ने अचानक वापिस ले लिया है और इस कार्यवाही से इस लड़ाई के दौरान घायल हुये जवानों के परिवार निस्सहाय हो गये है? यह एक राष्ट्रीकृत संस्था ने किया है। ऐसे मामलों में क्या सरकार कुछ दूसरे पर्याप्त प्रबन्ध करेगा कि यदि जीवन बीमा निगम सीमा पर गये जवानों की पालिसियों का अचानक वापिस ले लेता है तो उनके परिवारों को सरकार से कुछ रियायत प्राप्त हो सकेगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं अपने माननीय मित्र को यह बता दूं कि यदि उन्होंने कल रात के समाचार प्रसारण को सूना हो तो उन्हें पता लगा होगा कि यह जो धारणा फैल रही है वह गलत है। अब तक किये गये सभी करारों का पालन किया जाये। केवल यह व्यवस्था की गई है कि कोई नई पालिसी नहीं दी जायेगी और पुरानी पालिसियां जारी रहेगी, यह प्रतिबन्ध भी कल से हटा दिया गया है।

Shrimati Subhadra Bai Rai : Mr. Speaker, I wanted to ask one question but you have not provided me an opportunity.

Mr. Speaker : I do not say that chance will not be given.

श्री रंगा : वह अपनी भारी से पहले खड़ी हो गई थी और आप ने कह दिया कि उनको बाद में मौका दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं अगले प्रश्न पर चला गया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों को ऋण

*799. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्रीमती मैमूना सूल्तान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूडान, लंका और नेपाल को 1·1 करोड़ रुपये तक की राशि के ऋण जिन शर्तों पर दिये जाने हैं क्या वे शर्तें अन्तिम रूप से निर्धारित की जा चुकी हैं ; और

(ख) ये ऋण किस योजना के अन्तर्गत दिये जाते हैं तथा इन ऋणों से क्या लाभ होने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) नेपाल को एक करोड़ रुपये का ऋण देने के लिये नेपाल की राजकीय सरकार के साथ 29 सितम्बर, 1964 को एक औपचारिक ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। श्रीलंका और सूडान को पांच-पांच करोड़ रुपये का ऋण देने के सम्बन्ध में ऋण-व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिये इन देशों की सरकारों से जल्दी ही बातचीत की जायेगी।

(ख) ये ऋण इन देशों को मुख्यत: औद्योगिक कारखाने स्थापित करने में सहायता देने के लिए भारत में बनी मशीनों और उपकरणों के निर्यात के लिए धन की व्यवस्था करके दिये जा रहे हैं।

दिल्ली में सरकारी मकान

*802. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को रिहाअशी मकान दिये जा चुके हैं ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों तथा वेतन-वर्गों सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को रिहायशी मकान देने के लिये कब तक का लक्ष्य बनाया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) लगभग 37 %।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

विभिन्न श्रेणियों और वेतन वर्गों को प्राप्त हुए वास की संख्या निम्नांकित है :—

विभिन्न श्रेणियों और वेतन वर्गों के वास का टाईप		प्राप्त हुए वास का प्रतिशत
110 रुपये से कम	टाईप I	46%
110 रुपये से 249 रुपये तक	टाईप II	28%
250 रुपये से 399 रुपये तक	टाईप III	33%
400 रुपये से 699 रुपये तक	टाईप IV	49%
700 रुपये से 1,299 रुपये तक	टाईप V	48%
1,300 रुपये से 2,249 रुपये तक	टाईप VI	46%
2,250 रुपये तथा इससे ऊपर	टाईप VII	69%
सचिव तथा अपर सचिव	टाईप VIII	65%

(ग) और अधिक मकान बनाने के लिये सरकार सभी संभव प्रयत्न कर रही है परन्तु सब को वास देने में कई वर्ष लगेंगे।

एक्स-रे फिल्मों की कमी

*803. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा एक्स-रे फिल्मों के आयात पर 50 प्रतिशत कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में एक्स-रे फिल्मों की बहुत कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। पिछले कुछ महीने में दिल्ली तथा अन्य स्थानों के अस्पतालों से एक्स-रे फिल्मों की कमी की रिपोर्टें मिली है।

(ख) इस कमी की पूर्ति के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं।

(1) अस्पतालों को सलाह दी गई है कि वे एक्स-रे फिल्मों के उपयोग में किफायत करें।

(2) राज्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारियों को सुझाव दिया गया है कि वे अपनी मांगों में उन फिल्मों को सम्मिलित करें जो रुपये के भुगतान वाले देशों से आसानी से उपलब्ध हों।

(3) रुपये के भुगतान वाले कुछ देशों से आयात में वृद्धि कर एक्स-रे फिल्मों की उपलब्धि की वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) अप्रैल, 1965 से मार्च, 1966 तक की अवधि के कोटा लाइसेंसों के पूर्ण उपयोग की अनुमति दी जा चुकी है और इस मामले में जनवरी, 1966 तक 50 प्रतिशत उपयोग की सामान्य वार्षिक लाइसेंस की शर्त हटा दी गई है। कोटा लाइसेंसों के आधार पर आयात की गई एक्स-रे फिल्मों के वितरण को उचित ढंग से विनियमित कर दिया जायगा।

(5) आयात कोटे में की गई कमी को बहाल करने के प्रश्न भी संबंधित मंत्रालयों से उठाया गया है।

थ्रौम्बौटिक रोग के बारे में अनुसन्धान

*804. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ विदेशी सहयोग के साथ थौम्बोटिक रोग के बारे में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ठीक-ठीक स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस पर किस स्तर पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : यह विषय विचाराधीन है इस पर अमेरिकी जन स्वास्थ्य अधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा

*805. **श्री वारियर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं ;

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक कार्यालयों का खोलना;

(2) डाकखानों के माध्यम से बीमा-किस्तों का एकत्रित करना ;

(3) पंचायतों और विकासशील व्यापारिक सहकारी संस्थाओं की सहायता प्राप्त करना ;

(4) डाक्टरी परीक्षा में रियायत ; और

(5) प्रगाढ़ प्रचार ।

(ख) और (ग) : जी हां । ग्रामीण क्षेत्रों में 1961 के दौरान बीमा-कार्य 182.59 करोड़ रुपये था और जो बढ़ कर 1963–64 के दौरान 209–40 करोड़ रुपये हो गया ।

नेताजी नगर, नई दिल्ली में पानी की कमी

*806. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 693 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब सच है कि नेताजी नगर में समुचित जल संभरण के संबंध में दो बार आश्वासन किये जाने के बावजूद, जहां के बारे में कम जल संभरण का समाचार पहले दिया गया था वहां पर क्वार्टरों की छतों पर फ्लश की टंकिया, सदा बिल्कुल ही खाली रहती हैं ; जिसके परिणामस्वरूप गन्दगी फलती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नेताजी नगर में कुछ और नलकूप खोदने अथवा एक काफी ऊंची टंकी बनाने का विचार है; ताकि पानी की नलियों में काफी पानी आ सके; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने बतलाया है कि नेताजी नगर के ऊंचाई वाले भाग में स्थित कुछ ब्लाकों के टरेस के फ्लश, टैंकों में कई बार पानी नहीं पहुंचता ।

(ख) सप्लाई लाइनों में पानी का दबाव कम है ।

(ग) और (घ) : इस बस्ती में कुछ और नल कूप खोदे जा सकते हैं या नहीं यह जानने के विचार से दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया । यहां पर पथरीली भूमि होने के कारण ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया । ऊपरी टैंकों से तब तक कोई राहत नहीं मिल सकती जब तक उन टैंकों को भरने के लिये पानी का दबाव पर्याप्त न हो ।

फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का जलमग्न होना

*807. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

श्री दि० सिं० चौधरी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भरतपुर और मथुरा से भारी परिमाण में पानी आ जाने के कारण उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का फतेहपुर सीकरी क्षेत्र पानी में डूब गया जिसके परिणामस्वरूप फसलों तथा अन्य सम्पति को काफी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र की पानी निकास समस्या का पुनरवलोकन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है और उस की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर आवश्यक उपाय अपनाए जाएंगे।

बाढ़ों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

***808. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के तथा केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्रियों की समिति ने एक बाढ़ बचाव कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तथा विदेशी मुद्रा सहित इस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) आसाम और बिहार की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर कितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) तटबन्धों, संचय कार्यों और नहरों के निर्माण के अतिरिक्त, समिति ने बाढ़ सूचना, बाढ़ पूर्व सूचना और बाढ़ क्षेत्रीकरण जैसे अन्य उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति का विचार है कि कार्यों की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपये है। विदेशी मुद्रा कितनी होगी यह नहीं बताया गया है।

(ग) असम और बिहार में बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों पर लगभग क्रमशः 60 करोड़ और 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे, ऐसी सम्भावना है।

परिवार नियोजन

***809. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत स्थित अमरीकी राजदूत के इस कथित वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि अमरीका सरकार, ईसके पास पड़ी हुई 50 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा का काफी भाग सन्तति निरोध कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये, भारत सरकार को देने को तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में अमरीका से बातचीत करने तथा इस प्रयोजन के लिये इस राशि का उपयोग करने का सरकार विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : भारत में अमरीकी राजदूत के ऐसे किसी वक्तव्य के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की अनुसन्धान योजनायें

*810. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अपनी अनुसंधान योजनाओं को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वित्त मंत्रालय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान के विषय चुनने के मामले में हस्तक्षेप करता है ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

पाकिस्तानी हथियार और गोला-बारूद ले जाती हुई मालगाड़ी

*811. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दी-बाड़ी स्टेशन से प्रवातीपुर जाने वाली एक मालगाड़ी पाकिस्तानी हथियार और गोला-बारूद ले जाती हुई पकड़ी गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पता रेलवे ने लगाया अथवा सीमा-शुल्क अधिकारियों ने ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा के एक सदस्य ने 12 और 18 अगस्त, 1965 को विधान सभा को बताया था कि इस प्रकार हथियार तथा गोला-बारूद चोरी छिपे पाकिस्तान से जाया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार चोरी छिपे हथियार तथा गोला-बारूद भेजे जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर शाहू) : (क) और (ख) : 27 अगस्त, 1965 को, पाकिस्तान जाने वाली एक मालगाड़ी के डिब्बों की जांच करते हुए, हल्दी बाड़ी रेलवे स्टेशन पर सीमा शुल्क कर्मचारियों ने एक डिब्बे में लकड़ी का एक क्रेट पाया जिसके बारे में घोषित किया गया था कि वह खाली है । लकड़ी के उस क्रेट में एक जेनरेटर था । कोई हथियार और गोला-बारूद नहीं पाया गया । उस डिब्बे को अधिक जांच पड़ताल के लिए रोक लिया गया । और जांच पड़ताल चल रही है ।

(ग) पता चला है कि इस अवधि में पश्चिम बंगाल विधान सभा का कोई अधिवेशन नहीं चल रहा था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मशीनों और का आयात

*812. **श्री प्र० चं० बरुआ** :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ चुनी हुई वस्तुओं, विशेषत: उन मशीनों और पुर्जों पर जो कि देश में ही बनाये जा सकते हैं, भारी सीमा शुल्क लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर तथा विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं पर कितना-कितना ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि देश में बनाया जाने वाला माल गुण-प्रकार में विदेशी माल के समान होगा तथा सस्ता होगा, क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : यह सूचना वित्त (सं० 2) विधेयक 1965 में दी हुई है जो सदन द्वारा पास किया जा चुका है और अधिनियम बन गया है।

(ग) इस मामले की जांच करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में "आयात कार्य-कारण-समन्वय तथा आयात के बदले देश में उत्पादन तथा निर्माण विषयक समिति" नाम की, सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बनायी है। आशा है कि यह समिति इस वर्ष के उत्तरार्ध में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर देगी।

परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये सहायता

*813. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एड इंडिया कंसौर्शियम द्वारा दिये गये अनुदान की बहुत सी राशि का उपयोग नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान में से कितनी राशि परियोजनाओं से भिन्न कार्यों की सहायता के लिये है; और

(ग) परियोजना से भिन्न कार्यों के लिये नियत सहायता की राशि निकलवाने तथा उसका उपयोग करने में यदि कोई कठिनाई है, तो क्या ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) : भारत सहायता संघ के तत्वावधान में दी जाने वाली सहायता अनुदानों के रूप में नहीं, बल्कि ऋणों के रूप में होती है। यह कहना ठीक न होगा कि ऐसी बड़ी-बड़ी रकमें पड़ी हुई हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया है।

सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिस में स्थिति बतलायी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4960/65।**]

तीसरी आयोजना की अवधि में सहायता संघ के देशों के साथ अब तक जितने ऋणों के करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं; उनका 43 प्रतिशत भाग प्रायोजनाओं से भिन्न कार्यों के लिए मिलनेवाली सहायता के रूप में है।

(ग) इस सम्बन्ध में योजना आयोग के सदस्य डा० वि० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति द्वारा भारत सरकार को दी गयी "विदेशी सहायता के उपयोग" सम्बन्धी रिपोर्ट (जो 16 अप्रैल, 1964 को लोक-सभा की मेज़ पर रख दी गयी थी) देखी जा सकती है। उस रिपोर्ट के चौथे अध्याय में, प्रायोजना तथा प्रायोजना से भिन्न कार्यों के लिए मिलने वाली सहायता का धीमी गति से उपयोग किये जाने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है।

मैसूर की खनिज तथा वन सम्पत्ति

2678. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने सरकार को प्रतिवेदन दिया है कि मैसूर की खनिज तथा वन सम्पत्ति का विकास करने की कितनी संभावनाएं हैं तथा उन पर आधारित जो उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं उनका ब्यौरा भी दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) : संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का एक दल मैसूर तथा मध्य प्रदेश राज्यों में वन तथा खनिज उद्योगों के पूर्व-निवेश तकनीकी आर्थिक गहनता-अध्ययन तथा सर्वेक्षण कर रहा है। अध्ययन जारी है और सिफारिशें उपलब्ध करने में अभी कुछ समय लगेगा।

त्रिचूर जिले में हैजा

2679. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1965 के महीने में केरल के गरुवयूर तथा त्रिचूर नामक जिलों में फिर से हैजे की महामारी फैलने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला ;

(ख) यदि हां, तो उस में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ग) इस महामारी को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इसका कारण कुपोषण है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उपायस्वरूप क्या कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केरल सरकार को गरुवयूर में हैजा फैलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था और न ही उस स्थान से हैजे के किसी 'केस' का पता लगा था। फिर भी 1 जून, 1965 से त्रिचूर जिले के दूसरे भागों से हैजे के 'केसों' का पता लगा था। यह इस जिले में इस मौसम की हैजे की पहली लहर थी।

(ख) 7 अगस्त 1965 तक त्रिचूर जिले में 171 मामलों में मौत हुई है उसके बाद कोई केस नहीं हुआ है।

(ग) समस्त निरोधक और पूर्वाविधायी उपाय अर्थात टीका लगाओ अन्दोलन को तेज करना, पीने वाले पानी में कीटाणुओं का नाश करना और सफाई के प्रबन्ध में सुधार का कार्य राज्य सरकार न अपने हाथ में ले लिया था। राज्य में संपूर्ण समुद्रतटीय क्षेत्र में सारी जनता को टीका लगाने का काम बड़े पैमाने पर संगठित किया गया था।

(घ) और (ङ) : वहां कुपोषण का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। फिर भी राज्य सरकार ने पीडित लोगों की सहायता के लिये आवश्यक कार्यवाही की थी। हैजे से सम्बन्धित सहायता कार्य के लिये, जिले में चावल और टैपीओका आदि के वितरण के लिये, जिला के समाहर्वी को 25,000.00 रुपये दे दिये गये थे।

वंशधारा परियोजना

2680. श्री सत्यनारायण : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र देश में वंशधारा परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : वंशधारा परियोजना में नरेदी पर एक एनीकट तथा दाई और एक उच्चस्तरीय नहर और गोटा पर 22 मील नीचे, एक चिनाई बांध, जिसके दोनों और एक एक निम्नस्तरीय नहर होगी, शामिल हैं।

मार्च, 1965 के अन्त तक नीवों में लगभग 6 प्रतिशत मिट्टी का कार्य और नरेदी में बराज पर आर० सी० सी० कार्य का लगभग 8 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।

साझे मकानों की विभाज्यता

2681. डा० ब० ना० सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 22 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारी के संयुक्त स्वामित्व वाले मकान के विभाजन के लिये, कोई कसौटी निर्धारित की गई है जिससे कि उसे स्वतन्त्र निवास स्थान के रूप में उपयुक्त बनाने की संभाव्यता निश्चित हो सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों की क्या संख्या है जिनके हिन्दू अविभक्त परिवारों के मकानों में सामान्य अंश हैं और जिन से एफ० आर० 45-बी के अन्तर्गत इस आधार पर बहुत अधिक किराया लिया जा रहा है कि मकानों का विभाजन किया जा सकता है जैसे कि संपदा निदेशक ने भी घोषणा की है;

(घ) संयुक्त मकानों का विभाजन करवाने से सरकारी कर्मचारियों को जो कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में क्या कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकारी मकानों में रहने वाले 53 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली/नई दिल्ली में हिन्दू अविभक्त परिवार के मकानों में अंश है। अंश की सीमा प्रत्येक मामले में भिन्न है। वर्तमान नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों से मूल नियम 45-बी के अंतर्गत किराया अथवा मूल नियम 45 ए के अंतर्गत मानक किराया इनमें से जो भी अधिक हो वसूल किया जाता है। ये किराये सामान्य किराये के लगभग आधे हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) अभ्यावेदनों पर योग्यता के आधार पर तथा यदि कोई हैं तो नये दिये गये तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

विठ्ठलभाई पटेल भवन

2682. **श्री लखमू भवानी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विठ्ठलभाई पटेल भवन में अब तक कितने फ्लैटों में संसद्-सदस्य रहने लगे हैं;

(ख) यदि अन्य व्यक्तियों को फ्लैट अलाट किये गये हैं तो कितने; और

(ग) इस समय कितने फ्लैट खाली पड़े हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) संसद के चालू अधिवेशन के दौरान 22 संसद-सदस्यों ने विठ्ठलभाई पटेल हाउस में स्थान की मांग की थी तथा उन सभी को अलाटमेंट दे दिया गया था तथापि उनमें से केवल 8 सदस्यों ने स्थान को स्वीकार कर लिया और अब 11 कमरे (सूईट) उनके अधिपत्य में हैं। 7 संसद-सदस्यों ने प्रस्ताव (औफर) का कोई उत्तर नहीं दिया तथा अन्य 7 सदस्यों ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

(ख) 70 ।

(ग) 3 ।

Village Industries Project Programme in Madhya Pradesh

2683. Shri Lakhmu Bhawani : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the names of regions in Madhya Pradesh, selected for Village Industries Project Programme sponsored by the Village Industries Plan Committee of the Planning Commission; and

(b) the progress made so far in this regard?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Three Projects, namely, Sarguja in Ambikapur District, Bhind in Bhind District and East Nimar in Khandwa District have been selected in Madhya Pradesh under the programme.

(b) A statement is placed on the Table of the House. [**Placed in the Library. See No. L.T. 4961/65**].

Medical College at Sevagram (Maharashtra)

2684. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Balkrishna Wasnik :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open a Medical College at Sevagram; and

(b) if so, the extent of the Central assistance to be given for this purpose?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Kasturba Health Society is contemplating the setting up of a medical College at Sevagram.

(b) The question of assistance from the Central Government will be considered when the details of the scheme have been worked out.

Boorhi Gandak Dam

2685. Shri Bibhuti Mishra :
Shri N. P. Yadab :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the dam on both the banks of the Boorhi Gandak has so far been constructed only from Khagaria within the limits of the Pipra Police Station in Champaran District, Bihar;

(b) if so, whether it is a fact that on account of the construction of the Dam within the limits of the Pipra Police Station, the flood rushes in the upper region under the Police Stations of Motihari, Sagauli, Majhowlia, Raxaul and Chanpatia in Champaran District, apart from the area under the Pipra Police Station and the villages and farms are swept away; and

(c) the scheme formulated by Government to check it?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Embankments have been constructed on both banks of river Burhi-Gandak. The left bank embankment starting from the outfall of Sijua nala into Burhi-Gandak in Champaran District to Khagaria Railway embankment in Monghyr district for a length of 182 miles, and the right bank embankment starting from the outfall of river Dhanauti into Burhi-Gandak in Champaran district upto Khagaria for a length of 190.43 miles.

(b) As the embankments terminate at the points indicated in (a) above, the flood problem of the Northern part of Champaram district remains to be tackled.

(c) The State Government propose to construct embankment in the upper reach on the right bank of river Sikrahna (Burhi-Gandak) from Chanpatia Railway Station to village Bankatwa in Motihari-Madhuban road in Champaran district. The embankment would be suitably dovetailed with Jaintia distributary, the left bank of which is proposed to be designed as good bank.

Further in order to mitigate the flood problems of river Burhi-Gandak in its upper reaches, the State Government are also contemplating construction of a dam on river Masan, an important tributary of river Sikrahna (Burhi-Gandak). The Masan Dam Project has been included in the State's Draft Fourth Five Year Plan. This project when executed will go a long way in moderating the floodings of river Sikrahna (Burhi-Gandak) in its upper reach.

Irrigation Sources in U. P.

2686. Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the places where irrigation schemes are being implemented in Uttar Pradesh at present;

(b) the schemes to be taken up during the Fourth Five Year Plan;

(c) whether there are some hydro-electric schemes also; and

(d) if so, the names thereof and the places of their location?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) (c) & (d). Lists of schemes together with their location is attached (Statements I & II. **[Placed in the Library. See No. L.T-4962/65.]**

(b) The Fourth Plan Proposals are yet to be finalised.

संस्थाओं को अनुदान

2687. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी की हैं कि प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को किसी संस्था की ओर से अनुदान प्राप्त करने से पहले दो व्यक्तिगत जमानत देनी पड़ेंगी ; और

(ख) वित्त मंत्रालय ने ये हिदायतें किन कारणों से जारी कीं ?

वित्त मंत्री श्री (ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अनुदान पाने वाले सारे व्यक्ति और संस्थाओं को दो जमानतें देनी पड़ती हैं जो अपने आप को व्यक्तिगत रूप में या संयुक्तरूप में इस बात के लिये बाध्य करती हैं कि यदि अनुदान पाने वाले व्यक्ति या संस्थायें अनुदान से संलग्न शर्तों को पूरा नहीं करते तो वे धन को ब्याज सहित वापिस करेंगी । समिति पंजीयन अधिनियम, 1860, के अन्तर्गत पंजीकृत संगठनों, सहकारी संस्थाओं और विख्यात संस्थाओं (जिन के लिये जमानतों को आवश्यक नहीं समझा जाता) को फिर भी छूट दी गई है ।

(ख) एक विशेष मामले में जहां अनुदान पाने वाला परीक्षित लेखा नहीं दे सका था सरकार को परामर्श दिया गया था कि जब तक ऐसा बन्धपत्र न लिया जाये अनुदान से संलग्न शर्तों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये जल विद्युत परियोजनायें

2688. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ जल विद्युत् परियोजनायें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) दो विवरण जिन में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, वर्तमान जल-विद्युत् योजनाओं/निर्माण हो रही योजनाओं/जिन योजनाओं की जांच की जा रही के बारे में सूचना दी गई है, संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-4963/65।]**

सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में प्रगति

2689. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री प्र० र० चक्रवर्ती :

श्री हेमराज :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों में कुछ कार्यकारी दल स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन दलों ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) उनका मुख्य मुख्य ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की सिफारिश के अनुसार चौथी योजना में चालू किये जाने वाले विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए खाद्य और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा विभाग में कार्यकारी दल गठित किये गये।

(ख) और (ग) : कतिपय दलों ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। सभी दलों के प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने तथा योजना आयोग द्वारा गठित कर्णधार (स्टियरिंग) समिति द्वारा उनका पर्यवेक्षण करने में अभी कुछ समय लगेगा।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम

2690. **श्री सुबोध हंसदा ।**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

लू लगने से मृत्यु

2691. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष तथा गत दो वर्षों में लू लगने से कितने लोगों की मृत्यू हुई; और

(ख) ऐसी मृत्युओं को रोकने के लिये क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Pen-down strike by L. I. C. Employees

2692. Shri Bagri : **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Brij Raj Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Life Insurance Corporation in Delhi launched a pen-down strike in June this year;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) their main demands; and

(d) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) The main reason for the pen-down strike was the allegation of the Northern Zone Insurance Employees Association that a Junior Officer had insulted a lift-man and when the Union's representatives remonstrated with him on this account, the Junior Officer had manhandled one of the representatives.

(c) The Association demanded:—

(1) The Junior Officer should be suspended pending enquiry against him;

(2) Suspension orders issued by the Corporation against 4 employees for intimidation should be withdrawn and proceedings against them dropped; and

(3) Employees who went on pen-down strike should not be treated on loss of pay and they should be paid the salary for the days they were on strike.

(d) The dispute was settled amicably and no action was required on the part of Government.

Nehru Commemorative Coins

2693. Shri P. L. Barupal :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a huge demand for Nehru Commemorative Coins in foreign countries; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to meet this demand?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) While no definite information is available, there are reports indicating considerable demand for Nehru Commemorative Coins in foreign countries.

(b) The sales of Nehru Commemorative Coins abroad as in the case of other coins are authorised by the Reserve Bank of India at the cost price or the face value of the coins, whichever is higher. The sale of specimen sets are arranged by the Master of the Mint concerned. However, since it is expected that the Nehru Commemorative coins might fetch appreciably higher prices, it is being considered whether any special arrangements could be made for the sale of specimen sets.

परिवार पेंशन योजना तथा गृह-निर्माण ऋण योजना

2694. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को परिवार पेंशन योजना तथा गृह-निर्माण ऋण योजना की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) गृह बन्धक ऋण योजनाओं (हाउस मारगज लोन स्कीम) और पेंशन निधि संगठनों का अध्ययन करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश भेजा गया था ।

(ख) और (ग) : यह अधिकारी हाल ही में विदेश से लौटे हैं और जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देंगे ।

दिल्ली में बागबानी के लिये निस्यन्दित पानी के उपयोग पर प्रतिबन्ध

2695. श्री हेडा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई उद्यानों (किचन गार्डन) सहित बागबानी के लिये निस्यन्दित पानी के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस से पानी की कितनी तुलनात्मक बचत हुई ; और

(ग) क्या पानी बचाने के उद्देश्य से जिन लोगों को कच्चा पानी नहीं मिलता उन लोगों की कठिनाईयों का पता लगाया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : जहां तक नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन आनेवाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है बागबानी के लिये निस्यन्दित पानी का प्रयोग, निस्यन्दित पानी सप्लाई उपनियम संख्या 22(एक)(क) के अन्तर्गत निषेध है ।

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में जो निस्यन्दित पानी घरेलू प्रयोजनों के लिये दिया जाता है उस में (दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार) बागबानी के लिये तथा सिंचाई के लिये पानी शामिल नहीं होता ? ग्रीष्म ऋतु के दौरान कुछ स्थानों पर अनुभव की गई पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए

इस तथ्य को निगम ने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था और जनता से प्रार्थना की गई थी कि वह निस्यन्दित पानी का बाग़बानी के लिये प्रयोग न करें।

राजस्थान में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारी

2696. **श्री हेडा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : राजस्थान में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सरकार की तीसरी योजना में पहले ही कर दी गई है जिसके लिये स्वीकृत ढांचे एवं पद्धति के अनुसार जितनी उन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा सकती है उतनी साल साल बाद दे दी गई है।

तथा परा-चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों के विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार ने 1965-66 में चौथी योजना स्कीमों की दिशा में अग्रिम कार्यवाही के रूप में अभिवृद्धि सुविधाओं की मांग की थी। योजना आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिशों पर इन प्रस्तावों से उस हद तक सहमत हो गई है जैसा कि विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल०टी० 4964/65।]**

इसके अतिरिक्त चौथी पंचवर्षीय योजना की दिशा में अग्रिम कार्यवाही के रूप में सवाई मान सिंह मेडिकल कालिज जयपुर में हाल ही में एक स्नातकोत्तर विभाग भी नियत किया गया है।

चौथी योजना के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं परन्तु उन्हे अभी अन्तिम रूप नही दिया गया है।

मजदूरों की मजूरी

2697. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का श्रम तथा रोज़गार विभाग हाल ही के पुनर्विलोकन में इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के मज़दूरों की वास्तविक मजूरी नही बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (ग) : श्रम सम्बन्धी पैनल के लिए, तीसरी योजना के दौरान श्रम नीति की समीक्षा तैयार की गई थी। इस पत्र में औद्योगिक श्रमिकों के कार्य और जीवन-यापन की दशाओं पर पड़ने वाली व्यापक आर्थिक प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। इस पत्र पर अक्तबर, 1965 में होने वाली पैनल की बैठक में विचार किया जायेगा।

स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ

2699. श्री कोल्ला वेंकेया :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या वित्त मंत्री 25 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के स्टाक एक्सचेंजों के सम्बध में अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित समस्याओं तथा उनकी सिफारिशों के अनुसार अध्ययन के तरीकों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) सरकार ने उनकी सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बात क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आगे के अध्ययन के लिए रखी गई मुख्य समस्याएं यें हैं :—

(1) व्यापारिक दुरुपयोगों से धन लगाने वालों की रक्षा ;

(2) स्टाक एक्सचेंजों के सौदों के बारे में सूचना, विशेष रूप से उनके परिमाण के बारे में, प्राप्त करा कर धन लगाने वालों में विश्वास उत्पन्न करना ;

(3) स्टाक एक्चेंजों में लगे हुए दलालों/व्यापारिओं के स्तर को ऊंचा उठाना ;

(4) ऐसा आर्थिक वातावरण उपलब्ध कराना कि जिसमें दलाल/व्यापारी अपना पूंजी और सेवा से उचित आय प्राप्त कर सके;

(5) कर्ब व्यापार की समस्या ;

(6) सरकारी अधिकारियों द्वारा स्टाक एक्सचेंजों पर नियन्त्रण और उन पर नियमन ।

अमरीकी विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि इन समस्याओं का विस्तृत अध्ययन अमरीका की सिक्योरटी एक्सचेंज कमिशनके व्यक्ति जिसको उसी देश के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हों, द्वारा किया जाना चाहिए ।

(ख) जी हां, महोदय ।

(ग) भारत में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजन्सी से समझोता हुआ है कि दो अमरीकी विशेषज्ञ, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिशन से और दूसरा अमरीका की स्टाक एक्सचेंजों से, इन समस्याओं के अध्ययन के लिए भारत में प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए । पहला एक वर्ष के लिए और दूसरा 6 महीनों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

2700. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से संयंत्र तथा कारखाने तीसरी योजना अवधि के अन्त तक योजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नही कर सकेंगे ;

(ख) वे लक्ष्यों से कितने पिछड़े जायेंगे ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

गन्दी बस्ती हटाने की योजना के अन्तर्गत मकान

2701. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965–66 में इस समय तक, संघ राज्य क्षेत्रों में गंदी बस्ती हटाने की योजना के अन्तर्गत मकानों के बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों को अलाट करने की क्या प्रक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) गंदी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत दिल्ली के संघ क्षेत्र में 1 अप्रैल, 1964 से जून 1965 तक 98.87 लाख रुपये की अनुमोदित लागत पर 2,200 मकान बनाना मंजूर किया है तथा 422 मकान तैयार हो चुके हैं ।

इस अवधि के दौरान अन्य संघ क्षेत्रों में इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रगति नहीं हुई ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत बने मकान गंदी बस्तियों में रहने वालों को जिनकी आय बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में 250 रुपये प्रति माह तथा अन्य स्थानों में 175 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है उन्हें आवंटित किये जाते हैं ।

छिपा धन

2702. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा देश के अन्य नगरों में छिपे धन का पता लगाने के लिये आयकर विभाग ने पिछले तीन महिनों में नगरवार कितने व्यापार गृहों (बिजनेस हाउस) पर छापे मारे; और

(ख) उससे कितने छिपे धन का पता लगा है ;

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) विवरण इस प्रकार है :--

विवरण

जून से अगस्त 1965 तक के तीन महिनों में आयकर विभाग द्वारा व्यापारिक स्थानों पर मारे गये छापे ।

शहर का नाम	व्यापारिक स्थानों की संख्या जिनपर छापे मारे गये
1. अहमदाबाद	3
2. अलीगढ़ (जिला)	2
3. बैंगलोर	12

शहर का नाम	व्यापारिक स्थानोंकी संख्या जिनपर छापे मार गये
4. भजाना	1
5. व्यावरा	1
6. बम्बई	164
7. बर्दवान	1
8. कलकत्ता	63
9. छोटी सादड़ी	1
10. अर्नाकुलम्	24
11. जामनगर	1
12. मद्रास	3
13. पटना	4
14. पूना	2
15. रायपुर	2
16. सरसा	2
17. सिवनी	2
जोड़	288

(ख) 3,98,37,434 रुपये ।

पाकिस्तान को चोरी छिपे अवैध रूप से माल भेजना

2703. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी सीमान्त से पाकिस्तान को अवैध रूप से तांबा और जस्त की नालीदार चादरों के निर्यात के मामले सरकार के ध्यान में आये है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने मामलों में माल जप्त कर लिया गया अथवा अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में सरकारी इमारतों को आगे किराये पर देना

2704. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितनी सरकारी इमारतों या उनके कुछ भागों को गैर-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकायों या गैर-सरकारी अधिकारियों को किराये पर दिया गया; और

(ख) किन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) 141।

(ख) प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर अलाटमेंट किये गये थे।

जवाई बांध (राजस्थान)

2705. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जवाई बांध का क्षेत्र बढ़ाने की परियोजना मंजूर कर दी गई है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, इसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा, जवाई बांध की क्षमता बढ़ाने पर कितना व्यय होगा और परियोजना से कितना लाभ होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में चीनियों द्वारा सोने को चोरी छिपे लाना

2706. **श्री रघुनाथ सिंह** :

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से छपे इस समाचार में कोई सचाई है कि चीनी लोग प्रचार और अन्य राजनीतिक प्रयोजनों के लिये भारत में सोने को चोरी छिपे ला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):(क) चोरी छिपे सोना लाने के कुछ मामले पूर्वी तट पर पकड़े गये है परन्तु यह पता नहीं है कि चोरी छिपे सोना लाने के ये काम प्रचार तथा अन्य राजनीतिक कारणों से किये जाते है।

(ख) सब सम्बन्धित प्राधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

नेपाल में कमला-बालान नदी पर बांध

2707. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में जयनगर के निकट कमला-बालान नदी पर बांध बनाने की कोई योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कुल कितना खर्च होगा और उससे कितना लाभ होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) नेपाल में कमला नदी के ऊपर बराँज के लिये उपयुक्त स्थान को निर्धारित करने के लिये विस्तृत अनुसन्धान अभी किए जाने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

L. I. C. Field Officers

2708. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav:
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the progress made in the talks with the representatives of Class I and Class II officers *i. e.* Field Officers of the Life Insurance Corporation;

(b) when an agreement is likely to be reached; and

(c) the salient points likely to be covered under the proposed agreement?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) to (c). The Corporation has already reached an agreement on the following points with Class I and II Officers:

Class I Officers :

1. Revision of Pay scales.
2. Allowances—Dearness Allowance, House Rent Allowance and City Compensatory Allowance.

Class II Officers :

1. Release of regular annual increments in the time scale of pay.
2. Incentives up to 31st March, 1965.
3. Grievance Procedure.
4. Cash Awards for organising General Insurance work.
5. Introduction of Efficiency Bars in the existing salary scale for Grade I.
6. Increase in quantum of Conveyance Allowance, Fixed Travelling Allowance payable to Development Officers in Grade II at salary Rs. 180.
7. Leave facilities to officials of the National Federation of Insurance Field Workers of India for attending Annual Conferences.
8. Increased Dearness Allowance.
9. House Rent Allowance.

2. The other outstanding items—Grant of Medical benefits, Leave Travel Concession, Revision of T. A. Rules and increase of Conveyance Allowance—will be discussed and settled later. Further discussion with the National Federation of Field Workers of India is expected to take place in October, 1965 when the remaining issues *viz.*, Incentives, Medical Benefits, Retirement Age and Sick Leave, Additional Gratuity and Annual Cash Bonus will be discussed.

फरक्का बांध

2709. श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री गुलशन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की रूस यात्रा के दौरान फरक्का बांध से बिजली बनाने के विषय पर रूसी प्राधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन्हें सहायता का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में औद्योगिक परियोजनायें

2710. श्री वारियर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल को सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कितनी रकम नियत की गई ;

(ख) इसमें से अब तक कितनी रकम व्यय की गई है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) तीसरी योजना के दौरान केरल योजना में उद्योगों के लिए 17.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमेंसे 4.55 करोड़ रुपये बड़े तथा मध्यम उद्योगों के लिए, 4.65 करोड़ रुपये बागान उद्योगों के लिए और 8 करोड़ रुपये ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये हैं। केरल में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए 59.0 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। हाल ही में अतिरिक्त व्यय-व्यवस्था के रूप में केरल को 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। यह राशि चालू वर्ष में औद्योगिक योजनाओं पर खर्च की जानी है।

(ख) 1961–65 के दौरान राज्य-सरकार द्वारा 10.56 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार द्वारा 23.9 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की सम्भावना है।

(ग) विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4965/65 ।**]

मनुष्यों द्वारा उपयोग के लिये ऊंटनी तथा गधी का दूध

2711. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री हुकुमचन्द कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने मनुष्यों द्वारा उपभोग के लिये ऊंटनी के दूध और गधी के दूध के प्रयोग की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरीयों में मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा

2712. श्री मोहन स्वरूप : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना डिस्पेन्सरीयों में मधुमेह के रोगियों को केवल तीन महीने के लिये दवाइयां दी जाती हैं;

(ख) क्या उसके बाद रोगी को दवाइयां स्वयं खरीदनी पड़ती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : जी हां, किन्तु ऐसी जटिलतायें उत्पन्न होने पर जिनमें विशेष नियंत्रण की आवश्यकता हो, औषधियां इतने अधिक समय के लिये दी जाती हैं जितने के लिये चिकित्सा अधिकारी आवश्यक समझें ।

(ग) औषधियों का मुफ्त और निरन्तर दिया जाना आहार तथा पथ्य नियमों का, जो रोगी के लिये अत्यंत आवश्यक हैं, पालन कराने में उत्साहजनक नहीं होगा । साथ ही इससे सरकार पर भी असीमित उत्तरदायित्व आ जायेगा ।

Confirmation of Staff in Govt. of India Presses

2713. Shri Nardeo Snatak : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the number of employees in all the Government of India Printing Presses who have completed 25 years of their service and are still temporary;

(b) the reasons for their non-confirmation; and

(c) the steps taken to confirm them?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) None.

(b) and (c). Do not arise.

जिला हजारीबाग में तापीय बिजली घर

2714. श्री मुहम्मद इलियास : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के हजारीबाग जिले में, तीन तापीय बिजलीघर चल रहे हैं अथवा उनका निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें एक ही जिले में स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें एक जगह स्थापित करने में क्या वांछनीयता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : ये बिजली केन्द्र उस क्षेत्र में तकनीकी-आर्थिक आधारों पर नियोजित किये गये थे । ये आधार कोयले के क्षेत्रों और मांग केन्द्रों की निकटता, ठण्डा करने वाले पानी की उपलब्धता, परिवहन की सुविधाएं और राख का निपटान आदि हैं ।

केरल को बिजली का सम्भरण

2715. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केरल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये मद्रास से कितनी बिजली दी गई; और

(ख) मद्रास ने बिजली किस दर पर दी है और यह दर केरल की दर से कम है या अधिक ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) 1965 के वर्ष के दौरान, मद्रास ने 4.6 लाख किलोवाट घंटे प्रति दिन के हिसाब से केरल को कुल 36 मैगावाट बिजली सप्लाई की।

(ख) केरल में ऊर्जा प्राप्ति के पांच स्थलों पर सप्लाई की गई बिजली लिये मद्रास द्वारा मांगे गये कुल औसत दर / किलोवाट घंटे और बिजली सप्लाई की उसी मात्रा के लिये केरल में वर्तमान टैरिफ पर आधारित औसत दर निम्नलिखित है :—

सप्लाई स्थान	मद्रास द्वारा मांगे गये पैसे / किलोवाट घंटे	केरल टैरिफ के अनुसार पैसे / किलोवाट घंटे
उप्पती .	5.30	4.03
वालायार .	5.92	4.03
मदुक्काराय .	9.50	6.66
शेनकोटाह . . .	9.50	6.66
थुकाले	9.50	6.66

श्रीलंका को ऋण

2716. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने श्रीलंका को भारत से उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिये अल्पकालीन ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो जिस ऋण की पेशकश की गई है उस का ब्यौरा क्या है और उससे क्या क्या उपभोक्ता वस्तुएं खरीदी जायेंगी;

(ग) क्या यह सच है कि 1962 में भारत द्वारा दिये गये 5 करोड़ रुपये के ऋण का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं तथा नये ऋण की पेशकश क्यों की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कुछ ऐसा ऋण अपेक्षित है और वह विचाराधीन है।

(ख) शर्तों पर अभी बातचीत हो रही है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) उस ऋण की शर्तों को, जिस से भारत से मशीनरी और उपकरण खरीद किये जायेंगे, अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। नया ऋण उपभोक्ता वस्तुओं के लिये है। यह पिछले ऋण की तरह नहीं है।

Raids on Shops in Delhi

2717. Shri Bagri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sales-tax and Income-tax Officers organised raids on the shops in Sadar Bazar, Delhi during the last week of August, 1965 ; and

(b) the amount of black money seized therein and the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Some raids by the Sales Tax Department are reported to have been conducted in Sadar Bazar, Delhi in August, 1965. No raids were organised by the Income-tax Department.

(b) No money is reported to have been seized.

निर्माण और आवास मंत्रालय का प्रशासनिक ढांचा

2718. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा इस वर्ष के आरम्भ में बनाई गई विशेष समिति ने मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे का आमूल पुनर्गठन करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने का है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट की पहली किस्त में, जिसमें कि मंत्रालय का केवल निर्माण प्रभाग सम्मिलित है, की गई पुनर्गठन की सिफारिशें विभिन्न मंत्रालय के वर्तमान परंपरात्मक संरचना से नितान्त भिन्न है।

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में रखी जा रही है।

(ग) और (घ) : अधिकार प्राप्त एक समिति वे जिसकी स्थापना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हुई थी, सात बैठकें की हैं तथा रिपोर्ट की सिफारिशों पर निर्णय लिया है। जो सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं उन्हें अब कार्यान्वित किया जायेगा।

अशोक होटल लि०, नई दिल्ली

2719. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अशोक होटल कर्मचारी संघ से होटल चलाने में अनियमितताओं के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आरोप की कोई जांच की है; और

(ग) क्या निष्कर्ष निकले ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : शिकायत की जांच की गयी है और कोई खास बात नहीं पाई गयी।

31 मार्च 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष में अशोक होटल की, जिसमें कि प्रतिदिन औसतन 400 अतिथि रहते हैं, कुल वार्षिक-आमदनी 1.25 करोड़ रुपये थी। इसके लाभ जो कि पिछले छः वर्षों में बराबर धीरे धीरे बढ़ते रहे हैं वे अब अपनी 41.67 लाख रुपये की शिखर संख्या पर पहुंच गये हैं। लाभांश, जो कि प्रत्येक वर्ष सरकार तथा अन्य लोगों को यह देता रहा है के अतिरिक्त होटल ने सरकार से लिए गये अपने ऋण का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग निर्धारित अवधि से 10 वर्ष आगे तक का अदा कर दिया है। होटल लगभग 1350 लोगों को रोज़गार देता है। ग्राहकों के बिलों पर $12\frac{1}{2}$ प्रति शत सर्विस चार्जेज़ के अतिरिक्त कर्मचारियों को एक महीने का वेतन 1962–63 तथा 1963–64 के लिए अनुग्रहपूर्वक तदर्थ अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है तथा 1964–65 का बोनस शीघ्र मिलेगा।

किसी भी बड़ी स्थापना में जिसकी कि कार्यवाहियों इतनी बड़ी हों शिकायतें तथा त्रुटियां होगी ही। तथापि ज्ञापन में दी गयी शिकायतों की जांच करने पर वे बहुत साधारण और मामूली प्रकार की पाई गयीं। गंभीर आशय के मामलों पर सदैव कार्रवाई की जाती है तथा इस उपक्रम में भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जांच करने के लिए एक चौकसी अधिकारी है। उदाहरण के लिए 15 सितम्बर 1965 को समाप्त होनेवाले वर्ष में 11 व्यक्तियों को बरखास्त अथवा सेवा मुक्त किया गया, 13 व्यक्तियों की वेतन वृद्धि रोकी गयी तथा 26 मामलों में सख्त चेतावनी दी गयी।

Housing for Washermen in Delhi

2720. **Shri Ramanand Shastri :**

Shri Sheo Narain : **Shri Ansar Harvani :**

Shri R. S. Pandey : **Shri K. C. Sharma :**

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the number of washermen in Delhi and New Delhi who have not got any authorised residential accommodation and are living in servant quarters, officially and unofficially, attached to the bungalows at present ;

(b) whether there is any proposal to evict these washermen without giving them any suitable alternative accommodation ;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether the Committee appointed to go into their problems have submitted their report; and

(e) if so, the broad features thereof and the action taken on them ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) This information is not available.

(b) No, because they are treated as domestic servants of the occupants of the bungalows.

(c) Does not arise.

(d) and (e). The report of the Committee is expected to be submitted shortly.

उत्तर बिहार में जल मार्गों आदि का अध्ययन करने वाली इंजीनियरों की समिति का प्रतिवेदन

2721. श्री श्रीनारायणदास : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में सड़कों तथा रेलों के पुलों के नीचे बनाये गये जल मार्गों की पर्याप्तता तथा बांधों और सिंचाई कार्यों का ग्रामीण क्षेत्रों की जल निकास व्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई इंजीनियरों की समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का अध्ययन करने के सम्बन्ध में समिति ने कितनी प्रगति की है; और

(ग) समिति का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत होने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) समिति इस समय आवश्यक आंकड़ों का संकलन कर रही है।

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट 6 महीनों के भीतर, यानी फरवरी, 1966 तक, प्रस्तुत कर देगी, ऐसी सम्भावना है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय द्वारा दवाइयों का दिया जाना

2722. श्री जेना : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ पाने वाले व्यक्तियों के लिये किसी विशेष रोग के लिये सक्षय डाक्टर द्वारा लिखे गये नुस्खे में दी गई औषधियां उन्हें दी जाती हैं चाहे वे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय में उपलब्ध न भी हों, किन्तु बाजार में उपलब्ध हों;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जब कोई रोगी दिल्ली से बाहर जाता है और रोग के लिये लम्बे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है, तो वह केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय के डाक्टर द्वारा लिखे गये नुस्खे की कितने दिन की औषधि ले सकता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुशीला नायर) : (क) यदि कोई विशेष दवा जो केन्द्रीय योजना के डाक्टर ने रोगी के लिये लिखी हो और वह केन्द्रीय योजना के औषधालयों में प्राप्त न हो तो वह दवा प्राधिकृत दुकानों से खरीद कर रोगी को दी जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर अधिक से अधिक एक महीने के समय तक ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने सम्बन्धी न्यायालय का स्थानान्तरण

2723. श्री बागड़ी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने संबंधी न्यायालय को करोल बाग से हटा कर न्यू कोर्टस दिल्ली, ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख) गन्दी बस्ती क्षेत्र (विकास तथा सफाई) अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों के लिए कोई अलग से न्यायालय नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम के आयुक्त (कमिश्नर) सक्षम प्राधिकारी (कम्पीटेंट अथारटी) अधिसूचित किए गये हैं, तथा उन्होंने अपने अधिकार एक सहायक आयुक्त को सौंप दिये हैं जो कि अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत सभी मामलों से संव्यवहार करता है। उसका कार्यालय तिबिया कालेज भवन, करौल बाग में स्थित है तथा उसे न्यू कोर्ट में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Quarters in Ramakrishnapuram, New Delhi

2774. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the number of sectors that have been completed in Ramakrishnapuram, New Delhi so far; and

(b) whether the allotment of quarters has been completed ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b) : Sectors I, II, III and IV have been completed and all quarters in these Sectors have been occupied. Though quarters in Sectors V and VII have been constructed, these could not be occupied on account of the non-availability of water. Construction is going on in Sectors VIII, IX, XII and XIII.

छिपा धन

2725. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जुलाई, 1965 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार बम्बई के एक व्यापारी ने सुझाव दिया है कि छिपे धन का पता लगाने के लिये विशेष बांड जारी किये जायें ;

(ख) क्या सरकार ने सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : उल्लिखित सुझाव के विषय में समाचार-पत्रों की रिपोर्टें देखने में आई हैं।

(ग) नियमित हिसाब किताब से बाहर रखी गई आमदनी का पता लगाने के लिए किये गये सभी योग्य सुझावों का सरकार स्वागत करती है।

दिल्ली की गन्दी बस्ती सफाई अदालत में लम्बित बेदखली के मामले

2726. **श्री प० ह० भील :**
श्री राम सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्ती सफाई अदालत, दिल्ली में, बेदखली करवाने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में कितनी याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन में से कितनी याचिकाएं क्रमश: (1) 2 वर्ष, (2) 1 वर्ष, (3) 9 मास और (4) 6 मास पुरानी हैं;

(ग) इन याचिकाओं को निपटाने के लिये कितने मैजिस्ट्रेट हैं ;

(घ) क्या इस बात को देखते हुए कि अदालत में बहुत काम जमा हो गया है, मैजिस्ट्रेटों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) 987।

(ख) (i) 25
(ii) 85
(iii) 61
(iv) 70

(ग) गन्दी बस्ती क्षेत्र (विकास और सफाई) अधिनियम के अंतर्गत इन आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली नगर निगम के एक सहायक आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी के अधिकार सौंप दिये गये हैं।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) 987 आवेदन पत्रों में से 515 आवेदन पत्र अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं। आवेदन पत्रों के निपटाने की गति पर निगाह रखी जा रही है यदि कार्य भार उचित हुआ तो और अधिक अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय आय

2727. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों में भारतीयों की राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि कैसी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय आय में 17.3 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) समस्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि दूसरी योजनाके पहले चार वर्षों में इसमें 13.1 प्रतिशत वृद्धि हुई।

तीसरी योजना में आवास योजनायें

2728. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में अब तक विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) उन्होंने अब तक कितनी राशि का उपयोग किया है;

(ग) यदि आवंटित राशि से व्यय कम हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) मैसूर राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई तथा उस ने कितनी राशि खर्च की और यदि व्यय कम हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा नियत की गयी सहायता की राशि 54.30 करोड़ रुपये है ।

(ख) इस अवधि के दौरान उनके द्वारा निकाली गयी राशि 46.23 करोड़ रुपये हैं।

(ग) कमी का मुख्य कारण है राज्य सरकारों के द्वारा आवास योजनाओं को बिजली, सिंचाई, कृषि आदि परियोजनाओं की तुलना में कम महत्व देना ।

(घ) तीसरी पंच वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में मैसूर सरकार को नियत की गयी और उनके द्वारा निकाली गयी राशि क्रमश 2.86 करोड़ और 2.80 करोड़ रुपये है । कमी नगण्य है ।

आयकर अधिकारी प्रशिक्षण कालिज, नागपुर का हैदराबाद को स्थानान्तरण

2729. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के आयकर अधिकारी प्रशिक्षण कालेज को हैदराबाद ले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) किस तारीख को ले जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिकारियों की बढ़ती हुई संख्या और उनकी प्रशिक्षण सम्बन्धी जिम्मेवारी को देखते हुए नागपुर में विधान सभा सदस्य विश्राम गृह संख्या–2 में उपलब्ध जगह जरूरत से बहुत कम थी। इसलिए कालेज को नागपुर से हटाना पड़ा। हैदराबाद को इसलिए चुना गया है कि वहां प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाएं हैं तथा साथ ही प्रशासनिक स्टाफ कालेज में होने वाले व्याख्यानों का लाभ भी मिल सकेगा ।

(ग) हैदराबाद में प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए 9 एकड़ जमीन के साथ एक इमारत ले ली गयी है। प्रशिक्षार्थियों का होस्टल तैयार होते ही कालेज को वहां भेज दिया जायेगा ।

बाघ सिंचाई परियोजना

2730. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाघ सिंचाई परियोजना की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसके पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं ।

(ख) परियोजना के चौथी योजना में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

महाराष्ट्र में इतियादाद सिंचाई परियोजना

2731. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भंडारा जिला की इतियादाद सिंचाई परियोजना पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के 1969–70 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

नागपुर में अति तापीय बिजली घर

2732. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री 4 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में स्थापित किये जाने वाले अति तापीय बिजलीघर संबंधी परियोजना का प्रतिवेदन अन्तिम रूप में तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी तथा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं। परियोजना के अनुमान का पुनरीक्षण हो रहा है।

(ख) लागत अनुपान के तैयार हो जाने के पश्चात् ही धन संबंधी व्यय का पता लगेगा इसी बीच, प्रारंभिक तथा प्राथमिक कार्यों पर अग्रिम कार्यवाही के लिये चालू वर्ष के लिये 25 लाख रुपयों का प्रबन्ध कर दिया गया है। 125–125 मैगावाट के प्रथम दो यूनिटों के क्रमशः अक्तूबर, 1969 और मार्च, 1970 में चालू होने की संभावना है। बाकी यूनिट उसके बाद 5–5, 6–6 महीनों के अन्तर से चालू होंगे, ऐसी संभावना है।

नागपुर नगर का दर्जा ऊंचा करना

2733. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि नागपुर नगर का दर्जा उसी आधार पर ऊंचा करने के सम्बन्ध में विचार किया जाये, जिस आधार पर कि पूना नगर का दर्जा ऊंचा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर क्रमोन्नति कार्य समिति (नागपुर अपग्रेडिंग एक्शन कमिटी) के अध्यक्ष का एक पत्र भारत सरकार के पास विचार करने के लिये भेजा था और पूछा था कि क्या नागपुर नगर का "बी–1" वर्ग के रूप में उसी आधार पर वर्गीकरण हो सकता है जिस आधार पर पूना नगर का ऐसा वर्गीकरण किया गया था।

(ग) राज्य सरकार को बता दिया गया था कि नागपुर नगर का "बी–1" वर्ग के रूप में वर्गीकरण करने के लिए कोई आधार नहीं है।

केरल में बाढ़ नियंत्रण

2734. श्री वारियर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी योजना के लिये राज्य में बाढ़ नियन्त्रण संबंधी कोई विस्तृत योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उस की अनुमानित लागत क्या होगी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना मंजूर कर ली है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में राज्य को किस रूप में तथा कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी मालम नहीं है ।

Ghazipur Opium Factory

2735. Shri Sarjoo Pandey : Will the **Minister** of **Finance** be pleased to state :

(a) to what extent and in what manner the proposed setting up of an Opium Factory at Neemuch will affect the existing Ghazipur Opium Factory

(b) whether the Ghazipur Opium Factory is likely to be closed down after the new factory has been set up ;

(c) whether the representatives of the people of Ghazipur have submitted any memorandum to the Prime Minister and the Finance Minister in this behalf ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The setting up of a new alkaloid factory at Neemuch is not likely to adversely affect the Government Opium Factory, Ghazipur, in any real sense.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The Government of India are likely to take up the modernisation of the present factory at Ghazipur, after the factory proposed to be set up at Neemuch, goes into full production.

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

2736. श्री हेम राज : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् नें पहाड़ी क्षेत्रों की विकास संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए अपनी एक स्टीयरिंग समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा जनता के प्रतिनिधियों को इस समिति में किस प्रकार लिया जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) और (ख) : पर्वतीय क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति ने 12 मार्च, 1965 को सम्पन्न बैठक में सिफारिश की कि योजना आयोग एक कर्णधार (स्टीयरिंग) समिति का गठन करे। यह विषय विचाराधीन है।

Alleged Seizure of Gold and Currency from Tibetans

2737. Shri Bibhuti Misra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item under the caption 'Indian currency and gold worth Rs. 3·4 lakhs seized' appearing at page 1, column 1 of the daily Hindustan dated the 5th June, 1965 published from Delhi;

(b) if so, whether a lot of currency notes and gold and silver were recovered from some Tibetans ;

(c) whether it is a fact that all the currency notes were printed in China ; and

(d) if so, the steps taken by Government in the matter ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) In the month of April, 1965 some Tibetan refugees were apprehended by the Border Police on different dates and Rs. 51,500 in Indian currency, 3 gold bars, 31 gold mohars and one silver box with gold plates and some miscellaneous articles were recovered on search of some of them.

(c) No, Sir. Some currency notes seized were suspected to be forged, but on examination they were found to be genuine.

(d) Checkposts on the border have been alterted to check unauthorised infiltrations.

विकलांगों का पुनर्वास

2738. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांगों के पुनर्वास के लिये हाल में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तों इस सम्मेलन में क्या मुख्य बातें कही गई तथा सिफारिशे की गई ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकलांगों के पुनर्वास मे क्या प्रगति हुई है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सम्बन्ध योजनायें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । ऐसा एक सम्मेलन सर्जन्स आफ इंडिया के विकलांग अनुभाग तथा विकलांगों के पुनर्वास की भारतीय सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में हुआ था ।

(ख) और (ग) : सम्मेलन की सिफारिशें अभी सरकार को नहीं मिली हैं ।

(घ) तीसरी योजना में भारत सरकार ने निम्नलिखित स्कीमें चालू की हैं :–

(1) अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा एवं पुन संस्थापन संस्थान्, बम्बई का विस्तार ।

(2) विकलांगों के उपचार के लिये सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एक केन्द्रीय विकलांग चिकित्सा संस्थान चालू किया गया है ।

(3) श्रवण तथा वाणी की त्रुटि वाले व्यक्तियों के लाभार्थ एक वाक् चिकित्सा (लोगोपेडिक्स) संस्थान मैसूर में चालू किया गया है। इस क्षेत्र में काम करने वाली कतिपय स्वेच्छा सेवी संस्थाओं को सहायता प्रदान की गई है।

चौथी योजना का अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Money received by Editor of 'Hindustan Times'

2738-A. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a receipt published in the Hindi 'Blitz' dated the 17th July, 1965 showing an amount of 45,000 French Francs received by the Editor of "Hindustan Times" ; and

(b) if so, whether Government have made any enquiry into the matter and the outcome thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government has no information and since the matter is *sub judice* no enquiries have so far been made.

अवलम्बनीय लोक महत्त्व के बिषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमृतसर के नागरिकों पर बम-बारी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : श्रीमान् में प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान पाकिस्तानी विमानों द्वारा अमृतसर में नागरिकों पर युद्ध विराम की घोषणा के पश्चात् 22 सितम्बर, 1965 को बम-बारी किये जाने की ओर दिलाता हूं।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं 3.30 बजे म० प० एक वक्तव्य दूंगा क्योंकि मैं अभी तक इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर रहा हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा निवेदन है कि वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् इस विषय पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। इस प्रश्न का सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्र से है।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के बाद इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा।

विशेषाधिकार-प्रश्न के

RE : POINT OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री बागड़ी से एक प्रस्ताव मिला है कि 15 सितम्बर को फिरोजपुर रेल्वे स्टेशन में रेल्वे पुलिस ने श्री रामेश्वरानन्द को $2\frac{1}{2}$ घंटे तक गैर-कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। माननीय सदस्य ने मुझे यह भी लिखा है कि उन्हें तंग किया गया और उन्हें कई दिक्कतें उठानी पड़ी। माननीय सदस्य पंजाब के गृह-कार्य मंत्री सरदार दरबारा सिंह के निमंत्रण पर वहां गये हुए थे। सदस्य महोदय का कहना है कि इससे उनका विशेषाधिकार भंग हुआ है, क्या गृह-कार्य मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ। वास्तव में क्या हुआ में इस बात को मालूम करने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सच है कि कुछ ऐसे मामले जरूर हुए होंगे जब कि नागरिकों को बहुत तंग किया गया और हमें कई जगहों से ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि कुछ युवा पुरुषों ने अत्यधिक उत्साह में आकर निर्दोष व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया है और कुछ ईमानदार नागरिकों की तलाशी ली गई उन्हें रोका गया अथवा उन्हें परेशान होना पड़ा। श्री रामेश्वरानन्द ने मुझे विस्तारपूर्वक एक पत्र लिखा है। वास्तव में यह बहुत खेद की बात है कि उन्हें केवल एक ही स्थान पर नहीं अपितु दो अथवा तीन स्थानों पर परेशानी उठानी पड़ी ।

Shri Iqbal Singh (Ferozepur) : Sir, it should also be taken into consideration that people were working there under great pressure. If some member had to go there, he should have informed in advance about his visit.

Mr. Speaker : I have already told the hon. Members that they should at least inform me in advance of their visit. If any one desired to go there so that I could intimate to the Deputy Commissioner or local authorities concerned about their proposed visit.

Shri Bagri (Hissar) : Sir, at least when a member of Lok Sabha shows his identity card to a Police Officer, he should not have been detained thereafter It is really very unfortunate that this should have been done to a Member of Parliament. Moreover, I would like to submit that it is not possible for a civilian living some where in border area to follow this procedure. He cannot inform you about his visit. I, therefore, request you to take up this matter. This is not a question regarding Shri Rameshwaranand alone, but there is a panic throughout the country.

Mr. Speaker : I have asked for the facts. Let the facts come. I have not given my ruling yet I have not rejected it.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : माननीय सदस्य पंजाब के गृह-कार्य मंत्री के निमंत्रण पर वहां गये थ। क्या हमारी सरकार ने पंजाब के गृह-कार्य मंत्री सम्पर्क स्थापित किया था और तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयत्न किया था ?

अध्यक्ष महोदय : पहले सरकार को इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने का अवसर दीजिए ; तत् पश्चात् हम उस पर चर्चा करेंगे ।

श्री ही ना० मकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : आपको तथ्यों की जानकारी हो जाने पर, मेरा ऐसा विचार है कि आप सम्बन्धित सदस्य तथा रुचि रखने वाले कुछ अन्य सदस्यों के साथ सभा की अपेक्षा अपने कक्ष में मिले क्योंकि हमारे जवान सभी प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां तथा तखलीफ़ सहन करते हुए युद्ध में लीन थे, हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो। मैं नहीं चाहता कि सभा इस मामले को तूल दे। यह अच्छा है कि आप अपने कक्ष में तथ्यों की जानकारी दे दें और इसके पश्चात्, यदि आवश्यक हो, तो आप इसे सभा के समक्ष लाकर उससे पूछें कि क्या वह इस मामले पर आगे विचार करना चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, the session is going to terminate tomorrow. I want to know whether the hon. Minister will be in a position to give full information about the case by tommorrow.

Mr. Speaker : Yes, he will give by tomorrow.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I make a submission with full sense of respect that we should have a detailed discussion on such matters. When this question was raised here, it was tried to avoid it laughingly and lightly. It met the same fate when once more it was tried to attach a substantial importance to it. This is not good thing. We should always give full consideration to all matters of this kind.

Secondly, I want to say to the Hon. Home Minister about his Department that he should warn his Police officials and other personnels that they should not adopt a cynical and suspicious attitude towards Indian citizens for it would help Pakistan's existence. And if there are two to four thousand Pakistani Spies among Indian muslims, I would urge upon Government to take action against them and not to suspect the whole community. : . . . . (interruptions)

Mr. Speaker : How far these things are concerned with this matter ? The matter is that I said I have received a motion from Swamiji. I asked the Home Minister if he wanted to say anything on that. And the Home Minister says that he will try to find out what has actually happened. Now there is no propriety to proceed further in the matter. I will get the facts.

One suggestion has come from Shri Mukherjee that I should see the Member concerned in my Chamber and sift the facts and then, if necessary, come before the House and ask the Hon. Members whether the House should proceed further in the matter. I agree to this suggestion.

Yesterday, I received a letter from Swamiji and he has written a letter to the Prime Minister also. I have forwarded that letter to the Home Ministry so that the matter may be looked into. No body has taken this matter laughingly and lightly. I said that I was very sorry that this should have happened to the Hon. Member. As I said earlier that I have asked the Government for the facts and I will get the facts, then we may take up the matter and, if necessary, we may proceed further.

श्री नन्दा : माननीय सदस्यों ने यहा पर जो कुछ कहा है, यदि उसका खण्डन न किया गया तो वह हानिकार होगा। इसलिये मैं स्पष्ट तौर पर यह कहूंगा कि माननीय सदस्य महोदय ने जो आक्षेप लगाया है वह पूर्णत: निराधार है क्योंकि मैं इस विषय की व्यक्तिगत रुप से जानकारी रखता हूं। किसी समुदाय के प्रति न तो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया है और अथवा न उसे किसी प्रकार शक की नजर से ही देखा जाता है। जो कुछ मैने कहा है उसे पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के तथ्य तथा आकड़े स्वत: पूर्ण रुपेण सिद्ध कर देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तीसरी लोकसभा के विभिन्न अधिवेशनों के दौरान मंत्रीयों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 1 • बारहवां अधिवेशन 1965

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-4940/65।]

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 4 . ग्यारहवां अधिवेशन, 1965
[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4941/65 ।**]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 8 . दसवा अधिवेशन, 1964
[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4942/65 ।**]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 10 . नवां अधिवेशन, 1964
[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4943/65 ।**]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 15 . सातवां अधिवेशन, 1964
[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4944/65 ।**]

मद्रास तथा बम्बई पत्तन न्यासों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष 1963-64 के लिए मद्रास पत्तन न्यास के वार्षिक लेखों की एक प्रति तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4945/65 ।**]

(दो) वर्ष 1963-64 के लिये बम्बई पत्तन न्यास के वार्षिक लेखों की एक प्रति तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4946/65 ।**]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन तथा त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास के प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मै निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(एक) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष 1964-65 के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4947/65 ।**]

(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 की धारा 172 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिए त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास के प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर न्यासधारी बोर्ड का संकल्प । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4948/65 ।**]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम तथा बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं कृषि पुनर्वित्त न्यास के कार्य सम्पादन के बारे में दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 154/65 ।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 155/65।

(तीन) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 सितम्बर 1965 की अधिसूचना संख्या 156/65। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4949/65।**]

(2) बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) इलाहाबाद व्यापार तथा बैंकिंग निगम लिमिटेड (इलाहाबाद ट्रेडिंग एण्ड बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड) के स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ एकीकरण की योजना जो दिनांक 4 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2768 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4950/65।]**

(दो) वेट्टैकरणपुडूर महाजन बैंक लिमिटेड, वेट्टैकरणपुडुर, के बैंक आफ मदुरै लिमिटेड, मदुरै के साथ एकीकरण की योजना जो दिनांक 4 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2769 में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4951/65।**]

(3) कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत वर्ष 1964-65 के लिये कृषि पुनर्वित निगम, बम्बई, के कार्यसंचालन के बारे में दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा 30 जून, 1965 का उसका सन्तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिये लाभ-हानि लेखा। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4952/65।**]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) मध्य प्रदेश चावल (लाने-लेजाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1382 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) उड़ीसा चावल (लाने-लेजाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1383 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दिनांक 14 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1384।

(चार) गेहूं बेलन आटामिलें (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 15 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1387 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4953/65।**]

सीमा शुल्क अधिनियम सामान्य उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचनाए

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं श्री रामेश्वर साहू की ओर से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 19 जून, 1965 का जी० एस० आर० 848

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

(दो) दिनांक 4 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1288

(तीन) दिनांक 31 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1295

(चार) दिनांक 31 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1296

(पांच) दिनांक 6 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1302

(छः) दिनांक 11 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1326

(सात) दिनांक 14 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1385। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4954/65।]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत दिनांक 4 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1290 की एक प्रति जिसमें दिनांक 7 अगस्त, 1965 के जी० एस० आर० 1129 का शुद्धिपत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4955/65।]**

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) नियम, 1960 में कतिपय और संशोधन किये गये :—

(एक) दिनांक 4 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1289

(दो) दिनांक 11 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1327

(तीन) दिनांक 11 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1328

(चार) दिनांक 11 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1329

(पांच) दिनांक 11 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1330

(छः) दिनांक 7 सितम्बर, 1965 का जी० एस० आर० 1346। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4956/65।]**

(4) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1955 की एक प्रति जो दिनांक 18 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1381 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4957/65।]**

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

अठ्ठारहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : मैं चालू अधिवेशन के दौरान हुई याचिका समिति की अठ्ठारहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

अनुपस्थिति कि अनुमति

LEAVE OF ABSENCE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों का प्रत्येक के सामने बताई गई अवधि के लिए सभाकी बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जायें :—

(1) श्री माडला नारायण स्वामी . .	16 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(2) श्री दशरथ देव . .	16 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(3) श्री कोल्ला वेंकैया	17 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां सत्र) और 16 अगस्त से 18 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(4) श्री बीरेन दत्त .	1 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां सत्र)
(5) श्री आनन्द नम्बियार	17 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां सत्र)
(6) डा० मेलकोटे	27 अप्रैल से 11 मई, 1965 (ग्यारहवां सत्र)
(7) महारानी गायत्री देवी (जयपुर)	16 अगस्त से 18 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(8) श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव गायकवाड	16 अगस्त से 16 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(9) श्री गयासुद्दीन अहमद .	16 से 31 अगस्त 1965 (बारहवां सत्र)
(10) श्री लक्ष्मीदास	16 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(11) श्री न० ता० दास .	16 अगस्त से 3 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(12) डा० सारादीश राय .	16 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(13) श्री भोलाराम पराधी	19 अगस्त से 8 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(14) श्री व० गोविन्द स्वामी नायडू . .	16 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)
(15) श्री नटराज पिल्ले	23 अगस्त से 24 सितम्बर, 1965 (बारहवां सत्र)

[अध्यक्ष महोदय]

(16) श्री चपल कान्त भट्टाचार्य	30 अगस्त से 14 सितम्बर, (बारहवां सत्र)	965
(17) श्री नि० चं० चटर्जी	23 अगस्त से 24 सितम्बर, (बारहवां सत्र)	965

क्या सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ?

श्री भट्टाचार्य यदि परिसीमन आयोग में सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं तो क्या इस के लिये अनुपस्थिति की आज्ञा लेने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में नियमों को नहीं जानता। शायद उन्हें सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नि० चं० चटर्जी के बारे में सुना है कि उनकी एक दुर्घटना में हड्डी टूट गई है। इस पर हम सब को चिन्ता हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : यह सुनकर हम सबको खेद है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने भी यही कहा है कि सदन के इस वरिष्ठ सदस्य की हुई दुर्घटना से सब को खेद है। मैं आशा करता हूं कि चोट गम्भीर नहीं होगी और वह शीघ्र ही स्वस्थ होंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या समिति के सभापति महोदय के पास इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी है ?

श्री खाडीलकर (खेड) : समाचार पत्रों से पता चला है कि दुर्घटना के बाद वह पटना भी आये हैं और वह चलने फिरने के योग्य है। मुझे निजी तौर पर पता चला है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री च० का० भट्टाचार्य स्वयं यहां पर उपस्थित हैं वह बता सकते हैं। क्या समिति के सभापति महोदय को कुछ कहना है ?

श्री खाडीलकर : मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : समिति के सभापति को कुछ पता नहीं। क्या उन्होंने अनुपस्थिति की अनुमति बगैरे पता लगाये दी थी ?

श्री खाडीलकर : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य किस की बात कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं मद संख्या 16 की बात कर रहा हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सभापति ने अनुपस्थिति की अनुमति बिना जाने दे दी ?

अध्यक्ष महोदय : सभापति सदस्यों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते। वह नहीं जानते कि सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं या वह और कोई कार्य कर रहे हैं। जब कोई सदस्य अनुपस्थिति की अनुमति के लिये दरखास्त देते हैं तो वह उस पर निर्णय करते हैं। वही रिपोर्ट अब सदन के समक्ष है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री च० का० भट्टाचार्य स्वयं यहां पर उपस्थित है। वह बता सकते है।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई सदस्य परिसीमन आयोग के सह-सदस्य हों तो क्या उस समय वह और कार्य नहीं कर रहे होते ? और क्या उस समय उन्हें अनुपस्थिति के लिये अनुमति लेनी होगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह सदन में उपस्थित नहीं रहे अतः उन को अनुमति के लिये दर्खास्त देनी होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो किसी संसदीय समिति जैसे लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति के कार्य के लिये जाने के समान है।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि माननीय सदस्य प्रत्येक सदस्य के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे सब के बारे में कुछ कहना है।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठा सकते हैं और यह उनका अधिकार होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं रिपोर्ट से सहमत हूं। मैं उन सदस्यों के बारे में जानना चाहता हूं जो बन्दी हैं। जो सदस्य बीमार हैं या विदेश में गये हुए उन की अनुपस्थिति की बात तो समझ में आ सकती है परन्तु मैं गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन सदस्यों को कब तक बन्दी गृह में रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम अनुपस्थिति की अनुमति देने के बारे में बात कर रहे है।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि हम प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति के काम के बारे में जायें तो क्या हमे अनुमति लेनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि सत्र चल रहा हो तो सदस्यों को अनुमति के लिये दर्खास्त देनी होगी। मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमति प्रकट करती है।

बहुत से माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

सभा का कार्य तथा अन्तर्सत्रावधि के दौरान परामर्श सम्बन्धी व्यवस्थाओं के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE AND CONSULTATIVE ARRANGEMENTS DURING INTER-SESSION PERIOD

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं आप की आज्ञा से सभा तथा सरकार के विचार के लिये दो विषयों को उठाना चाहता हूं।

हमें प्रसन्नता है कि युद्धविराम हो गया है और सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। यह सुरक्षा परिषद् के संकल्प के अनुसार हुआ है। उस संकल्प में बहुत सी आपत्तिजनक बातें है और हम उनसे सहमत नहीं। इस सदन में प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि एक तो हम 5 अगस्त वाली रेखा पर जाने को तयार नहीं और दूसरे काश्मीर के बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती। हम इस विषय पर कोई बात करने के लिये तैयार नहीं है परन्तु सुरक्षा परिषद् के संकल्प से यह अर्थ निकलता है कि यह दो बातें भी संकल्प का भाग हैं। मैं नहीं जानता कि इस संकल्प पर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। मैं चाहता हूं कि संकल्प पर यहां विचार किया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सत्र के स्थगित होने से पूर्व इस पर चर्चा हो, चाहे सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ानी पड़े।

श्री हरि विष्णु कामत : शनिवार।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि श्री अल्वारेस के प्रस्ताव को शनिवार को लिया जा सकता है। राष्ट्रमंडल स सम्बन्ध विच्छेद के बारे में भी एक गैर सरकारी प्रस्ताव है। इन दोनों विषयों पर चर्चा के लिये पूरा दिन उपयोग में लाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधान मत्री ने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की है कि अर्न्तसत्र अवधि में विचार विमर्श के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये और सभी दलों की एक समिति बनाई जानी चाहिये। एक बैठक में प्रधान मंत्री ने नाम देने को भी कहा है। यह एक संसदीय समिति होगी। इस लिये आप इस का गठन करे। हम आपको इस बारे में सुझाव दे सकते है।

यह आवश्यक नहीं कि इस की कार्यवाही प्रकाशित की जाये। हमें स्थिति का ध्यान रखना है। इस समिति की कार्यवाही को गोपनीय रखा जाये। भविष्य क लिये भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : चर्चा के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल लोक सभा का सत्र समाप्त हो रहा है। यदि गैर सरकारी सकल्पो को न लिया जाये तो हम सामान्य चर्चा कर सकते है।

समिति के बारे में में कहना चाहता हू कि यह समिति एक तदर्थ समिति होगी। प्रतिपक्ष वालों का यही सुझाव था।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The House should also meet on Saturday.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : A special sitting should be convened tonight.

Mr. Speaker : There is no use in repeating this. Government have indicated that we would adjourn tomorrow. Prime Minister has said that it can be discussed tomorrow. So we will take up this tomorrow.

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं कि हमे चर्चा करने का अवसर दिया है। मेरे विचार में उन्होंने श्री द्विवेदी के इस सुझाव से भी सहमति प्रकट की है कि कल हम उस चर्चा के साथ साथ राष्ट्रमंडल के साथ सम्बन्धों के बारे में संकल्प पर भी चर्चा कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : उसपर भी विचार हो सकता है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सामान्य चर्चा में उस प्रश्न को भी उठाया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं परन्तु नियमों के अनुसार जब यह निर्णय हो जाता है कि सभा की कार्यवाही क्या होगी तो उस पर चर्चा के लिये आप समय निर्धारित कर सकते हैं। उसमें जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस में जल्दबाज़ी की कोई बात नहीं। यह निर्णय हो गया है कि कल सत्र समाप्त होगा। कल पूरी चर्चा हो सकती है। शायद प्रधान मंत्री को कोई और कार्य करना हो इसी लिये उन्होने 11 से 4 बजे तक कहा है।

श्री लाल बहादूर शास्त्री : यह 5 बजे तक कर सकते है।

श्री के० दे० मालवीय : मेरा सुझाव है कि दोनों विषयों पर पृथक रुप से चर्चा हो।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : कल के प्रश्न काल को छोड़ दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि सदस्य ऐसे चाहते है।

श्री स० मो० बनर्जी : नहीं, नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri : If majority of hon. members want we can utilize Question Hour for discussion, as this subject is to be discussed thoroughly.

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे इस पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नही किया जायेगा। श्री रंगा ने पुछा था और प्रधान मंत्री ने प्रति पक्षी दलों के नेताओं से बातचीत में स्पष्ट कर दिया है। इस बारे में प्रधान मंत्री से मिल सकते है। मेरा इस से कोई सम्बन्ध नहीं।

पंजाबी सूबे की मांग के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEMAND FOR PUNJABI SUBA

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने सदन में 6 सितम्बर, 1965 को प्रधान मंत्री तथा सन्त फतेह-सिंह की हुई बातचीत का उल्लेख किया था। उस में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि सरकार पंजाबी भाषा, क्षेत्रीय समितियों के काम तथा दूसरे विषय सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिये प्रयत्न करेगी और इन विषयों के बारे में सभी त्रुटियों को दूर किया जायेगा। मन यह भी कहा था कि सन्त फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग करना फिर शुरू कर दिया है।

हम सब को बहुत प्रसन्नता है कि पाकिस्तान के आक्रमण का ध्यान रखते हुए सन्त फतेह सिंह में व्रत आरंभ नही किया और एक महान देश भक्त नेता की भान्ति युद्ध के प्रयत्नों में पूरी पूरी सहायता की है। मैंने 6 सितम्बर, 1965 को भी कहा था कि सरकार इस सारे प्रश्न पर फिर से विचार करने का तैयार है। मैंने यह भी कहा था कि कोई ऐसा समाधान ढूंढ लिया जायेगा जिससे सब को सन्तुष्टि होगी।

सरकार ने निर्णय किया है कि मन्त्रिमंडल की एक समिति इस पर आगे विचार करे। उस समिति में श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री यशवन्तराव चव्हाण तथा श्री महावीर त्यागी होंगे।

मेरा आप से और राज्य सभा के सभापति महोदय से अनरोध है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन करें। उसमें दोनों सदनों के सदस्य हों और आप उस के सभापति हो। मुझे आशा है कि ये दोनो समितियां संतोष जनक हल ढूंढने में सफल होंगी।

श्री रंगा (चितूर) : मैं इस वक्तव्य पर सन्तुष्ट हूं और सरकार द्वारा शीघ्रता से कार्य करने पर इस की सराहना करता हूं। मैं आशा करता हुं कि ये समितियां इस कठिन प्रश्न का कोई हल ढूंढ निकालेंगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये समितियां अपना कार्य सफलतापूर्वक करने में सफल होंगी। हमें कुछ समय से चिन्ता लगी हुई थी। अब गृह-कार्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया और आशा बन्ध गई है कि हमारे सिख साथियों की मांगों पर विचार होगा। वे भी भारत का अंग हैं। सन्त फतेह सिंह आत्म बलिदान करने वाले थे। ऐसी स्थिति में सरकार तथा संसद् द्वारा कुछ कार्यवाही करना आवश्यक था। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यवाही के करने से सिख समुदाय की मांगों पर उचित प्रकार से विचार होगा और कोई स्थायी हल मिल जायेगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं सरकार के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं सन्त फतेह सिंह को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के हित में कार्यवाही की है। आशा है कि हम इस समस्या का कोई हल निकाल लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि हम यदि भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्य स्थापित करते हैं तो ऐसा ही एक और राज्य बनाने पर क्या आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रश्न के ब्यौरे में न जायें। इस पर मतभेद हो सकते है।

श्री हेम बरुआ : यह ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति इन सभी पहलुओं पर विचार करेगी या नहीं ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jajjer) : We are happy that if our Sikh brethern get their legitimate rights. The population of Haryana is about 80 lakhs. This region is part of Punjab. I want that rights of these people should not be usurped.

Shri B. P. Maurya (Aligarh) : I welcome the statement of Hon. Home Minister and hope that some solution would be found out of this problem. I do not like the policy of our Government which does not pay proper attention to problems unless there are agitations. U. P. is a very big State. It should be bifurcated. Delhi should have a democratic Government.

Shri Prakash Vir Shastri : I welcome the statement made by the Minister of Home Affairs. I also want to Congratulate Sant Fateh Singh for taking the right decision at the right time. I want to impress upon the Minister that this matter should not remain pending and the proposed Committee should also hear the grievances of the people living in Jullundur division.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं इस वक्तव्य के लिए गृह कार्य मंत्री को बधाई देता हूं। मेरा अनुरोध है कि उन्हें पंजाब की सरकार का कोई मुकर हल निकालना चाहिये और इसे लम्बा नहीं करना चाहिये।

डा० मा० श्री० अण (नागपुर) : पंजाब के बारे में जो पग उठाया गया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। संकट काल के समाप्त होते ही पंजाब की समस्या का सर्वमान्य हल निकालना चाहिये। इस संदर्भ में मुझे यह भी कहना है कि विदर्भ की मांग का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री इकबाल सिंह (फिरोजपुर) : मैं इस निश्चय का स्वागत करता हूं और इसके लिये प्रधान मंत्री, तथा गृह-कार्य मंत्री को मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूं कि यह समिति पंजाब की समस्या को सुलझा लेगी।

Shri Brajraj Singh (Bareilly) : I welcome the statement of the Minister for Home Affairs. We feel obliged to Sant Fateh Singh for postponing his fast at this juncture. I think if State is formed on the basis of language, then there is no harm in it. Sikhs are brave people and I hope they will keep up their old traditions by serving the people.

Shri Hem Raj (Kangra) : I am glad that two Committees have been appointed to solve the Punjab problem. But while solving this problem it will be good if the grievences of the people living in the hilly areas may also be considered.

श्री इ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में अल्प संख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उनमें विश्वास की भावना बनी रहनी चाहिए। सन्त फतह सिंह ने जब आपत काल की स्थिति को देखते हुए जब अपना व्रत स्थगित किया था, तो हमने उनके इस की सराहना की थी और अब ठीक दिशा में कदम उठाया जा रहा है।

मुझे पूर्ण आशा है कि संसदीय समिति तथा मंत्रिमंडल की समिति ठीक ढंग से इस समस्या पर विचार करेगी और नये दृष्टिकोण से उसे सुलझाने में सफल हो जायेंगी। पंजाब संसद सदस्य इन्हें अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं सन्त फतह सिंह को प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने देश की विकट स्थिती को देखते हुए अपना व्रत का विचार छोड़ दिया। सारा देश उनका आभार मानता है। संकट के समय में हमेशा देश की सेवा सिख जाति ने की है। संसदीय समिति तथा मंत्रिमंडलीय समिति की नियुक्ति का स्वागत है, और आशा है कि ये समितियां एक दूसरे के सहयोग से कार्य करेंगी। इसके लिये मैं गृह-कार्य मंत्री तथा भारत सरकार को मुबारकबाद देता हूँ।

Shri Buta Singh (Monga) : I welcome the statement of the Minister of Home Affairs. The statement indicate that Government are willing to solve the this problem. Sant Fateh Singh is being congratulated for the postponment of his fast. The postponment of this fast will foil the propaganda of Pakistan regarding the Sikhs.

The members, the names of whom have been announced, *i.e.* Smt. Indira Gandhi, Shri Chauvan and Shri Tyagi, are persons, whom the Sikhs hold in high esteem. I also want to state that we will never do any bargaining Government should consider this issue dispassionately with a new angle and then take the final decision. This will create confidence amongst the Sikhs and ultimately strengthen the common strength of Hindusthan.

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री नन्दा : मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है, सब ने इस बात का एक मत से समर्थन किया है।

प्रेस काउन्सिल विधेयक

PRESS COUNCIL BILL

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्रेस स्वातन्त्र्य के परिरक्षण और भारत में समाचार पत्रों के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के प्रयोजनार्थ एक प्रेस काउन्सिल की स्थापना करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय।"

सदन को इस बात का पता है कि प्रेस आयोग की सिफारिशों में एक मुख्य सिफारिश यह थी जो कि उसकी जुलाई 1954 के प्रतिवेदन में थी कि एक संविहित प्रेस कांउसिल की स्थापना की जाय। 1962 में हमने इस विधेयक को नये सिरे से प्रस्तुत किया। हमें प्रेस परामर्श समिति के परामर्श भी प्राप्त होते रहे। श्रमजीवी पत्रकारों ने भी इसके लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। 1963 के नवम्बर में राज्य सभा ने इसे पारित किया। और 1964 में इस सभा की अनुमति से विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया। संयुक्त समिति ने विधेयक पर पूर्णता से विचार किया। समिति ने जो काम किया उसके लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ।

विधेयक के इतिहास बताने में समय नष्ट न करते हुए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विधेयक के खंड 4 के अन्तर्गत जो परिषद् के गठन की व्यवस्था की गयी है वह कायम रूप से प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है। संयुक्त समिति ने सामान्य व्यवस्था से सहमति प्रकट करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि उन व्यक्तियों को भी जिन्हें विशेष ज्ञान हो अथवा विज्ञान के क्षेत्र में अनुभव हो परिषद् का सदस्य बनाना चाहिए। समिति इस बात विशेष रूप से आग्रह किया कि प्रास्तवित काउंसिल में किसी विशेष समाचार पत्र को अथवा समाचार पत्रों की श्रृंखाला को अनचित महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश के फलस्वरूप अपेक्षित परिवर्तन किये गये है। समिति ने यह विचार भी प्रकट किया है कि प्रेस परिषद् का प्रधान पूरे समय काम करने वाला अधिकारी होना चाहिये। समिति ने प्रेस परिषद् के कार्यों के साथ यह भी जोड़ दिया है कि "विदेशी सूत्रों से किसी समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र अभिकरण द्वारा सहायता प्राप्त होने का निरन्तर पुनरीक्षण होते रहना चाहिए।" इसका मतलब यह है कि विदेशी सरकारों अथवा अभिकरणों द्वारा विशेषत: द्वेषपूर्ण उद्देश्यो के लिए दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सरकार को इस बात का संदेह है कि संयुक्त समिति ने जिस उपबन्ध को लागू करने की सिफारिश की है, उसे उसी रूप में कार्यन्वित भी किया जा सकेगा। यह एक ऐसा मामला है जिसे ऐसे मामलों की जांच करने के लिये वास्तव में सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। अत: सरकार ने एक संशोधन प्रस्तुत किया तथा संशोधित खंड से प्रेस परिषद् के क्षेत्र को ऐसे मामलों तक ही सीमित कर दिया गया है जो उसे केवल सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाय—इस बात पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के सरकार स्वयं इन मामलों में जैसा कि उचित समझे कार्यवाही कर सकती है।

दूसरा खंड जो संयुक्त समिति ने जोड़ा है उसमें प्रेस परिषद् को यह अधिकार देने की व्यवस्था की गयी है कि वह "प्रेस की स्वतन्त्रता में किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकार जिसमें सरकार भी शामिल है, हस्तक्षेप किए जाने पर उस सम्बन्ध में जांच कर सकता है।" प्रेस आयोग ने स्वयं ही प्रेस द्वारा प्रेस के आत्म विनियमन के लिए प्रेस काउंसिल के गठन के लिए कहा है। इस दृष्टि से इस प्रस्तावित खंड से परिषद् का क्षेत्र प्रेस आयोग द्वारा की गयी सिफारिश से कहीं और अधिक व्यापक हो जाता है। दूसरी बात इस दिशा में यह है कि यदि इस वृत्त को उसमें जोड़ दिया जाय तो परिषद् में अनेक शिकायतें करने लगेगी। अन्तमें परिषद् का रूप एक न्यायालय का हो जायेगा। अत: इस कारण से सरकार ने उस उपबन्ध को हटाने के लिये जिसकी कि संयुक्त समिति ने सिफारिश की है, एक संशोधन प्रस्तुत किया है। इससे 13(2) खंड को हटा दिया जायगा। राज्य सभा ने भी इसे हटाये जाने को स्वीकार कर लिया है।

अब मैं खंड 14 की ओर आता हूं। इसका सम्बन्ध परिषद् के सामान्य अधिकारों से है। इसके सम्बन्ध में कुछ सन्देह बने हुए है कि इस उपबन्ध के कारण परिषद् का रूप एक न्यायालय का सा हो जायगा। खंड में यह नहीं कहा गया कि प्रेस काउंसिल सभी कामो के लिए एक दीवानी अदालत बन कर रह जायेगी। यह तो उसको समर्थ बनाने वाले अधिकार है ताकि वह प्रभावशाली ढंग से काम कर सके। यही उसका उद्देश्य है। बार काउंसिल, तथा चिकित्सा परिषद् इत्यादि ऐसे व्यवसायिक निकायों को विनियमित करने वाले परिनियमों में भी ऐसा ही उपबन्ध है। यदि परिषद् को ऐसे अधिकार न दिये गये तो परिषद् का प्राधिकार अवश्य ही कम हो जायेगा। अतः मैं सदन का और समय न लेता हुआ इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा को स्वीकार कर लेने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैंने इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है, कि इस प्रकार का विधान पारित किया जाना चाहिए अथवा नहीं। और क्या यह विधेयक उस उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके लिये यह लादा जा रा है। मेरा इस के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि यह विधेयक समय से पूर्व लाया गया है तथा इसके कई उपबन्ध मेरे लिए घृणित है तथा मुख्य उद्देश्यों तथा लक्ष्यो के नितांत विरुद्ध जाते हैं। इस बारे में मेरा विचार यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता मुख्यतः तीन बातों पर आधारित होती है। पहली यह बात है कि समाचारों का वहन करते समय उन्हें प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता, दूसरी बात यह है कि विचारों का चुनाव करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता तथा तीसरी बात यह कि अपने मत को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता। हमें प्रत्येक दृष्टि से प्रेस की स्वतन्त्रता के तीन पहलुओं पर विचार करना होगा। ऐसा विचार करते हुए सरकार की नीतीयों की चाहे हमें कड़ी अलोचना करनी पड़े।

हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि प्रेस पर देश का कानून पहले ही लागू है। यदि इस कानून में कोई त्रटि है तो सही प्रक्रिया यह है कि उस कानून में संशोधन किया जाय। प्रेस द्वारा विधान मंडल तथा न्यायालयों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन ऐसे अतिक्रमण हैं जिन पर सामान्य कानून लागू नहीं होता है। उसके अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। परन्तु विधान मंडलों तथा न्यायालयों द्वारा उस दिशा में कार्यवाही की जा सकती है। मेरा मत यह है कि उल्लंघनों के लिए बहुत ही सीमित क्षेत्र रह जाता है जिसका उपचार नैतिक आचरण के लिए संहिता का तथा पत्रकारिता के स्तर का विकास करने में है जिससे इस प्रकार के कानून के उल्लंघनों को निश्चित रूप से रोका जा सकता है।

हमारे देश में इसी पत्रकारिता का स्तर काफी निम्न कोटि का है। इसे देखते हुए यह जरूरी होगा कि एक संविहित निकाय की स्थापना की जाय। यह निकाय संरक्षियों को उपस्थित करने के लिये बाध्य करने को नियामक करे। दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा जानकारी के सूत्रों को बताने की संविहित शक्ति को बिना अपने कार्यों का संचालन करे। अपने स्तरों को स्थापित करे तथा अपने उद्देश्य निर्धारित करे। तथा अनुकूल रवैयों को अपनाने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहे। मेरा निवेदन यह है कि यदि इसे यह शक्तियां संविहित रूप में देंगे तो इन चीजों के प्रस्तुत न किये जाने के लिए संविहित दंड व्यवस्था वैसे भी मौजूद है।

[उपाध्यय महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मेरा निवेदन यह है कि परिषद् ऐसी होनी चाहिए स्वतन्त्र हो और अपने नियम वह स्वयं ही बनायें। जो कुछ हमारे समक्ष है उसके अनुसार परिषद् के उद्देश्यों और कार्यों के आरंभ में तथा खंड 12 के उपखंड (1) में एक पंक्ति के अतिरिक्त प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में कहीं कुछ

[श्री नारायण दांडेकर]

नहीं कहा गया है। पत्रकारिता के नैतिक स्तर तथा आचरण संहिता के बारे में नैतिक स्तर को बनाये रखने के प्रश्न के बारे में भी गड़बड़ ही है। इसके नीचे भी निम्न कोटि का लक्ष्य छिपा हुआ है।

खंड 14(1) के अन्तर्गत इस परिषद को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशक से उस मामलों पर जानकारी प्राप्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझें। यदि कोई प्रकाशक यह नहीं बताना चाहे कि उसे वह जानकारी कहां से प्राप्त हुई तो इसके लिये परिषद को काफी शक्तियां दी गई हैं। कई मामलों के संबंध में परिषद को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। यह भी दिया गया है कि परिषद द्वारा की गई जांच को न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

खंड 21 में यह दिया गया है कि परिषद का प्रत्येक सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी समझा जायेगा।

खंड 13(3) में कहा गया है कि उपधारा(1) के अन्तर्गत परिषद के निर्णय को अन्तिम समझा जायेगा।

कोई भी ऐसी कार्यकारी न्यायाधिकरण अथवा राजस्व न्यायाधिकरण नहीं है जिसके निर्णय को अन्तिम समझा जाता हो और जिसपर अदालत में आपत्ति न उठाई जा सकती हो। यह परिषद एक बहुत ही गैरजिम्मेदार निकाय होगा जिसमें सदस्यों को एक दिन का भी न्यायिक अनुभव नहीं है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि इसके निर्णय पर उच्च न्यायालय में लेख याचिका दी जा सकती है।

श्री नारायण दांडेकर : कर निधि में भी विशेष रूप से यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। परन्तु यहां पर तो आप केवल उच्च न्यायालय में लेख याचिका ही दे सकते हैं।

यह परिषद किस तरह काम करेगी? इस परिषद के खाते किस तरीके से रखे जायें तथा उनका लेखापरीक्षण किस तरीके से किया जाये, इसके लिये केन्द्रीय सरकार नियम बनायेगी। रुपया केवल उन बैंकों में रखा जा सकता है तथा विनियोजन केवल उस तरीके से किया जा सकता है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यह परिषद बेवकूफों की बनेगी जिसे यह भी नहीं पता कि पैसा किन बैंकों में जमा कराना है। फालतू धन का विनियोजन किस प्रकार करना है तथा खाते किस तरीके से रखने हैं।

आज समाचार पत्रों के सामने जो कठिनाइयां हैं वे इस विधेयक से दूर होने की नहीं। हमारे समाचार पत्र देश की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा साक्षरता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अखबारी कागज़ पूरी मात्रा में आयात नहीं किया जा रहा है और उसकी भारी कमी है। कागज़ की कमी के कारण समाचार पत्र न तो अपना आकार बढ़ा सकते हैं और न ही अधिक विज्ञापन छाप सकते हैं जिससे कि उनकी आमदनी में वृद्धि होती है। उधर उद्योगपतियों पर भी सरकार ने रोक लगा रखी है कि वे निर्धारित प्रतिशत से अधिक विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकते। ऐसी हालत में यह विधेयक उस कठिनाई को दूर नहीं कर सकता है जिसका समाचारपत्रों को सामना करना पड़ रहा है। यदि आवश्यकता समझी जाये तो अश्लील लेखों और घृणा फैलाने वाले लेखों को इसके अन्तर्गत लाया जाये अन्यथा इस विधेयक से तो समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता नहीं रहेगी और वे बेड़ियों में बंध जायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : सामान्य चर्चा तथा खंडवार चर्चा के लिये कितना कितना समय रखा गया है?

उपाध्यक्ष महोदय : कुल समय 7 घंटे है।

श्री खाडिलकर (खेड) : मेरे माननीय मित्र श्री दांडेकर को शायद पता नहीं है कि इस विधेयक को किस पृष्ठ-भूमि में लाया गया है। समाचार पत्र आयोग ने भारतीय समाचार पत्रों का सर्वेक्षण किया था और उनमें कुछ त्रुटियों को देखा था और उनको दूर करने के लिये कुछ सिफारिशें दी थीं। एक सिफारिश यह थी कि आचार संहिता बनाई जाये और इस प्रयोजन के लिये एक समाचारपत्र परिषद होनी चाहिये जो उसको लागू कर सके और समाचारपत्रों के स्तर को उठा सके।

भारतीय पत्रकारिता का इतिहास बहुत सुन्दर रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात हमारे समाचारपत्रों में कुछ बुराइयां आई हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है.....अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री खाडिलकर : हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में हमारे समाचारपत्रों ने बहुत अच्छा काम किया था।

इस विधेयक में एक बहुत बडी त्रुटि है। हमारे देश में बहुत से विदेशी पत्र पत्रिकाएं आती हैं। मैंने 'Time', 'News Week', 'Economist' आदि को पढ़ा। उनमें तथ्यों को दबाया गया है और वर्तमान स्थिति के संबंध में हमारे देश के विरूद्ध बिल्कुल पक्षपात की राय प्रकट की गई है। ऐसे पत्र पत्रिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था इस विधेयक में अवश्य होनी चाहिये।

इस समय हमें बाहर की खबरों के लिये विश्व समाचार एजेंसिओं पर निर्भर करना पड़ता है। न केवल देश के भीतर ही अपितु देश के बाहर भी पत्र पत्रिकाओं पर केवल कुछ लोगों को एकाधिकार है। वे तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस संबंध में वक्तव्य दे कि जो विदेशी पत्रिकाएं यहां बिकती हैं उनको उस आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा जो भारतीय पत्रकारों पर लागू की गई है। अन्यथा यह एक पक्षपात की बात हो जायेगी कि हम अपने पत्रकारों के लिये तो और नियम रखें और विदेशी पत्रकारों के लिये और। इस पहलू पर विचार किया जाना आवश्यक है। अब हमें यह देखना है कि क्या यह परिषद एक व्यावसायिक निकाय के रूप में काम कर सकेगी। एक व्यावसायिक निकाय ऐसा होना चाहिये जो अपने सदस्यों में अनुशासन लागू कर सके। यह अनुशासन आपसी सुझबुझ पर आधारित होना चाहिये। ऐसा होना चाहिये कि व्यक्ति अपनी गलति को स्वयं महसूस करने लगे और शरमिन्दा हो। केवल इसी चीज़ से इस परिषद का रुतबा बढ़ सकता है।

इस देश में पत्रकारिता के व्यवसाय में जो लोग काम करते हैं सरकारने उनका रुतबा बढ़ा दिया है। इस चीज़ को स्वयं पत्रकार मानते हैं। किसी देश की सरकार ने भी पत्रकारों के स्थान को ऊंचा उठाने के लिये और उनको मालिकों की मनमानी से बचाने के लिये इतना नहीं किया है ज़ितना हमारे देश की सरकारने किया है। इससे किसी हद तक हमारे पत्रकारों की स्वतन्त्रता सुनिश्चित तो हो गई है।

किन्गज़ले मार्टिन ने 'Press, the people want' (प्रेस, दि पीपल वांट) नामक अपनी पुस्तक में कहा है कि समाचारपत्रों का स्वामित्व एक न्यास स्वामित्व के रुप में होना चाहिये। हमारे देश में समाचार पत्र कुछ विशेष हितों की सेवा करते हैं। इसलिये यदि आचार संहिता बना भी ली जाये तो उसको लागू करना कठिन होगा।

हमारे देश में लोगों में अब शिक्षा और ज्ञान के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी है। गांव के लोग लिखे हुए शब्दों को और लिखी हुई बातों को बहुत पवित्र समझते हैं। ऐसी स्थिति में हमें यह देखना है कि हमारे पत्र पत्रिकाओं में कोई चीज़ न आये जो देश को पतन की ओर ले जाये। हमें पश्चिम की पत्रकारिता और समाज़ से अपनी तुलना नही करनी है। 'Observer' और 'Confidential Adviser' जैसे पत्र हाथों हाथ बिकते हैं। उनमें सिवाय अश्लील बातों के और कुछ नहीं होता और इनको

[श्री खाडिलकर]

अधिकतर त्रुण पढ़ते हैं। दिन प्रति दिन उनके दिमागों में ज़हर भरा जा रहा है। सरकार को इन पर नियन्त्रण करना चाहिये। ऐसे पत्रकारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये चाहे इसके लिये हमें दंड संहिता में संशोधन करना पड़े।

इस में सन्देह नहीं कि हमारे समाचारपत्रों का स्तर पश्चिमी समाचारपत्रों की अपेक्षा काफी ऊंचा है। परन्तु जहां पर किन्हीं हितों का प्रश्न आ जाता है, सामान्य सामाजिक उद्देश्यों का प्रश्न आ जाता है तो वे एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखते है जो आम जनता के दृष्टिकोण और सरकार की नीति से मेल नहीं खाता।

इसलिये मेरा निवेदन है कि समाचारपत्रों के स्वामित्व का जो प्रश्न है हमे इसमे यदि तेज़ी से नहीं तो धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहिये इसको न्यास स्वामित्व में बदलना चाहिये।

हमारे देश के बड़े समाचार पत्रों का स्तर तो ऊंचा है परन्तु जो प्रादेशिक भाषाओं में जो समाचार-पत्र निकलते ह, जिनका आम लोगों से अधिक सम्पर्क है, उनमें कुछ स्थानीय लड़ाइयों और साम्प्रदायिक झुकाव की बात होती है। सरकार को उनको सहायता देनी चाहिये और उनपर निगरानी रखनी चाहिये।

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। सरकार तो यह कहती है कि प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह प्रेस परिषद स्थापित की जा रही है। परन्तु वास्तव में इसकी सब बातें प्रेस आयोग की सिफारिशों के उलट हैं।

प्रेस कमीशन ने स्पष्ट शब्दों में यह सिफारिश की थी कि प्रेस कौंसिल न्यायालय के काम को अपने हाथ में नहीं लेगी और जो मामले इसके सामने आयें उनके संबंध में इसको न्यायालय की प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिये। परन्तु विधेयक में जो कुछ दिया गया है वह आयोग की इस सिफारिश के बिल्कुल उलट है।

हम प्रेस कौंसिल को इसलिये चाहते हैं कि हम समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता को बनाये रखे। समाचारपत्र किसके सहारे काम करते हैं? काम करने वाले पत्रकारों के सहारे। इसलिये हमें पत्रकारों की स्वतन्त्रता चाहिये।

इन पत्रकारों की स्थिति यह है कि एक ओर तो इन्हें अपने मालिकों के इशारों पर नाचना पड़ता है और दूसरी ओर सरकार की नौकरशाही इन पर अपना दबाव डालती है। इनके मालिक जिस खबर में अपना हित समझते हैं उनको मोटे अक्षरों में पहले पृष्ठ पर छपवाते हैं और ऐसी खबर जिसमें देश का हित हो परन्तु मालिकों का हित न हो उसको वे नहीं छापने देते हैं। ओर दूसरी ओर सरकार के अफसर हैं।

मैं आपको हाल ही की एक घटना बताता हूं। हाल ही में नई दिल्ली में जीवन बीमा निगम के मैदान में पैटन टैंक दिखाया गया था। वह टैंक केवल एक दिन ही वहां रहा और दूसरे ही दिन उसे हटा लिया गया था। क्यों? किसने? किसी को पता नहीं। परन्तु किसी समाचारपत्र ने यह नहीं दिया कि उसको हटा लिया गया था। अगले दिन लोग पैटन टैंक को देखने गये, परन्तु वे हैरान रह गये कि टैंक हटा लिया गया है। इसके पीछे किसका हाथ था?

एक माननीय सदस्य : अमरीकी दूतावास का।

श्री वारियर : मेरा ख्याल है किसी ने कहा होगा कि यदि पैटन टैंक को दिखाया गया तो अमरीकी सहायता नहीं मिलेगी।

इसलिये मैं चाहता हूं कि एक ऐसा संस्थान होना चाहिये जो पत्रकारों की स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके।

इस विधेयक के द्वारा सरकार जिन उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है उनको तो सरकार अन्य कानूनों द्वारा भी पूरा कर सकती है जो कि पहले से मौजूद हैं।

मुझे न्यायालय के अवमान के लिये कई बार उच्च न्यायालय के सामने घसीट कर लाया गया है। मान लीजिये लाठी चार्ज की एक घटना हो जाती है और मैं अपने समाचारपत्र को इसकी रिपोर्ट दे देता हूं। केवल इस आधार पर कि पुलिस द्वारा बाद में मुकदमा चलाया जा सकता है क्या इस खबर का प्रकाशन न्यायालय का अवमान बन जाता है। (**अतर्बाधा**) इसके लिये मुझे खुले न्यायालय में क्षमा याचना करनी पड़ी थी।

हाल ही में मेरे मित्र श्री जार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं नहीं जानता कि किस आरोप पर। परन्तु स्थिति यह है कि जब भी किन्हीं सरकारी अफसरों के दिमाग में यह बात बैठ जाये कि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ़ है तो वे उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। भारत प्रतिरक्षा नियम इसके लिये बहुत सहायक हैं।

भारत में समाचारपत्रों का 50 प्रतिशत काम केवल 9 समाचारपत्रों के हाथ में है। इन समाचारपत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। जब बोनस विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेजा जा रहा था तो 'Indian Express' (इंडियन एक्सप्रेस) ने घोषणा कर दी कि इस बार 4 प्रतिशत बोनस दिया जायेगा यद्यपि पहले अधिक की घोषणा की गई थी। हमें पत्रकारों को मालिकों के इन हथकंडों से स्वतन्त्रता दिलानी है।

प्रेस कौंसिल को केवल निन्दा करने का काम दे दिया गया है और इसकी सारी शक्तियां सरकार ने अपने हाथ में रख ली हैं। आखिर यह परिषद किस लिये है? अलबत्ता यह दिया गया है कि पत्रकारों को इस परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। परन्तु देखने से पता चलता है कि वास्तव में वे अल्पसंख्यक हैं। सम्पादकों को मिलाकर वे भले ही बहुसंख्यक हों। परन्तु वास्तव में ये सम्पादक कौन हैं? सब जानते हैं उनका काम ज्यादातर पर्यवेक्षण का है। ये सम्पादक अपने व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाने की बजाये अपने मालिकों का अधिक ख्याल रखते हैं। परिषद का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामज़द किया जायेगा। परन्तु कहां से? क्या मुख्य न्यायाधीश को समाचारपत्र जगत के सब लोगों का पता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या छोटे समाचारपत्रों में से कोई व्यक्ति इसमें आयेगा। बिल्कुल नहीं। इसमें केवल बड़े लोग ही आयेंगे।

यदि पत्रकारों को यह प्रकट न करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती कि उन्हें कोई समाचार कहां से मिला तो मैं समझता हूं कि इस देश में लोकतन्त्रों की जड़ों को मज़बूत बनाने में हम कोई योगदान नहीं दे सकते।

श्री नन्दा ने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चला रखा है। यदि समाचारपत्रों को यह स्वतन्त्रता नहीं दी जाती है तो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को अपनी काली करतूतों को छिपाने का अच्छा अवसर मिल जायेगा।

सरकार इस परिषद के खर्च का जिम्मा अपने ऊपर क्यों लेती है? समाचारपत्रों की काफी आमदनी है उनसे इसका खर्च वसूल किया जाये।

यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस परिषद के लिये नियम बनाने के अधिकार को सरकार ने अपने पास क्यों रख लिया है। परिषद को अपने कार्य संबंधी नियम स्वयं बनाने का अधिकार दिया जाये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : इस विधेयक का लक्ष्य बहुत ही अच्छा है। परन्तु जो काम और अधिकार इस परिषद् को दिये जा रहे है उससे काम नहीं बनने का। केवल सरकार को परामर्श दे सकेगी। खंड 12 के अन्तर्गत इस परिषद् के बारे में सारी बातें ले ली गयी है। परिषद्

[श्री अ० ना० विद्यालंकार]

को केवल इतने अधिकार दिये गये हैं कि वह केवल किसी समाचार पत्र अथवा किसी पत्रकार की निन्दा कर दे। परन्तु अच्छे काम के लिए किसी अखबार अथवा पत्रकार की सराहना करना इस परिषद् के बस की बात नहीं है।

इस परिषद् का सारा ढांचा नामजदगियों से परिपूर्ण है। यह बात सुनिश्चित करने का कोई प्रयास इस परिषद् द्वारा किये जाने की व्यवस्था नहीं कि यह ऐसा निकाय माना जाय जो इस व्यवसाय में किसी तरह से आन्तरिक नियन्त्रण रखने और बाह्य प्रभाव कायम रखने के योग्य है। यह भी कोई व्यवस्था नहीं कि इससे पत्रकारों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो जाय। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि विदेशी पत्रकारों के मुकाबले में हमारी पत्रकारिता का स्तर काफी ऊंचा है। हमारे देश के समाचार अधिकरण भी काफी उच्च कोटि का है। आज इस तरह की स्थिति निर्माण हो रही है कि अधिकतर समाचार पत्रों तथा समाचार पत्र अधिकरणों पर प्रायः एकाधिकार स्थापित हो रहा है।

इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि विधेयक का उद्देश्य यह है कि समाचार पत्रों तथा पत्रकारिता की स्वतन्त्रता को संरक्षण तथा प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन देना है। पर यदि इस दिशा में एकाधिकार जमा रहा तो समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को कायम रखना असम्भव होगा। जब तक यह एकाधिकार कायम है तब तक प्रेस की स्वतन्त्रता लगभग स्वप्न मात्र है। मैं इस बात का आग्रह करता हूं कि सरकार यह बताये कि इस दोष को दूर करने की दिशा में वह क्या कार्यवाही कर रही है। यह तो स्पष्ट ही है कि इस दोष को दूर करने के लिए सारे ढांचे में ही आमूल परिवर्तन करना होगा।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं इस विधेयक के लिए मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसमें और बहुत से उपबन्ध होने चाहिए। ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए कि पत्रकार महसूस करे कि उनके लिए निराश होने का कोई काम नहीं। इस दिशा में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना बहुत ही अपमान जनक है कि हमारे देश में समाचार पत्र विकसित ही नहीं हुए है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की स्वतन्त्रता का संघर्ष पत्रकारों के सहयोग और सहायता के कारण ही सफल हो पाया था। पत्रकारों ने कमाल के काम किये। वे जेलों में गये, जो कुछ लिखा अक्ल से लिखा, जो कुछ कहा जिम्मेदारी से कहा। हमारा प्रेस संसार भर में उत्तम है। हो सकता है कि हमारे प्रेस के पास बहुत बड़ी बड़ी मशीने न हो परन्तु हमारा स्तर बहुत ही ऊंचा रहा है। बंगाल के पत्र बंगाली, जिसे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने चलाया था, शिशिर कुमार घोष ने 'अमृत बजार पत्रिका' चलाया। 'इल हलाल' मौलाना आजाद ने निकाला। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के 'मरहाठा' और 'केसरी' को कोई नहीं भूल सकता। इसी तरह बाम्बे क्रानिकल, नैशनल हैरल्ड तथा अन्य समाचार पत्रों की सेवायें कुछ कम नहीं। हमारे पत्रकारों का स्वतन्त्रता के उद्देश्य के लिए बलिदान का रिकार्ड ऐसा है जिस पर किसी भी युग में गर्व किया जा सकता है। हमें यह न भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी स्वयं भी 'यंग इंडिया' नाम का पत्र निकालते रहे हैं। लाला लाजपत राय ने पंजाब में बन्देमातरम निकाला था।

अब तो एकाधिकार हो रहा है। वैसे सामान्यतः हमारे प्रेस द्वारा अच्छी पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं। परन्तु व्यवसाय में केवल बहुत बड़े बड़े पंजीपतियों के आ जाने के कारण कुछ एकाधिकार की मनोवृत्ति बढ़ गयी है। इससे प्रेस की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ गयी है। पूंजीपतियों ने शुद्ध पत्रकारिता को प्रायः समाप्त कर दिया है। इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की बिक्री निकट भविष्य में $2\frac{1}{2}$ करोड़ से अधिक हो जायेगी। और इस तरह हमारा प्रेस संसार का एक शक्तिशाली प्रेस होगा। प्रेस और अधिक शक्तिशाली हो इसके लिए यह बड़ा जरूरी है कि सरकारी क्षेत्र में पांच सात दैनिक अखबार निकलने चाहिए। "लंदन ईकानोमिस्ट" "न्ययार्क टाइम्स" और "टाइम्स" जैसे ऐसे समाचार पत्र हैं जो भारत विरोधी प्रचार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। उनमें भारत के प्रति बहुत दुर्भावना है। वे हमेशा भारत की निन्दा करते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। अब समय है कि हम इस दिशा में कुछ व्यवस्था कर लें।

श्री दांडेकर महोदय बुद्धिमत्ता की बात करते है। भारत के अखबारों की बुद्धिमत्ता और देश-भक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं। भारतीय अखबारों की परिपक्वता और बुद्धिमत्ता पर सन्देह किया ही नहीं जा सकता। उसको हमेशा उच्च कोटि की देशभक्ति तथा औचित्य की भावना से प्रेरणा मिलती है। मैं इस बात पर अवश्य जोर देना चाहता हूं कि देश भर से अश्लील पत्र-कारिता का अन्त कर दिया जाना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रैस परिषद् में काफी साहसी व्यक्ति होने चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा और उच्चता का स्तर उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कम नहीं होनी चाहिए। वे लोग सरकार के हाथ की कठपुतली नहीं होने चाहिए। उनके चरित्र और देशभक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। उनके सामने आने को पत्रकारों को संकोच नहीं होना चाहिए।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : I oppose this Press Council Bill. It has been started in its long title that it is to establish a Press Council for the purpose of preserving the freedom of the Press. I support this principle. But it goes further and says, "and of maintaining and improving the standards of newspapers in India". I am of the opinion that nothing has been done in this direction for the last 16 years. Some improvement may have been effected since the present Minister has taken over the charge of this Ministry.

There are small papers in country, and they are to be congratulated that they kept their existence inspite of adverse circumstances. Many of them have gone out of existance. One of the reasons of this is the Advertisement Policy of the Government. Only 2 per cent people know English in this country, inspite of it the major portion of advertisement is given to the English Papers. Very little advertisement is given to language papers. Therefore it is a difficult for these papers to exist.

Then there is a political aspect also, papers which support the policy of the ruling party get maximum advertisement. Others who dare criticise the policy of the Congress are deprived of this privilege. Similarly many papers get news-print while others not. Much of the quota of newsprint that is given to the papers go into the black market. In these circumstances I may urge that Government pay adequate attention to the small newspapers also.

I may also state that if we have to follow the democratic way we should not oppose the policy of any newspaper. Government should seriously analise the criticism of the papers and attend to the right things pointed by it. Papers should be given full freedom in respect of it.

Government has created the Registration Machinery, r pers have to face so many difficulties in getting this Registration. Much time is wasted in preliminary enquiries. Sometime full one year is wasted before one gets the Registration. In this country the democracy is moulded as such as to suit the party in power. We ought to try to establish the partyless democracy. We must follow the foot steps of Mahatma Gandhi. Our electorate are responsible people.

I feel that some exemption is being given to the members of "Press Council" from the judicial procedure. This is a clear negation of democracy. I am of the opinion that the Press Council should as independent institution as are the Union Public Service Commission and the other undertakings. Independence of judgement cannot be expected from a nominated bodies. This matter should not be considered from the point of view of the party.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मुझे आश्चर्य है कि लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का कारण यह मुझे मालूम होता है कि जो इसका विरोध कर रहे है उनको इस विधेयक की पृष्ठभूमि और इतिहास का पता नहीं। इस विधेयक का मुख्य आधार प्रेस आयोग की सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें 1954 में प्रस्तुत की गयी थी। और 10 बरस तक उन पर विचार होता रहा है। काफी समय के बाद इसे राज्य सभा ने पारित किया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने जो बातें कही है वह प्रेस आयोग की सिफारिशों से पहिले की है। इस में यदि कोई दोष है तो वह दोष विधेयक का अथवा सरकार का नहीं प्रस्तुत प्रेस आयोग की सिफारिशों का है।

न्यायपालिका का जो प्रश्न श्री दांडेकर ने प्रस्तुत किया, शायद उन्हें पता नहीं कि 40 बरस पूर्व स्थिति क्या थी। उस समय प्रत्येक अखबार के सम्पादक को कानूनी बातों से हर रोज उलझना पड़ता। इस प्रकार की प्रैस परिषद की स्थापना समाचारपत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न वर्गों की ओर से स्वीकार कर ली गई है। अत: इस दिशा में आपत्ति निराधार है। परिषद किसी दंड-न्यायाधीश को न्यायालय अथवा दंड विधियों को लागू करने वाला प्राधिकार नहीं बन जायेगी जैसा कि आरोप लगाया गया है। यह प्रैस आयोग की सिफारिश थी कि ऐसे आपत्तिजनक लेखों के सम्बन्ध में जो विधि के अनुसार दंडनीय नहीं है, प्रैस के आचार का विनियमन भी प्रैस काउन्सिल की जिम्मेवारी होनी चाहिये।

प्रश्न उठाया गया है कि प्रैस काउन्सिल में न्यायाधीशों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका कारण प्रेस आयोग की यह सिफारिश है कि पत्रकारिता में व्यावसायिक स्तर बनाय रखने का सर्वोत्तम मार्ग यह होगा कि इस उद्योग के साथ मुख्य रूप से सम्बन्धित लोगों की एक संस्था संदिग्ध मामलों पर मध्यस्थ निर्णय करे और उस व्यक्ति की निन्दा करे जो संहिता के उल्लंघन का अपराधी सिद्ध हुआ हो। यह भी पूछा गया है कि काउन्सिल स्वेच्छापूर्वक आधार पर क्यों न बनाई जाये। प्रेस आयोग ने उस पहलू पर विचार किया था और कहा था कि ब्रिटेन में उसके स्वेच्छापूर्वक स्वरूप से उसके अधिकार के पालन में निस्सन्देह बाधा उत्पन्न हुई है। अत: उसने भारत के लिए एक सांविधिक परिषद की सिफारिश की थी। अधिकारियों को दी गई छूटे समिति की सिफारिशों पर आधारित थीं।

हमारी आलोचना यह है कि जब प्रेस आयोग ने यह सिफारिश की है कि कौंसिल का सभापति एक न्यायाधीश होना चाहिये तो ऐसा क्यों नहीं किया गया है। तथ्य यह है कि जब विधेयक पहली बार 1956 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया तो उस समय इसमें एक ऐसा उपबन्ध मौजूद था। परन्तु उसे राज्य सभा के कहने पर बदल दिया गया। राष्ट्रीय प्रेस भारत की स्वतन्त्रता के विचारों का पोषक रहा है। स्वतन्त्रता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए प्रेस ने अत्यन्त कठिनाइयां तथा मुकदमें तक बरदाश्त किये हैं, उसकी परम्परा गौरवमय है।

प्रेस की स्वतन्त्रता का यहां तक प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि इसका अर्थ सम्पादक की स्वतन्त्रता है। यदि सम्पादक की स्वतन्त्रता को कायम रखा जाय तथा सुनिश्चित किया जाय तो इसे प्रेस की स्वतन्त्रता ही समझा जाना चाहिए। विधेयक के उपबन्धों पर इस दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि यदि हम विधेयक के उपबन्धों पर सावधानी और गम्भीरता से विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि श्रमजीवी पत्रकारों को काफी प्रतिनिधित्व दिया गया है। मेरे विचार में आज की स्थिति में इस अच्छा विधेयक इस विषय पर नहीं लाया जा सकता था। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[श्री खाडीलकर पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : In this Bill there is a provision for nomination in every sphere, which I cannot regard as democratic. The purpose of the Bill should have been to remove the drawbacks, but that purpose will not be achieved by this Bill.

The judiciary should not have been associated with the executive. It should have been kept separate. The judiciary gets an upper hand in the council. If certain injustice is done to anybody and he goes to a court of law, the court may be reluctant to redress the grievance because they could not go against the decisions of a committee, two members of which have been nominated by the Chief Justice of the Supreme Court of India.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नामनिर्देशन पहली बार होगा और उसके बाद मताधिकार परिषद् के हाथ में होगा। सदस्य श्रमजीवी पत्रकार संघ, अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन तथा ऐसे दो अथवा तीन संस्थाओं में से चुने जायेंगे।

मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने पहले यह व्यवस्था रखी थी कि इसके लिये नामनिर्देशन मुख्य न्यायाधिपति, लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-सभा के सभापति करेंगे परन्तु अध्यक्ष महोदय तथा सभापति महोदय ने लिखा था कि वह इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। श्रमजीवी पत्रकार भी चाहते थे कि उसमें कोई न्यायाधीश हो।

Shri Raghunath Singh : Of the 25 Members, only two represent Lok Sabha and one represents Rajya Sabha. I would submit that about one-third members should be members of Parliament. Of 25 members, at least 4 should be from Lok Sabha and 2 from Rajya Sabha. One-third of the Members here belong to opposition and if my suggestion is accepted the opposition will be able to send one representative. If only two members are represented from Lok Sabha, the opposition will not be represented in the Council.

The thirteen Members, who are to represent the journalists, must also be elected. The representatives of the management or directors should also be elected. The Members to represent the Parliament must also be elected.

If the independence of the press is to be maintained, the Press Council must be an elected body. Independence of the Press must not be entrusted to the judiciary. Ours is not a guided democracy. It is a democratic state. The democratic principle of election must be applied everywhere.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह विधेयक पुनः प्रस्तुत किया गया है और इस बात से प्रकट होता है कि विधेयक में प्रेस के आचरण को नियमित करने के लिए एक स्वायत्तशाली निकाय स्थापित करने के सरकार के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित किया गया है।

इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बहुत ही आपत्तिजनक तथा अनुचित समझता हूं। विशेष रूप से, मैं भारत के मुख्य न्यायाधिपति को सौंपी गई शक्तियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनके पद को इससे सम्बन्धित करके अर्थात प्रैस परिषद् के सभापति को नामनिर्दिष्ट करने के बारे में उन्हें कुछ कृत्य सौंपकर, सरकार ने संविधान के ढांचे तथा उसमें निहित भावना का उल्लंघन किया है। मालूम होता है कि सरकार ने उस समय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया है, परन्तु यह स्पष्ट है कि कोई मुख्य न्यायाधिपति अपने उत्तराधिकारियों को संवैधानिक कृत्यों के अतिरिक्त कृत्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से मुख्य न्यायाधिपति तथा उन के पद पर ऐसे कृत्य सौंपे नहीं जा सकते। भारत के मुख्य न्यायाधिपति के पास उचित रूप से नामनिर्देशन करने के लिए कौनसी विशेष बुद्धिमत्ता और जानकारी है तथा पत्रकारिता के क्षेत्र की समस्याओं अथवा व्यक्तियों से उन्हें किस प्रकार जानकारी है।

इस परिषद का गठन हितों पर अधिक आधारित है न कि कार्य पर। मैं समझता हूं कि यदि कार्य संबंधी हितों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये तो अच्छा होगा।

इस विधेयक में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो उपयुक्त नहीं है। उदाहरणार्थ अध्यक्ष को एक पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में बताया गया है।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : संयुक्त समिति ने अवैतनिक शब्द हटा दिया है। वह एक वैतनिक अधिकारी चाहती है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं मानता हूं कि अधिकारी पूर्ण कालिक होना चाहिये। परन्तु उसको पूर्णकालिक अधिकारी बता कर उसके मान को कम करना है।

श्री वारियर : आप किस शब्द का सुझाव देते हैं ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इन शब्दों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मंत्रियों अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ?

इस परिषद को तीसरे आदमियों को सेन्सर करने की जो शक्ति दी जा रही है वह एक बहुत गलत चीज़ है। एक मालिक को इसके क्षेत्र में लाया जा सकता है। परन्तु मैं किसी भी व्यक्ति किसी नागरिक की बात कर रहा हूं। क्योंकि हम सब व्यावसायिक निकाय स्थापित करने जा रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम संविधान के उपबधों को एक ओर फेंक दें या न्यायालय की शक्तियां इस परिषद को दे दें।

मैं आशा करता हूं कि हमारे देश की पत्रकारिता के क्षेत्र में जो गिरावट और गैरजिम्मेदारी आ गई है उसको दूर करने और उसका स्तर ऊंचा उठाने में यह परिषद बहुत अच्छा काम करेगी।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : Mr. Chairman, the Press Commission was appointed about ten years back and on the recommendations of that Commission this Press Council is sought to be established to regulate the working of the working journalists and to safeguard the freedom of the Press.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Our Press played a historic role in our struggle for freedom and that cannot be forgotten. These newspapers have now almost perished and the newspapers which are at present in circulation are owned by a few individuals or some combines or some societies. Our Constitution has guaranteed us the right to the freedom of speech. Our Press can help us a lot in this matter. In this connection it is said that Government exerts undue influence upon the press.

Mr. Speaker : The hon. Member may continue after the calling Attention Notice.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

अमृतसर मे नागरिकों पर बम-बारी—जारी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन, मैं प्रतिरक्षा मत्री का ध्यान पाकिस्तानी विमानों द्वारा अमृतसर में नागरिकों पर युद्धविराम की घोषणा के पश्चात 22 सितम्बर, 1965 को बमबारी किये जाने की ओर दिलाता हूं।

हमें यह भी समाचार मिला है कि पाकिस्तान कुछ घुसपैठियों को हमारी ओर भेज रहा है। इस मामले में क्या स्थिति है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : कल शाम सवा चार बजे पाकिस्तानी वायु सेना ने अमृतसर पर हमला किया और अंधाधुन्द और बहरायाना तरिके से बम गिराये। पाकिस्तान के दो B–57 और तीन F–86 सेबर जेट विमानों ने अमृतसर पर हमला किया और देहरटा में और इसके इर्दगिर्द अन्धांधुन्द बम गिराये। विमानों ने नीची उड़ान की और हमारी विमान भेदी तोपों ने उनका मुकाबला किया। हमला पांच मिनट तक जारी रहा। 3 बम खालसा कालिज से 400 गज की दूरी पर गिराये गये। तीन बम प्रताप बाज़ार में गिरे जिससे 40 मकान नष्ट हो गये और 35 मकानों को क्षति पहुंची। औरतों और बच्चों को मिलाकर अब तक 50 लाशें मिली हैं। लगभग 65 जख्मी व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। रेलवे स्टेशन के पास खेतों में 6 बम गिराये गये। सभी बम 1000 पौंड के थे। आसपास कोई सैनिक ठिकाना नहीं था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस घटना की सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य देशों को दे दी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां। अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या यह सच है कि पाकिस्तान हाई कमान्ड ने अपनी सेनाओं को यह हिदायतें की थी कि जो भी आक्रमण या घुसपैठ की कार्यवाही करनी है वह युद्धविराम तक तेज़ी से करली जाये। क्या यह भी सच है कि गोलाबारी आज प्रातः में 3.33 बजे तक चलती रही ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पाकिस्तानी अधिकारियों ने ऐसे आदेश दिये थे। स्वभावतः हमें भी अपने जवानों को आदेश देने पड़े कि यदि कोई हमला किया जाता है तो उन्हें जवाबी हमला करना चाहिये। मेरी जानकारी के अनुसार लाहौर क्षेत्र में सुबह 3.30 तक लड़ाई जारी रही।

Shri Kishen Pattanayak (Sambalpur) : Was there any relaxation on the efforts of the anti-aircraft guns and civil defence measures in the border towns ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कहना सही नहीं है कि विमान भेदी तोपों की कोशिशों में कोई ढील आगई थी। यही कारण था कि हमारे सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं हो सका बल्कि उन्होंने लौटते समय नागरिकों पर बम गिराये।

Shri Bagri (Hissar) : Is it not a fact that instructions were not issued to our military officers to be alert to thwart any attack while informing them about the cease-fire and that is why there was slackness in the civil defence measures ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बिलकुल गलत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह देखते हुए कि कुछ निहित स्वार्थ वाले देश भारत और पाकिस्तान को समकक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानने भारत पर आक्रमण किया है, क्या सरकार कल की घटना का संसार की सभी प्रमुख राजधानियों में प्रचार करेगी क्योंकि इससे दोनों देशों के रवैये का पता चलता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां; इस मामले में पहले ही कार्यवाही की गई है।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : इस अवसर पर हवाई हमले से बचाव के उपायों में जो कमी पाई गई थी क्या वह लापरवाही के कारण थी अथवा सैनिक कार्यक्रम त्रुटि पूर्ण था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

Shri Gulshan (Bhatinda) : Have the Government shown to the foreign press correspondents that our Civil population has been bombarded ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने बताया विदेशों में प्रचार के लिये कार्यवाही की जा रही है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : What is the position about Jodhpur ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जोधपुर में पाकिस्तानी वायु सेना ने इस लड़ाई के आरम्भ होने से अब तक लगातार बम गिराये हैं। इसका ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं हैं; इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसमें अन्तराष्ट्रीय विधि के विर्वचन की कोई बात नहीं है। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। पाकिस्तान अपने विमानों को शहरी आबादी की ओर जाने से रोक सकता था।

Shri Bagri : The hon. Minister should give the details of the defensive measures taken.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विमान भेदी तोपोंने अपना काम किया और उन्ही की वजह से कुछ सैनिक ठिकानों को बचाया जा सका है। जहां तक विमानों द्वारा पाकिस्तान के बम गिराने वाले विमानों पर हमला करने का प्रश्न है यह विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान कर सकते है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यही तो वे कर रहे थे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसलिये उनको रडार में देखना तथा हवाई लड़ाई में नष्ट करना कठिन था।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने यह भी पूछा था कि ऐसे भी समाचार है कि पाकिस्तान युद्धविराम के बाद भी अपने सैनिकों को घुसपैठ करने के लिये भेज रहा है। माननीय मंत्री इसका भी उत्तर दें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने अपनी सशस्त्र सेनाओं को कड़ी हिदायतें दे रखी हैं कि वे उनका सख्ती से मुकाबला करें।

प्रेस काउन्सिल विधेयक—जारी

PRESS COUNCIL BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनारायण दास अपना भाषण जारी रखें।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Shree Narayan Das : Mr. Speaker, Sir, I was saying that for the successful running of democracy an independent and responsible press is very necessary. The circulation of most of the papers in our country is in the hands of a few persons. This monopoly is destructive to the freedom of press. The proprietors of the widely circulated newspapers have found out loop-holes and they evade the law. They are not maintaining high standards. Therefore necessity is felt for a body which can regulate the working of the press and the working journalists.

The members of the Press Council should not be nominated by the Chief Justice as Shri Singhvi suggested since he is under the Ministry of Law and it is possible that he may have a bias or he may refuse to nominate and in that case this law will be infructuous. Secondly, they must not also be elected as we know great pressure is brought to bear upon the elected persons. My suggestion is that the work of nominating the members should be given to a committee or body of persons who are above board and free from any bias. My suggestion is that any member of the Press Council against whom a censure motion has been passed by the Council should cease to be member forthwith and should be disqualified to hold the office for five years. It should be included in this Bill that the Press shall have the right to express their objective opinion.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, my hon. friend Shri Dandekar pleaded for a right of appeal from the decision of the Press Council. For his information I am to submit that this Press Council is a body of the elderly and wiser persons in the bigger family of the journalists. I do not think if any child ever appeals if he is admonished by his parents. In our childhood we are all admonished by our parents for our own good and welfare. Therefore the suggestion regarding the appointment of a magistrate should not be accepted. Shri Dandekar also said that the members of this Council should not be nominated but elected. I say that the work of this Council is of highly technical nature and just as we do not elect the judges we should not elect the members of the Council. The experts of the trade can discharge the functions better than the elected persons.

Our press has played a commendable role in our struggle for freedom. As a matter of fact the history of the journalism in this country has been the history of the sacrifices of this country. There are some capitalists who have brought bad name to the press. They are the proprietors of a few newspapers and want to inject their idelogies into the mind of the public. Shri Khadilkar's charge that the standard of vernacular papers is not good cannot be sustained.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member may continue his speech next day.

---

*कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे

**CIRCULAR RAILWAY IN CALCUTTA

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में 10 सितम्बर को मंत्री महोदय द्वारा अत्याधिक असन्तोषजनक तथा टाल-मटोल वाले दिये गये उत्तरों के आधार पर यह बिलकुल स्पष्ट है कि कलकत्ता के लिए सर्कुलर रेलवे का समूचा प्रश्न अनिश्चित काल के लिए खटाई में डाल देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रश्न के प्रति सरकार के रवैये से प्रतीत होता है कि वह इस सर्कुलर रेलवे सम्बन्धी योजना, जो कलकत्ता की समस्त जनता तथा बंगाल के सभी राजनैतिक दलों की एकमत मांग है, के पक्ष में नहीं है।

कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे की आवश्यकता सम्बन्धी समस्याकी अविलम्बनीयता पर किसी भी व्यक्ति की अब गंभीर आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु रेलवे मंत्रालय द्वारा इसे कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी हाल ही में मंत्री तथा उपमंत्री महोदय ने हमें बताया कि इस समस्त मामले को एकबार पुनः एक समिति को सोपा जा रहा है जो इस संपूर्ण प्रश्न पर विचार

---

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour Discussion.

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

करेगी और मद्रास, बम्बई तथा अन्य नगरों के इसी प्रकार की यातायात सम्बन्धी समस्याओं के साथ-साथ इसका अध्ययन करेगी। किन्तु इस मामले पर कई वर्षों से तथा एक से अधिक अवसरों पर जांच की गई है और उसका अध्ययन किया गया है। 1947 में "सर" पदमजी गिनवाला की अध्यक्षता में "टरमिनल फैसीलीटीज समिति" इस प्रश्न की पूर्णतः जांच की और यह सिफारिश की कि कलकत्ता में सकुलर रेलवे का होना अत्यावश्यक है। 1953 में भारत सरकार ने पुनः स्वर्गीय "सर" एस० एन० रॉय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की—उक्त समिति ने इस प्रश्न की जांच करके केवल सर्कुलर रेलवे के लिये सिफारिश ही नहीं की अपितु उसके निर्माण के लिये एक विस्तृत योजना की रूपरेखा भी तैयार कर दी।

1956 में पुनः रेलवे बोर्ड मंत्रालय में स्वतः श्री सारंगपाणी जिन्हें एक अत्यधिक विख्यात रेलवे इंजिनियर समझा जाता है, के अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की—, उपरोक्त समिति ने भी इसके पक्ष में अपनी सिफारिश की—और उसका इस योजना पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। 1963 के उपरान्त इस प्रश्न का अध्ययन कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने भी अपने सुझाव दे दिये हैं। कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे की आवश्यकता के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति ने कभी कोई आपत्ति नहीं की है और किसी व्यक्ति ने गंभीर रूप से यह भी सुझाव नहीं दिया है कि इसके स्थान पर कोई अन्य वैकल्पिक परियोजना तैयार की जा सकती है।

जहां तक भूमिगत टूब रेलवे की संभावना पर विचार करने का प्रश्न है, इससे कोई लाभ नहीं हैं क्योंकि इस परियोजना में, जैसा कि फ्रान्सिसी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाकर बताया है, 400 करोड़ रुपये से कम लागत-खर्च नहीं आयेगा। यह लागत खर्च बहुत अधिक है। वास्तविकता तो यह है कि इस समय सबसे सस्ती, सबसे अधिक संभव और सफल हो सकने वाली योजना केवल सर्कुलर रेलवे ही हो सकती है। इस सम्बन्ध में नियुक्त सभी समितियों ने, जिनका मैंने जिक्र किया है, कहा है कि यह योजना किसी भी अन्य वैकल्पिक परियोजनाओं की अपेक्षा काफी कम समय में तथा कम लागत-खर्च पर क्रियान्वित हो सकती है।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय नगर की यातायात समस्या से, जोकि लगभग काबू से बाहर हो चली है, अच्छी तरह अवगत हैं और यह समस्या अब इतनी तीव्र हो गई है कि कलकत्ता में सड़क व्यवस्था पर और अधिक बोझ पड़ने पर वह पूर्णतः भंग हो जायेगी और उससे पूर्ण गड़-बड़ी पैदा हो जायेगी।

सर्वेक्षण के लिए, बंगाल सरकार रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली परियोजना सर्वेक्षण का लागत-खर्च उठाने के लिए राजी हो गई है। इसके पश्चात् पश्चिम बंगाल विधान सभा ने कलकत्ता के लिए सर्कुलर रेलवे के पक्ष में सर्व सम्मति एक संकल्प पारित किया है। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल आया था और उसने इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था। कुछ दिन पूर्व जब यह प्रश्न पूछा गया था तो हमें यह बताया गया कि यह समूचा मामला किसी एक ऐसी समिती को सोपा जा रहा है जिसकी स्थापना तक नहीं की गई है और जिसके निर्देश-पद भी मालूम नहीं हैं।

कलकत्ता के सभी वर्ग के नागरिकों तथा कर्मचारियों के लिये यह एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है, इस सर्कुलर रेलवे के निर्माण के परिणामस्वरुप कलकत्ता के उत्तर में चितपर के बड़े-बड़े व्यापारी लोगों को कुछ असुविधा जरूर होगी क्योंकि उन्हें अपने कुछ माल गोदाम वहां से दूसरी जगह हटाने पड़ेंगे—इसीलिए वे लोग इस योजना के पक्ष में नहीं हैं।

मेरी समझ में सर्कुलर रेलवे का निर्माण हमारे भारतीय अनुभवी तथा योग्य विशेषज्ञ कर सकते हैं। किन्तु एक पटरीवाली रेलगाड़ी अथवा भूमिगत, टूब रेलवे के निर्माण के लिए हमें विदेशी विशेषज्ञों के लिए विश्व बैंक तथा फोर्ड फाउन्डेशन के पास दौड़ना पड़ेगा और सभी आवश्यक

मशिनरी, उपकरण तथा अन्य सामान विदेशों से आयात करना पड़ेगा, अतः मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वह अन्य किसी वैकल्पिक परियोजना का विचार छोड़ दें।

सभी जातियों की मिली जुली-जनसंख्या की दृष्टि से और उसके वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में महत्व को देखते हुए कलकत्ता केवल राज्य की ही राजधानी नहीं है अपितु वह एक राष्ट्रीय महानगरी है। कलकत्ता के प्रति निरन्तर सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है और परिवहन के मामले में कलकत्ता और मद्रास तथा बम्बई जैसे शहरों के बीच भेद भाव किया जा रहा है, जिनके उस मध्य भाग में उपनगरीय विद्युत रेलगाड़ियां वर्षों से चल रही हैं जहां वाणिज्यिक केन्द्र तथा अन्य कार्यालय स्थित हैं। किन्तु कलकत्ता को इस सुविधा से निरन्तर वंचित किया गया है। यदि सरकार ने किसी कारणवश कलकत्ता के लिए निकटभविष्य में, चौथी योजना में, सर्कुलर रेलवे का निर्माण न किये जाने का निर्णय कर लिया है तो उसे यह बात स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मंत्री महोदय ने सर्कुलर रेलवे के सम्बन्ध में कई बार वचन दिये हैं किन्तु उन्हें पूरा कभी नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से बता दें कि उनका इरादा क्या है और क्या सरकार बारम्बार दिये गये अपने वचन को पूरा करना चाहती है?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज की परिस्थिति में जब कि कलकत्ता की आबादी बढ़ गई है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या चौथी योजना में कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे चालू हो जायेगी—और यदि नहीं, तो क्या यह कार्य पांचवी योजना में आरम्भ किया जायेगा?

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : इस सम्बन्ध में समय-समय पर कई समितियां स्थापित की गई हैं—जिनमें से एक भारत सरकार द्वारा तथा एक रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई गई थी। पिछले दिनों में जब मंत्री महोदय ने यह कहा था कि यह उनका उत्तरदायित्व है और उन्होंने इस कार्य को आरम्भ कर दिया है, तो फिर योजना आयोग दूसरी समिति क्यों बना रहा है? क्या इस मामले पर यह अन्तिम समिति होगी अथवा अन्तिम निर्णय के लिए अन्य और कोई समिति का गठन किया जायेगा?

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : श्रीमान, छः माह पूर्व कलकत्ता के लिए सकुलर रेलवे के सम्बन्ध में चल रही चर्चा के दौरान रेलवे मंत्री महोदय ने कहा था कि यह प्रश्न केवल धन का है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस रेल को चलाने पर प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कलकत्ता पूर्व भारतीय राज्यों का केन्द्र बन गया है जहां आगामी पांच वर्षों में कलकत्ता महानगर-क्षेत्र संगठन के अनुसार वहां आने वाले लोगों की संख्या में दुगुनी वृद्धि हो जायेगी, क्या मंत्री महोदय सर्कुलर रेलवे के रूप में कलकत्ता परिवहन के विकास के लिए कुछ धन खर्च करना उचित समझते हैं ताकि कम से कम आगामी दो-तीन वर्षों के अन्दर वहां की भीड़-भाड में कमी हो जायेगी और कलकत्ता का जीवन कुछ सुविधाजनक हो जायेगा?

श्री मुहम्द इलियास (हावड़ा) : कलकत्ता के लोगों को ये अस्पष्ट आश्वासन कब तक दिये जाते रहेंगे और सरकार सर्कुलर रेलवे का निर्माण के सम्बन्ध में वास्तव में कब तक निर्णय ले लेगी?

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : मंत्री महोदय द्वारा पहिले दिये गये आश्वासन तथा विश्व बैंक की कलकत्ता के बारे में इस कैफियत को दृष्टि में रखते हुए कि कलकत्ता की स्थिति अन्य महानगरीय शहरों की अपेक्षा जहां कि उस तरह की भीड़ भाड़ नहीं है, भिन्न है, क्या इस परियोजना को चौथी योजना में शामिल किया जा रहा है अथवा नहीं, और क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्य समिति स्थापित की जा रही है?

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय का ध्यान कलकत्ता के नागरिकों द्वारा की गई इस घोषणा की ओर दिलाया गया है कि परिवहन सम्बन्धी कठिनाई के कारण बड़ी-बड़ी रेलों को मुख्य स्टेशन तक नहीं आने देना चाहिये कि उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाना चाहिए ?

Shri Priya Gupta (Katihar) : The hon. Railway Minister has evaded this question on various occasions. May I know whether it is not a genuine and burning demand of the people of Calcutta to have a Circular Railway and if so, the difficulties in the way of building it ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : क्या सरकार के पास इस भीड़-भाड़ तथा यातायात सम्बन्धी काठेनाइयों को उस समय तक कम करने के लिए कोई विकल्प योजना है जब तक कि सर्कुलर रेलवे चालू नहीं हो जाती ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको तथा अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जहां मेरा अपना सम्बन्ध है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं किसी उत्तरदायित्व से बचना चाहता हूं। मैं परिवहन सम्बन्धी समस्याओं को भली भांति समझता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि देश के सबसे विशाल, विशेषकर कलकत्ता जैसे शहर के लिये एक सर्कुलर रेलवे की नितान्त आवश्यकता है जिसकी व्यवस्था तुरन्त करनी है।

कलकत्ता सर्कुलर रेलवे की योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल अक्तूबर, 196 में प्रायोजित किया। इस योजना पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इस रेलवे को चालू करने पर प्रतिवर्ष लगभग 4.37 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। योजना सम्बन्धी ऐसी वित्तीय उलझने हैं जिनके लिए चौथी योजना में व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इसके बाद यह बात समझ लेनी जरूरी है कि कलकत्ता की परिवहन समस्या महानगरी क्षेत्र में भूमि के वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले प्रयोग से काफी सम्बद्ध है और रेलवे इस सम्बन्ध में पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है। हमें इस उद्देश्य के लिये आवश्यक प्रशासन के बारे में भी विचार करना है कि वहां कलकत्ता निगम, पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत सरकार तीनों ही एक साथ मिलकर किस प्रकार काम कर सकेंगे। मैं यह तो नहीं जानता कि अन्ततोगत्वा कार्य-संचालन का तरीका क्या होगा और उसके बारे में क्या सुझाव दिया जायेगा किन्तु इन मामलों पर विचार तो अवश्य ही करना होता है।

मैं इस बात के लिए माननीय सदस्यों से भी अधिक उत्सुक हूं कि कलकत्ता में एक सर्कुलर रेलवे की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि चूंकि कलकत्ता में कुछ रेलवे लाइने पहिले से ही मौजूद हैं इसलिए वहां सर्कुलर रेलवे की व्यवस्था करना बहुत आसान काम होगा। ऐसी बात नहीं है। यह एक बहुत घनी आबादी वाला शहर है जिसमें से होकर सर्कुलर रेलवे निकालनी पड़ेगी। ये सभी चीज वास्तव में तकनीकी हैं जिनपर काफी धन और समय लगेगा। किन्तु ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें हल ही नहीं किया जा सकता।

उदाहरण देकर ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि हमारा कलकत्ता के प्रति सौतेली-मां का सा व्यवहार है। किन्तु यह आरोप गलत है और यथार्थता तो यह है कि सरकार चाहती है कि कलकत्ता सबसे घनी आबादी वाला शहर है अतः उसे सर्वोच्च वरीयता देना आवश्यक है। हम इन बातों को शीघ्रता से करना चाहते हैं। किन्तु इसका सम्पूर्ण खाका हमारे सामने होना चाहिए। यह खाका अभी तक हमारे सामने नहीं है।

योजना आयोग द्वारा इस समस्यापर विचार किया गया है। हमारी योजना यह है कि समितियां नियुक्त करने के बजाय काम आरम्भ कर दिया जाय और यह काम कलकत्ता नगर से शुरु हो। अतः महानगरीय यातायात सम्बन्धी एक अध्ययन दल को शीघ्र ही नियुक्त करना आवश्यक है। इस अध्ययन दल का कार्य यह होगा कि वह इस बारे में अन्तिम स्वरूप के विषय पर सरकार के समक्ष पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करे। चूंकि सम्पूर्ण भारत में नई लाइनों के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है अतः इस कार्य के लिए उक्त धनराशि से पूरी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता निगम तथा भारत सरकार को अपने-अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे।

मैंने इस मामले पर पश्चिम बंगाल के स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बी० सी० रॉय से भी बात-चीत की थी। सरकार यह चाहती है कि इस कार्य में किसी प्रकार विलम्ब न हो इसीलिए मैंने यह सूझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की जाय जो शीघ्र ही अपना काम करना आरम्भ कर देगी, यदि सभा की कोई ऐसी धारणा अथवा आशंका है कि रेलवे मंत्रालय इस उत्तरदायित्व को टाल रहा है तो मैं स्पष्टतः यह बता देना चाहता हूं कि मंत्रालय इस मामले को टालना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करना आर्थिक तथा यातायात सम्बन्धी समस्या की दृष्टि से खतरनाक है। मैं समझता हूं कि आरम्भ में जो वचन मैंने दिया था उस पर मैं कायम हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, सितम्बर 24, 1965/2 आश्विन, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha, then adjourned till Ten of the clock on Friday, September 24, 1965/Asvina 2, 1887 (Saka).

भा०स०मु०ना—वि० 5—41 लोक सभा/65—14-7-66—600.